खण्ड-215, अंक-9
गुरूवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(25 अगस्त, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीर म गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदास वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बलदेवसिंह , श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रजदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा

माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद हंस , श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द , श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल , श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल, रावत श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयावती वाजपेयी, श्रीमती
विजयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विजरामराय, श्री
विजवनाथसिंह गौतम, श्री
विजवेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यव्रतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखलालनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल ,श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ अगस्त, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट

१—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर गोलीकांड की जांच के लिये नियुक्त सिद्दीक हसन कमीशन की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत हो जायगी तथा क्या सरकार उसकी प्रति सदन के सम्मुख भी रखने जा रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—आशा की जाती है कि कमीशन की रिपोर्ट सरकार को १ सितम्बर, १९६० तक प्राप्त हो जायेगी और जांच के पश्चात् इसे गजट में प्रकाशित करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा। इसे सदन के सम्मुख रखने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस किसी कांड में २२ आदमियों की मृत्यु हो गयी हो, उसमें वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से वह यह उचित नहीं समझती कि उस रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा जायज और वह नहीं रख रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यदि कैबिनेट का डिसीजन हुआ कि गजट में प्रकाशित हो, तो उससे हर माननीय सदस्य उसकी जानकारी कर सकेगा और फिर उसको सदन में रखने की कोई जरूरत नहीं रह जायेगी।

श्री मदन पांडेय—मेरा यह स्पष्ट कथन है और मत है कि यह सदन उस रिपोर्ट पर विचार करना चाहेगा। तो क्या सरकार मेरी उस सूचना को आधार मानकर अपनी कैबिनेट से यह निर्णय करायेगी कि उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाय और उस पर विचार हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो रखने का कोई विचार नहीं है और न छपवाने का ही कोई निर्णय हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार, गजट में उसे प्रकाशित करने के पश्चात्, उस पर सदन में विचार करने के लिये अवसर देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सरकार की ओर से तो आवश्यकता नहीं समझी जाती है और अगर इस संबंध में कोई विशेष प्रश्न उठता है और उस पर माननीय अध्यक्ष की आज्ञा होती है, तो उस पर अमल किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

सिधौली में एलीमेंटरी हेल्थ यूनिट खोलने पर विचार

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या न्याय मन्त्री को ज्ञात है कि सीतापुर के अन्तर्गत सिधौली ग्राम में जो कि तहसील और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का सदर मुकाम है कोई महिला या पुरुष चिकित्सालय नहीं है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल)---जी नहीं । सिधौली, जिला सीतापुर में एक एलोपैथिक चिकित्सालय ४ जनवरी, १९६०, से जनता की सेवा कर रहा है ।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या न्याय मन्त्री निकट भविष्य में उक्त स्थान पर चिकित्सालय स्थापित किये जाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौली ग्राम का राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड इस स्टेज पर पहुंच गया है कि वहां पर कोई एलीमेन्टरी हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाय ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जी हां ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह इस स्टेज पर पहुंच गया है तो वहां वह हेल्थ यूनिट कब-तक खुल जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तारीख तो निश्चित नहीं बतला सकता । प्रश्न विचाराधीन है ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों की निगरानी की उचित व्यवस्था न होने की शिकायत

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों में चल रहे आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों का प्रशासन जिले के किस अधिकारी के जिम्मे है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जिला स्वास्थ्य अधिकारी के ।

*४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के जिले के प्रशासन को किसी दूसरे अधिकारी को सुपुर्द करने अथवा दूसरी कोई योजना प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के हाथ में प्रशासन होने के कारण हकीमों और वैद्यों को तकलीफ होती है और वे ठीक तरह से औषधियों की जांच वगैरह नहीं कर पाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सही नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन औषधियों तथा यूनानी दवाखानों की जांच वगैरह करने के अधिकार जिला अधिकारियों को हैं ? यदि हां, तो वे साल में कितनी बार इनकी जांच करते हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ऐलोपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में मौलिक मत-भेद है और एक पद्धति के मानने वाले दूसरो के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए व क्या यह व्यवस्था करेंगे कि जिलों में जो इस तरह के चिकित्सालय हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाय और इसी विशेष पद्धति की जिम्मेदारी स्वास्थ्य अधिकारी के सुपुर्द की जाय ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---काम ठीक चल रहा है, अभी कोई जरूरत नहीं है । जरूरत पड़ने पर विचार किया जायगा ।

श्री उग्रसेन---इस बात को देखते हुए कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी इन औषधालयों को ठीक नहीं रख पाते हैं, मंत्री जी उन्हें कुछ ज्यादा अनुदान देकर उनका सारा कार्य जिला परिषदों को दे देंगे ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---हमारी तो इत्तला है कि ठीक निगरानी होती है ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्तिगत आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल हैं उन्हें भी कुछ सहायता दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष---यह आपने किस सवाल से संबंधित प्रश्न किया ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---मैं बतलाये देता हूं । कुछ को दी जाती है, लेकिन इसकी हमसे फेहरिस्त मांगी जाय तो हमारे पास नहीं है ।

मधुवन अस्पताल में कुछ समय डाक्टर का न होना

*५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन, जिला आजमगढ़ का एलोपैथिक अस्पताल कितने महीनों से बिना डाक्टर के पड़ा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मधुवन डिसस्पेंसरी, जिला आजमगढ़ में डाक्टर काम कर रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल पर डाक्टर कब से है और कितने महीने तक अस्पताल में डाक्टर नहीं रहा है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---पहली मई से है और उसके पहले दो-चार छः महीने से खाली रहा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मधुवन में जो डाक्टर भेजा गया है, इसके पहले जिस डाक्टर, का स्थानान्तरण हुआ था उसका कारण क्या था ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---पार्टी बन्दी में पड़ गया था ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे कि जो जांच हुई थी कि वह पार्टीबन्दी में पड़ गया वह शासक दल में था या किसी और दलबन्दी में ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---शासक दल में नहीं था, और पार्टी में था ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि आजमगढ़ का अस्पताल कितने दिन तक बिना डाक्टर के रहा और डाक्टर कब आया ?

श्री अध्यक्ष—६ महीने उन्होंने बता दिया।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो डाक्टर पार्टीबन्दी में पड़ गया था उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने केवल ट्रांस्फर कर दिया है, और कोई सख्ती नहीं की उसके साथ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—यह जानते हुये कि वह डाक्टर पार्टी-बन्दी में पड़ा हुआ था पुनः उसके खिलाफ मंत्री जी जांच करायेंगे और उचित दंड देने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया कि वही दंड काफी समझा।

*६-७—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अलमोड़ा)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*८-१०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सम्पूर्णानन्द शिविर घुरमा में सर्वश्री रज्जू व रघुनाथ की मृत्यु

*११—**श्री उग्रसेन तथा श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर घुरमा, मिर्जापुर में सर्वश्री रज्जू तथा रघुनाथ बन्दी जो क्रमशः १८ मई तथा २४ मई, १९६० को मरे उनकी मृत्यु के कारण क्या थे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्री रज्जू की मृत्यु अंतड़ियों में गाँठ पड़ने तथा उनके फटने के कारण हुई। श्री रघुनाथ की मृत्यु लू लग जाने के कारण हुई।

*१२—**श्री उग्रसेन तथा श्री ऊदल**—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर, घुरमा में कितने बन्दी हैं और कितने बंदियों के रखने की सुविधा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस शिविर में लगभग ७५० बन्दी हैं। यहां पर ७९० बंदियों के रहने का स्थान है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मरने से पहले रज्जू कितने दिन से बीमार था और उस समय उसका क्या उपचार किया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक दिन पहले बीमार हुआ था और उसी दिन उसे पहले अस्पताल भेजा गया। उसके बाद दूसरे अस्पताल में भेजा गया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि इंटेस्टाइनल आब्स्ट्रक्शन का शायद वह केस था।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि जिलाधीश मिर्जापुर ने अपनी विज्ञप्ति में रज्जू और रघुनाथ के मरने का यह कारण नहीं दिया था, लू लगना और अंतड़ियों में गांठ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे मालूम नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या इन दोनों व्यक्तियों में से एक के मरने का कारण यह था कि कुछ दिन पहले पहाड़ तोड़ते समय पत्थर उसके ऊपर गिरा था और उसकी चोट से उसकी मृत्यु हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह बात बिलकुल गलत है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो घुरमा खुदा है क्या रज्जू उस खुदान में काम करता था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी ने जो रज्जू की मृत्यु का कारण दिया है वह क्या जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित है या बाहर के किसी काम्पीटेंट डाक्टर से उसकी जांच कराई थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सिविल सर्जन, मिर्जापुर ने पोस्ट मार्टम किया था और उस पर यह आधारित है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को संक्षिप्त में बताने की कृपा करेंगे कि मरने का कारण उसमें क्या लिखा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने जैसा अभी कहा, मरने का कारण उन्होंने इंटेस्टाइनल आब्स्ट्रक्शन लिखा है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि श्री रघुनाथ बन्दी की मृत्यु जेल अस्पताल में ही हो गई थी और जिसका कारण जेलवालों की लापरवाही और समय से दवाई न देना था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मृत्यु तो जेल अस्पताल में ही हुई। लेकिन समय से दवा न मिलना और लापरवाही वाली बात नहीं थी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी इन दोनों बंदियों की पृथक-पृथक आयु और सजा बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नोटिस चाहिये।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साल से पुरानी रिट पेटीशन्स

*१३—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Hon'ble High Court Allahabad तथा लखनऊ में कितनी writ application हैं जो साल भर से ज्यादा हुये तब फाइल हुई थीं परन्तु जिनकी अब तक कोई hearing नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके लखनऊ बेंच में ३१ जुलाई, १९६० को एक साल से अधिक पुरानी ३,४६७ रिट पेटिशन्स विचाराधीन थीं।

सिकन्दराबाद अस्पताल का सरकारीकरण न हो सकना

*१४—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के अस्पताल के सरकारीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अंतरिम जिला परिषद ने एक प्रस्ताव १८-२-६० को पास किया जिस पर पिछले वित्तीय वर्ष स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा विचार किया गया परन्तु सिकन्दराबाद चिकित्सालय का सरकारीकरण संभव न हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह संभव होने में क्या कठिनाई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या अगले वित्तीय वर्ष में संभव होने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--थर्ड प्लान में सोचा जा सकता है।

*१५--श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---[२६ अगस्त, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

*१६-१७--श्री ऊदल--[हटा दिये गये।]

पी० एम० एस० (प्रथम) में नियुक्तियां

*१८--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी०एम०एस० (प्रथम) में बिना लोक-सेवा आयोग की सलाह के कितनी नियुक्तियां गत एक वर्ष के अन्दर की गयी हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी ८ नियुक्तियां की गई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--ये ८ नियुक्तियां इस प्रकार क्यों की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिवीजनल हेड क्वार्टर्स के अस्पताल अपग्रेड किये गये और उनमें स्पेश लटीज कायम की गई। ये डाक्टर स्पेशल थे। एमर्जेंसी में जल्दी के कारण ये नियुक्तियां की गईं और उनकी इत्तिला हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी है। १ वर्ष के लिये रखे हैं। उसके बाद एडवर्टाइज होगा। ये सेलेक्शन में गये और छांटे गये तो रहेंगे वरना हटा दिये जावेंगे। टैम्पोरेरी बेसिस पर हमने रखे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या उत्तर दिया है, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी कोई उत्तर नहीं दिया है।

इटावा महिला चिकित्सालय में प्रसव पीड़ा से मृत्यु

*१९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा शहर के महिला चिकित्सालय में ४ जुलाई, १९६० से १२ जुलाई, १९६० तक प्रसव पीड़ा से कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इटावा शहर के महिला चिकित्सालय में ४ जुलाई, १९६० से १२ जुलाई, १९६० तक प्रसव पीड़ा से एक महिला की मृत्यु हुई।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय में और बीमारियों से कितनी महिलाओं की वहां मृत्युयें हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२ की हुई, लेकिन प्रसव पीड़ा से नहीं हुई ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या मंत्री जी ने जांच कराई कि ये मृत्युए क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जांच करा रहे हैं। लेडी डाक्टर का ट्रांस्फर कर दिया है, और डाक्टर कमलादेवी गई हैं वह उसकी जांच कर रही हैं।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में योगिक क्रियाओं द्वारा चिकित्सा के लिये अनुदान

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में योगिक क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करने के लिये जो केन्द्र खोला गया है उसकी स्थापना कब हुई थी और उसको उस समय से अभी तक कितनी ग्रांट दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में योगिक क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करने के लिये एक केन्द्र की स्थापना २ अप्रैल सन् १९५८ को हुई थी। उस केंद्र को चलाने के लिये उस समय से वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अन्त तक निम्नलिखित अनुदान दी गई है:

(१) रु० ४०३८: ९३ न०पै०—स्टेट हेल्थ बोर्ड से।
(२) रु० ३३७: ७१ न०पै०—सचिवालय प्रशासन (लेखा विभाग से)।
(३) रु० १७०७: ०० न०पै०—चिकित्सा विभाग के बजट से।

रु० ६०८३ : ६४ न०पै० .. कुल अनुदान

इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष में चिकित्सा विभाग के बजट से १०,००० रुपये की धनराशि योगिक क्रिया के लिये एक समर हाउस बनाने के लिये स्वीकृत हुई है।

आजमगढ़ जिले में लेखपालों की बहाली

*२१—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या ८७९८ आई-बी—१५७५८/५७, दिनांक ३० अगस्त, १९५८, जो प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को भेजा गया था के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में कितने लेखपाल आते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—पंद्रह।

*२२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश के अनुसार उक्त जिले में कितने लेखपाल अपने पदों पर बहाल किये गये और कितने अभी तक बहाल नहीं किये गये और बहाल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उपर्युक्त सभी १५ लेखपाल अपने पदों पर बहाल किये गये।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस आदेश की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उसमें यही कहा गया है कि १५ लेखपाल, जिनके रिट पेटीशन मंजूर कर दिये गये हैं, उनको स्थायी पद पर बहाल कर दिया जाय। अगर उनमें कोई अयोग्यता पाई जाय तो उनके खिलाफ जाब्ते से कार्यवाही की जाय।

श्री मुक्तिनाथ राय—इन १५ में कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी स्थायी हैं।

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क बन्द करना

*२३—श्री उग्रसेन—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के टेस्टवर्क बरसात से पहले क्यों बन्द कर दिये गये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—देवरिया जिले में गत रबी की फसल अच्छी हुई थी, अतः साधारणतः टेस्ट वर्क खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी तथापि उस अवधि के लिये, जब कि रबी के कृषि कार्य समाप्त हो जाते हैं तथा अगली खरीफ का कार्य प्रारम्भ नहीं होता कुछ टेस्ट वर्क लोगों को अपनी जीविका कमाने के लिये चलाये गये थे। बरसात के पहले ये काम बन्द कर दिये गये क्योंकि इसके बाद लोग खेती के काम में लग जाते हैं। टेस्ट वर्क पर उपस्थिति भी कम हो गई थी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल की कटनी के बाद और बरसात शुरू होने से पहले जो देवरिया में टेस्ट-वर्क्स चलाये गये थे और बाद में बन्द कर दिये गये वे किन-किन सड़कों पर चलाये गये थे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसका विवरण इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—जिन सड़कों पर टेस्ट वर्क हो रहा था वहां मजदूरों की संख्या काफी होने के बावजूद भी जिलाधीश ने उन्हें क्यों बन्द कर दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संख्या नहीं थी। लेकिन मैं अपने मित्र की इत्तला के लिये बता दूं कि धर्मपुर-नगवा बांध पर अभी भी काम हो रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बेलडांड गौरा जो बांध-कम-सड़क है, उस पर भी काम चालू था ? यदि नहीं, तो क्या उस पर काम चालू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी इत्तला नहीं है।

आजमगढ़, जौनपुर तथा बस्ती जिलों में भूमि सम्बन्धी कथित गलत कागजात की छपाई

*२४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि आजमगढ़ तथा जौनपुर जिले में सन् १९५५ या ५६ में चकबन्दी अधिकारियों ने कागजात दुरुस्ती के पहिले ही गांवों के नक्शे छपा डाले थे जो रद्दी हो गये तथा कागजात दुरुस्ती के बाद फिर से नये नक्शे छपवाने पड़े? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी था तथा इस क्षति पूर्ति हेतु सरकार ने क्या किया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—आजमगढ़ तथा जौनपुर जिलों के चकबन्दी अधिकारियों ने सन् १९५५ या ५६ में कागजात दुरुस्ती के पूर्व कोई नक्शे नहीं छपवाये थे। अतएव शेष प्रश्न नहीं उठता।

*२५—कुंवर श्रीपालसिंह—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि बस्ती के बन्दाबस्त अधिकारी ने सन् १९५५ में लगभग पचास हजार रुपये की लागत से बिना सरकारी स्वीकृति के फार्म छपवा डाले थे जो कि सरकारी स्वीकृत दर से अधिक दर पर छपे थे ? यदि हां, तो इसमें सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी तथा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां की कागजात दुरुस्ती कितनी बार हुई थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--नियमों के अन्तर्गत जितनी बार होती है उतनी बार हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह---पड़ताल पहले होती है या कागजात दुरुस्ती पहले होती है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---पहले पड़ताल हुआ करती है।

कुंवर श्रीपालसिंह---ये नक्शे जो बनाये गये थे वह पड़ताल के लिये या और किसी काम के लिये बनाये गये थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पड़ताल के बाद करेक्शन होता है और जब गलती मालूम होती है तभी करेक्शन होता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---जो नक्शे बनाये गये थे वे पड़ताल के पहले बनाये गये थे या बाद में?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले बनाने की तो कोई जरूरत मालूम नहीं होती।

चकबन्दी आयुक्त की सुरक्षार्थ पुलिस

*२६---कुंवर श्रीपालसिंह---सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि चकबन्दी आयुक्त जब कहीं दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के हेतु पुलिस का एक दस्ता तैनात किया जाता है? यदि हां, तो इसका खर्च क्या चकबन्दी विभाग उठाता है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---गांवों में चकबन्दी कार्य का निरीक्षण करते समय भूतपूर्व चकबन्दी आयुक्त के साथ पुलिस का कोई दस्ता नहीं होता था। केवल उनके शिविर (कैम्प) पर पुलिस का एक दस्ता जिला अधिकारियों द्वारा तैनात किया जाता था जिसका खर्च चकबन्दी विभाग नहीं उठाता था।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर की पोस्ट के पहले जब डाइरेक्टर की पोस्ट थी तो क्या उनकी सुरक्षा के लिये उनके दौरे पर और निवास-स्थान पर पुलिस का दस्ता रहता था या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले जब डाइरेक्टर की पोस्ट थी तो नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से कमिश्नर की पोस्ट हुई है तब से, क्योंकि डिवीजनल कमिश्नर्स के लिये गार्ड दिया जाता था, इनको भी दिया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो सरकारी आदेश हैं वे मंडलायुक्तों के लिये ही हैं या विभागाध्यक्षों के लिये भी हैं? यदि हैं, तो क्या विभागाध्यक्षों को भी पुलिस का दस्ता मिलता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कमिश्नरों के अलावा आई०जी०, डी०आई०जी० को भी मिलता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्लानिंग कमिश्नर और रोडवेज कमिश्नर को भी पुलिस का दस्ता मिलता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*२७---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[१ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

श्री बद्रीनाथ ट्रस्ट जांच कमेटी की रिपोर्ट

*२८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार २९ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ व ७ के उत्तर के क्रम में श्री बद्रीनाथ मन्दिर ट्रस्ट के सम्बन्ध में बैठाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने के साथ-साथ यह भी बताने की कृपा करेंगा कि उसने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर अभी रखना जनहित में उचित नहीं है।

उन्नाव जिले की सदर तहसील में मालगुजारी में वृद्धि

*२९—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की उन्नाव तहसील की चकबन्दी के दौरे में चकबन्दी परताल के कारण सरकारी मालगुजारी में कितनी वृद्धि या कमी हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उन्नाव जिले की सदर तहसील में चकबन्दी परताल के फलस्वरूप सरकारी मालगुजारी में १,०१,३८४ रुपये की वार्षिक वृद्धि हुई है।

*३०—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह वृद्धि या कमी जो भी आई है, वह किस-किस प्रकार हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह वृद्धि मुख्यतया अधिवासियों को सीरदारी अधिकार मिलने व खातों में सही मालगुजारी निर्धारित होने से हुई है।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि चकबन्दी पड़ताल के दौर में कुछ मालगुजारी में कमी भी हुई थी ? यदि हां तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें तो ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी की पड़ताल के दौर में कुछ मालगुजारी भी बकाया थी ? यदि थी, तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब जिनके ऊपर मालगुजारी नहीं बंधी थी, वह तो बकाया थी ही। उसका तादाद बतलाना इस वक्त मेरे लिये मुमकिन नहीं है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह वृद्धि अधिवासियों को सीरदारी के अधिकार देने की वजह से हुई, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिवासियों को जब सीरदार बनाया गया तो उनका लगान बढ़ाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो जमींदारी एबालिशन का कायदा है उसी के मुताबिक किया गया।

श्री सजीवनलाल—अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि अधिवासी से सीरदार हुए इसलिये लगान बढ़ा, और होता यह है कि सीरदार का लगान कम होता है; ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी हमें बतला दें कि क्या स्थिति है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की एक धारा है उसे माननीय सदस्य पढ़ लें तो सब साफ हो जाय कि उसी के मुताबिक यह हुआ है। अगर उसी के आधार पर बढ़ता है तो जरूर बढ़ा है।

लेडी डाक्टरों को सिविल सर्जन का ग्रेड

*३१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जनाने अस्पताल ऐसे हैं जो अपग्रेडेड श्रेणी में रक्खे गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रदेश में ऐसे कोई जनाने अस्पताल नहीं हैं जो अपग्रेडेड श्रेणी में रक्खे गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अपग्रेड में नहीं रखा गया है तो और कौन-कौन से ग्रेड हैं और उन ग्रेडस के क्या आधार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—९ पोस्ट्स जो लेडी डाक्टर्स की हैं उनको अपग्रेड किया गया है। ५००–१,२०० रुपये के ग्रेड में उनको किया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मैंने पूछा है कि किस आधार पर ग्रेड रखे गये हैं और इस ग्रेड के अलावा और कौन-कौन से ग्रेड रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—और ग्रेड तो वही जो पहले थे, पी० एम० एस० १ और पी० एम० एस० –२ आज भी हैं। सिर्फ ९ पोस्ट्स को लेडी डाक्टर के कैडर में बढ़ा दिया गया है। उनकी मांग थी कि उनको भी सिविल सर्जन बनाया जाय। लेकिन सरकार ने उनको सिविल सर्जन बनाना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा उनका ग्रेड बढ़ा कर सिविल सर्जन के बराबर कर दिया गया है।

*३२–३३—**श्री शीतलाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३४–३५—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जिला जेल, लखनऊ के अस्पताल में सिकन्दर बन्दी की मृत्यु

*३६—**श्री रूर्मासिंह** (जिला शाहजहांपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल लखनऊ के अस्पताल में दिनांक २० जुलाई, १९६० को किसी कैदी की मृत्यु हो गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

*३७—**श्री रूर्मासिंह**—क्या यह सही है कि उक्त कैदी का आपरेशन एक दिन पूर्व जेल के कम्पाउन्डर द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो वह किस मर्ज का मरीज था, किस जुर्म में जेल में बंद था तथा किस अंग का आपरेशन हुआ था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नहीं, उसका आपरेशन कम्पाउन्डर ने नहीं बल्कि जिला जेल के असिस्टेन्ट मेडिकल अफसर ने किया था। उसके दाहिनी रान के ऊपरी भाग में फोड़ा था। उसी फोड़े का आपरेशन किया गया था। वह भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था।

*३८—**श्री रूर्मासिंह**—क्या समाज कल्याण मन्त्री उक्त कैदी के शरीर की पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उसकी मृत्यु जहर के कारण हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन के सूचनार्थ संलग्न है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण भी दिया गया है। मृत्यु जहर के कारण नहीं हुई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०२–८०३ पर)

श्री रूर्मासिह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उसकी मृत्यु हुई थी उससे पहले जेल अधिकारियों ने उससे क्या कम लिया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है इस समय।

श्री रूर्मासिह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फोड़े से कैसे मृत्यु हुई क्योंकि फोड़े तो बहुत से निकलते हैं और उसके ऊपर उस फोड़े का इतना बड़ा असर कैसे पड़ा कि उससे उसकी मृत्यु हो गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया यानी हृदय में कहीं ब्लड स्पाट जाकर उलझ गया। यह लंग के लिये एक खतरनाक स्थिति होती है और उसमें आमतौर पर मृत्यु हो जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय सुरक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहर के कारण जो मृत्यु हुई है, वह जहर फोड़े के कारण बना या किसी और स्थिति में जहर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---इसमें तो यह लिखा है कि जहर के कारण मृत्यु नहीं हुई, तो आपने क्या पढ़ा ? जहर के कारण हुई या नहीं हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैंने तो नहीं पढ़ा है। माननीय पालीवाल जी ने 'हां' सुन लिया हो तो बात दूसरी है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह सदर अस्पताल में हुई है या जेल अस्पताल में हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जहां तक मेरा खयाल है यह जेल के अस्पताल में ले जाया गया था, वहीं उस का आपरेशन हुआ और वहीं बाद में उसकी मृत्यु हुई ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार का यह फोड़ा था और यह मालूम था कि इसमें मृत्यु की सम्भावना हुआ करती है तो किन कारणों से उसका आपरेशन असिस्टेंट मेडिकल आफिसर ने किया और सिविल सर्जन या दूसरे योग्य डाक्टरों की सहायता नहीं ली गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस प्रकार के फोड़ों में अक्सर मृत्यु नहीं होती, दूसरे अस्पताल में भी उसे दिखाया गया और सिविल सर्जन ने भी उस को देखा और राय दी कि उसका आपरेशन होना चाहिये और इसी के अनुसार असिस्टेंट सर्जन ने आपरेशन किया।

श्री रामकृष्ण सारस्वत---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृत्यु से कितने दिन पहले वह कैदी अस्पताल में भेजा गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१४-७-६० को उसकी दाहिनी जांघ में कष्ट था, १६ जुलाई को वह अस्पताल में भर्ती हुआ और १९ जुलाई को उसके आपरेशन हुआ और उसके बाद २०-७-६० को उसकी मृत्यु हुई।

श्री देवनारायण भारतीय---अभी मंत्री जी ने ऊपर कहा है कि वह खतरनाक किस्म का फोड़ा था, तो जब वह फोड़ा खतरनाक था तो उस का आपरेशन मेडिकल कालेज में या किसी और अच्छे डाक्टर की देखरेख में क्यों नहीं कराया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि वह खतरनाक किस्म का फोड़ा था, मैंने कहा कि फोड़ा तो मामूली किस्म का था लेकिन वह सिम्पटम जिसको पल्मोनरी एम्बालिज्म कहते हैं वह एक खतरनाक सिम्पटम है, यह कभी-कभी किन्हीं रोगों में हो जाता है जिसके कारण अक्सर मृत्यु हो जाती है।

श्री देवनारायण भारतीय--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि फोड़ा बहुत खतरनाक किस्म का था और ऐसी हालत में अक्सर मृत्यु हो जाया करती है लेकिन अब वह अपने उस बयान को भी बदल रहे हैं कि फोड़ा खतरनाक किस्म का था और उससे मृत्यु हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जो मैंने कहा था मैं उस को फिर दोहराना चाहता हूं, यह मैंने कभी नहीं कहा था कि वह फोड़ा खतरनाक था, जो नोटिंग यहां हुई है उससे भी यह स्पष्ट हो जायगा। मैंने कहा था कि पल्मीनरी एम्बालिज्म की एक खतरनाक स्थिति है जिसमें अक्सर मृत्यु हो जाती है।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह खतरनाक सिम्पटम्स मृत्यु से कितने दिन पहले डेवलप हुये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरा खयाल है कि १९ जुलाई को आपरेशन हुआ, उसी दिन हुये होंगे या दूसरे दिन हुये होंगे, इसका जिक्र तो इस रिपोर्ट में नहीं है कि वह सिम्पटम्स किस तारीख को डेवलप हुये, लेकिन आपरेशन १९ को हुआ और २० को मृत्यु हुई, इन पल्मीनरी एम्बालिज्म के सिम्पटम्स का जिक्र इस पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में है जो कि सदन की मेज पर रखी गई है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह फोड़ा आपरेशन के बाद खतरनाक बना और उसका कारण यह था कि जिन औजारों से आपरेशन किया गया वे इतने गन्दे थे कि उनके कारण वह खतरनाक स्थिति पैदा हो गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह गलत है और मैं आपकी आज्ञा से इस चीज को स्पष्ट करने के लिये पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में जो काज आफ डेथ लिखा है उसको पढ़ना चाहता हूं --

"The boil was opened up before one day of death, pulmonary infection was caused which is known as imbolism."

यह शब्द हैं। इससे स्पष्ट है कि खतरनाक किस्म का फोड़ा नहीं था, फोड़ा सरल ही था, लेकिन कई बार इस तरह के सिम्पटम्स पैदा हो जाते हैं कि पल्मीनरी इम्बालिज्म में यह होता है कि ब्लड स्पास्ट्स लंग्ज में चले जाते हैं और उसके कारण मृत्यु हो जाती है।

*३९-४०--**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)--[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

महिला मंगल कार्य में एकीकरण

*४१--**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित नारी मंगल योजना और गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण योजना (जोकि महिलाओं के उत्थान से ही सम्बन्ध रखती है) का समन्वय कर वह कब से कार्य आरम्भ करने जा रही है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--गत वर्ष यह निश्चय किया गया था कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड अपने प्रोजेक्ट तथा समाज कल्याण विभाग अपने महिला मंगल केन्द्रों को विकास क्षेत्रों में ही स्थापित करेगी। महिला मंगल कार्य में एकीकरण लाने की दृष्टि से विकास क्षेत्रों में संचालित समस्त महिला मंगल कार्य-क्रम का संपादन राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की योजना समन्वय समिति की देख रेख में हो रहा है।

जेलों में बिजली के नलकूप

*४२--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में बिजली है, उन जिलों की जेलों में बिजली के नलकूप लगा देने पर वह विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस मसले पर पहले से ही सरकार विचार करती आ रही है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कौन-कौन सी जेलों में बिजली के नलकूप लगाये जा चुके हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मेरे पास उनकी फेहरिस्त है, आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--पढ़िए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

केन्द्रीय जेल, आगरा	.. ..	१	नलकूप
जिला जेल, आगरा	.. ..	१	,,
केन्द्रीय जेल, नैनी, इलाहाबाद	.. ..	२	,,
केन्द्रीय जेल, बरेली	.. ..	२	,,
जिला जेल, बरेली	.. ..	१	,,
किशोर सदन, बरेली	.. ..	१	,,
केन्द्रीय जेल, वाराणसी	.. ..	२	,,
जिला जेल, वाराणसी	.. ..	१	,,
आदर्श जेल, लखनऊ	.. ..	१	,,
जिला जेल, लखनऊ	.. ..	१	,,
रिफार्मेटरी, लखनऊ	.. ..	१	,,
जिला जेल, अलीगढ़	.. ..	१	,,
जिला जेल, गोंडा	.. ..	१	,,
जिला जेल, हरदोई	.. ..	१	,,
जिला जेल, रामपुर	.. ..	१	,,
जिला जेल, शाहजहांपुर	.. ..	१	,,

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--सरकार की योजना क्या है ? जितनी जेलें हैं उनमें सभी में नलकूप लगा दिये जांय या केवल कुछ में लगाये जांय, क्या स्कीम है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकार की स्कीम मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित है। एक यह कि जहां तक संभव हो सके जहां पर बिजली है वहां नलकूप लगाया जाय, ऐसी योजना है। लेकिन इसमें से कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें कि नलकूप लगाना संभव नहीं है जैसे अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, नैनीताल, इनमें नलकूप नहीं लग सकते। इसके अतिरिक्त जिन जिलों का जिक्र किया कि इनमें नलकूप हैं उनके अलावा मेरठ जिले में भी एक है।

इसके अलावा जो और जिले हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें नलकूप आजकल बन रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें हम नलकूप बनाना चाहते हैं, और प्रायः जिन जिलों का जिक्र किया--तीन चार जिलों को छोड़कर, बाकी सब स्थानों में लगाने की योजना है, यदि हम लगा सके। लेकिन कहीं-कहीं यह भी संभावना है कि म्युनिसिपलबोर्ड से या कि हीं दूसरे साधनों से हमें जल मिल सकता है। अगर म्युनिसिपलबोर्ड से मिल जाय या दूसरे साधन से मिल जाय तो उसके बाद हम विचार करेंगे कि नलकूप जरूरी है या नहीं। पीने के पानी के लिये तथा जेल की खेती के लिये--दोनों के लिये ही योजना है।

लखीमपुर तहसील में लेखपाल के विरुद्ध शिकायत की जांच

*४३--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में जुलाई, १९५९ से अब तक लेखपालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें परगनाधीश के पास आई हैं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--दो शिकायतें प्राप्त हुईं, जो एक ही लेखपाल के विरुद्ध थीं। आरोप सिद्ध न होने के कारण दोनों शिकायतें खारिज कर दी गईं।

श्री शिवप्रसाद नागर--माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये दोनों शिकायतें व्यक्तिगत थीं या सामूहिक थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--दो व्यक्तियों ने शिकायतें की थीं।

श्री शिवप्रसाद नागर--शिकायत की जांच मौके पर जाकर किसी अधिकारी ने या हाकिम परगना की अदालत में दोनों पक्षों को बुला कर की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जांच हाकिम परगना ने की। यह सूचना हमारे पास इस समय नहीं है कि मौके पर की या अदालत में बुलाकर की।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--ये शिकायत किस प्रकार की थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इन शिकायतों में लेखपाल के विरुद्ध रिश्वत लेने के आरोप थे जो सिद्ध नहीं हुये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--ये शिकायतें जब जांच की गईं तो शिकायत करने वालों को बुलाया गया था या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, आम कायदा यही है कि पहले जो शिकायत करता है उसी को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है। उसके बाद उससे सबूत के लिये कहा जाता है। यही तरीका बरता जाता है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस एक ही पटवारी के खिलाफ दो शिकायतें आयीं उनकी जांच के लिये कितनी बार शिकायत कुनिन्दाओं और उनके गवाहों को बुलाया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री शिवप्रसाद नागर--अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत दिनों तक जांच चलती रही और कई-कई बार लोगों को बुलाया गया तथा बड़ा हैरेस किया गया, लेकिन फिर भी शिकायत खारिज कर दी गई। इसलिये यह प्रश्न उठाया गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आपको सब पता है तब सवाल हमसे क्यों पूछते हैं ?

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि इस लेखपाल की जांच कम-प्लेन्ट अफसर से करायी गई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेम--मेरी सूचना के अनुसार एस० डी० ओ० ने की।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग को सुविधाजनक बनाने की प्रार्थना

*४४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि इस साल जून के उत्तरार्द्ध में बद्रीनाथ, केदारनाथ के यात्री वर्षा से सड़क टूट जाने के करण जोशीमठ, द्रप्रयाग और कर्ण-प्रयाग में फंस गये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । श्रीनगर व रुद्र-प्रयाग के बीच एक दिन यातायात अवश्य २ घंटे के लिये रुक गया था, परन्तु इस कारण कोई यात्री इन स्थानों में नहीं फंसे । पैदल यात्रियों के लिये हमेशा रास्ता खुला रहता है ।

*४५--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार इन सड़कों को मजबूत बनाने के लिये कोई कदम उठा रही है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं । इन स्थानों में जमीन का धसना व चट्टानों का फिसलना रोका जाना सम्भव नहीं है ।

*४६--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या यह सही है कि उपर्युक्त फंसे हुये यात्रियों के लिये इन स्थानों पर सफाई (सेनीटेशन), पानी और खाने तक की तकलीफ थी ? अगर हां, तो सरकार इन असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल-- कुछ समय के लिये यातायात रुका था किन्तु उससे इन स्थानों में कोई यात्री नहीं फंसा । सरकार ने यात्रियों की सुविधा व आराम के लिये यात्रा मार्ग पर पक्के शौचालयों व विश्राम गृहों का निर्माण किया है और जगह-जगह औषधालयों व मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किये हैं । सफाई का समुचित प्रबन्ध तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये ६ सफाई निरीक्षक नियुक्त किये हैं । जिन स्थानों में पानी नहीं है वहां पानी का प्रबन्ध करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मंत्री महोदय ने कहा है कि यातायात २ घंटे के लिये रुक गया और उसके बाद कहा गया कि पैदल यात्रियों के लिये हमेशा रास्ता खुला रहता है । तो जो यातायात २ घंटे के लिये रुका वह बसेज और मोटरों के लिये का या पैदल यात्रियों के लिये भी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा मालूम होता है कि मोटर वेहिकिल्स ट्रेफिक रुक गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि प्रश्न में जो बात कही गई कि यात्री वहां फंस गये हैं और उनके लिये पानी, चिकित्सा और खाद्य पदार्थों का कोई प्रबन्ध नहीं था यह समाचार लखनऊ और दिल्ली के अंग्रेजी दैनिकों में छपा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने नहीं देखा । अखबार बहुत कम देखता हूं, लेकिन छपा होगा, आपने देखा तो ठीक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सड़क के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये क्या सरकार यह सिफारिश कर रही है कि इसे मजबूत बनाने के लिये इसे नेशनल हाईवे घोषित किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई कार्यवाही हुई है । यह जमीन बड़ी अजीबो-गरीब है, लेकिन अभी हमने कुछ किया नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दूं । सरकार इस सड़क के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये, यह देखते हुये कि प्रति वर्ष लाखों यात्री उधर से गुजरते हैं और १५०-२०० मोटरें एक एक दिन में ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं, इसको नेशनल हाईवे घोषित कराने के बारे में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी हमने कुछ निश्चित नहीं किया है ।

श्री गेंदासिंह---मंत्री जी बहैसियत उप-नेता सदन के इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिन अखबारों को वह खुद नहीं पढ़ते हैं उन अखबारों को दूसरे लोग पढ़ करके उनके विभाग के सम्बन्ध में कोई बात हो तो उन तक पहुंचादें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वक्तन फवक्त न कटिंग्स आती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जहां पानी नहीं है वहां पानी का प्रबन्ध कर रहे हैं, तो उस समय जहां पानी नहीं था वहां तकलीफ हुई होगी । लेकिन अब पानी का क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पाइप लगा करके पानी पहुंचा रहे हैं ।

कुमायूं डिवीजन के पटवारियों को चिकित्सा सुविधायें देने पर विचार

*४७---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यद्यपि १९५६ में कुमायूं डिवीजन के पटवारियों के पद का स्थायीकरण कर दिया गया परन्तु फिर भी उन्हें चिकित्सा एवं अन्य सुविधायें जो अन्य स्थायी राजकीय सेवकों को दी जाती हैं क्यों नहीं दी गईं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---कुमायूं डिवीजन के पटवारियों को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता वही मिलता है जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है । जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने का प्रश्न है, यह सरकार के विचाराधीन है ।

*४८---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि कुमायूं डिवीजन के पटवारियों को अर्जित (earned) व मेडिकल छुट्टी (medical leave) भी बिना तनख्वाह (without pay) दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन पटवारियों का स्थायीकरण कब किया गया और इतना बिलम्ब इनकी छट्टी तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा देने में क्यों हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---१ अप्रैल, १९५६ से किया गया है । उनकी सेवा नियमावली के बनने में विलम्ब हुआ है इसी कारण यह व्यवस्था नहीं की गयी है । वह पूर्ण हो जायगी तो यह व्यवस्था हो जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको चार साल हो गये स्थायी हुये लेकिन नियमावली अब बन रही है तो नियम बनाने में कितनेसाल लगेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---साल भर लगेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब ये स्थायी घोषित होने जा रहे हैं तो इन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा जो अन्य राज्य कर्मचारियों को भी दी जाती है विचाराधीन क्यों है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मैंने उत्तर दिया कि अन्य सभी सुविधायें दी जाती हैं केवल चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न विचाराधीन है । अन्य लेखपाल जो प्रदेश के हैं उन्हें भी यह सुविधा प्राप्त नहीं है । इन लेखपालों का सम्बन्ध गृह विभाग से है और दूसरे विभाग का भी कार्य करते है, उन सबके परामर्श से जो नियमावली बनेगी तब यह निश्चय किया जायगा कि यह सुविधा उन्हें दी जाय या नहीं ।

बुलन्दशहर जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

*४९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं है और कब से ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--बुलन्दशहर जिले की निम्नलिखित राजकीय डिस्पेन्सरियों में, उनके सामने दी हुई तिथियों से डाक्टर नहीं हैं--

(१) अनूपशहर	..	८ अगस्त, १९६०
(२) राजघाट	..	१२ फरवरी, १९६०
(३) मौन बहादुरनगर	..	२४ मई, १९६०
(४) ऊंचा गांव	..	१ अप्रैल, १९५८

उपरोक्त सभी डिस्पेन्सरियों में डाक्टरों की नियुक्ति के आदेश हो चुके हैं और बहुत शीघ्र ही वे चार्ज ले लेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल--इन चार डिस्पेंसरीज के अतिरिक्त सिकन्दराबाद, दादरी तथा बरौला में एक डाक्टर रहता है जिसको रोटेशन से तब्दील करते रहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सिकन्दराबाद में हमने खैरिया से भेजा है तो वह रोटेशन आता नहीं है । इन दोनों के बारे में नोटिस की जरूरत है । इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री रामचन्द्र विकल--बुलन्दशहर जिले में भंगकर हैजा होने से डाक्टरों का डिस्पेंसरी में न रहने के कारण मृत्युएं हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमने तो चारों तरफ से डाक्टर भेजे हैं, हेल्थ आफिसर भेजे हैं, असिस्टेंट डाक्टर्स भी भेजे हैं । कोशिश हम कर रहे है, लेकिन बहुत संभव है कि ऐसी मृत्यु हो गयी हों जहां डाक्टर न रहे हों ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--जब डाक्टर नहीं रहता है इन अस्पतालों में तो कौन दवाइयां बाटता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ज्यादातर ट्रेन्ड कम्पाउंडर्स बांटते हैं ।

श्री भीखालाल--एक डिस्पेंसरी ऊंचा गांव है जिसमें १९५८ से डाक्टर नहीं है वहां डाक्टर को तैनात करने का क्या प्रयास किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आर्डर्स तो दे चुके है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में आज के "नेशनल हेराल्ड" में अपना कार्टून देखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं तो शीशे में अपना कार्टून देख लेता हूं, अखबारों में नहीं देखता ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चारों तरफ से बुलन्दशहर जिले में डाक्टर भेजे गये हैं वे अभी तक वहां पहुंच पाये हैं या नहीं और अगर पहुंच गये हैं तो अब तक हैजे पर काबू हो पाया या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहुत काबू हो गया है ।

*५०--श्री पन्नेराम (जिला गाजीपुर)--८ सितम्बर, १९६० के लिए स्थगित किया गया ।]

बागपत तहसील में संग्रह कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*५१--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने संग्रह कर्मचारियों, अमीनों और चपरासियों को धीरे-धीरे स्थायी करने का निर्णय किया है और कुछ को स्थायी कर भी दिया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां ।

*५२--**आचार्य दीपंकर**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बागपत (मेरठ) में कितने संग्रह कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--अभी तक कोई नहीं ।

*५३--**आचार्य दीपंकर**--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो स्थायी नहीं किये जा सके उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है, परन्तु सब कर्मचारियों के स्थायी किये जाने की अवधि का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थायीकरण के मुख्य-मुख्य नियम क्या हैं और ये नियम कब बनाये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इस समय नियमों के बारे में विवरण तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आदेश यह हुए हैं कि एक-तिहाई पोस्टें १९५९-६० में स्थायी कर दी जांय, एक-तिहाई १९६०-६१ में और शेष एक तिहाई को १९६१-६२ में स्थायी करने का विचार है । जो पोस्टें अबतक स्थायी की गयी हैं वह ३,६०० अमीनों की पोस्टें हैं और इतनी ही चपरासियों की हैं और जो अब तक शेष अस्थायी पोस्टें हैं उनमें २,३१३ अमीनों की हैं और इतनी ही चपरासियों की हैं ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अबतक कुल मिलाकर कितनी पोस्टें स्थायी की गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरठ जिले के हिस्से में कुल १५४ पड़ी हैं । सीनियारिटी लिस्ट बन रही है, जिस वक्त मुकम्मिल ही हो जायगी तो बागपत में भी हो जायगा ।

जेलों में समाजवादी सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें

*५४--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि जेलों में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है ? अगर हां, तो किस-किस जेल से क्या-क्या शिकायतें आई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस प्रश्न के उत्तर के लिये सूचना एकत्र करने में जो श्रम और व्यय लगेगा वह इसकी उपयोगिता को देखते हुए अधिक होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास शिकायतें आयी हैं कि जेलों में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ बुरा-व्यवहार किया जा रहा है ? अगर हां, तो किस-किस जेल से क्या-क्या शिकायतें आयी हैं ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां सेक्रेटेरियट में अपने दफ्तर से सूचना प्राप्त करने में कि उनके यहां क्या-क्या और किस-किस जेल की शिकायतें आयी हैं क्या श्रम और व्यय होता है जिससे उन्होंने इसकी सूचना प्राप्त नहीं की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——श्रम तो होता है, क्योंकि कई स्थानों से बहुत सी शिकायतें आयी हैं और उनके बारे में फिर स्थान-स्थान से पूछ ताछ भी करनी पड़ती, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं कि यदि माननीय सदस्य किसी एक के बारे में, दो के बारे में या तीन के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में कोई बात पूछना चाहें तो मुझे प्रसन्नता होगी और मैं चाहूंगा कि उसके सम्बन्ध में उत्तर दूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सब शिकायतों पर उन्होंने कोई जांच भी करायी कि बुरा व्यवहार हुआ ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——फिर भी बहुत आम सवाल है, श्रीमन्। सही बात यह है कि कई शिकायतों पर मैंने जांच करवायी। उनमें से एक मोटी शिकायत सीतापुर जेल के सम्बन्ध में यहां सदन के सामने आ चुकी है। उस पर भी जांच हो रही है और कई स्थानों पर चांज हो रही है। यदि किसी एक विशेष स्थान की बात हो तो मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि मैं उसके सम्बन्ध में पूरी सूचना देने को तत्पर हूं।

श्री उग्रसेन——क्या मंत्री जी के पास फतेहगढ़ जेल से शिकायत आई है कि कैदियों पर लाठी चार्ज किया गया और उनको बुरी तरह से मारा गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——इस समय तक मुझे यह सूचना नहीं हुई कि फतेगढ़ जेल में लाठी चार्ज हुआ।

श्री उग्रसेन——श्रीमन्, अखबारों में छपा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——मैं इतना ही कह सकता हूं कि कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं देख लूंगा।

श्री गेंदासिंह——क्या इसका अर्थ यह है कि शिकायतें इतनी अनगिनत हैं कि उनकी जांच कराने में और सदन को इत्तला देने में ज्यादा खर्चा लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——जी नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है बल्कि इतना ही है कि जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों को खाली इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब शिकायतें सदन के सामने रखी जायंगी तो उन पर अनुपूरक प्रश्न भी होंगे और माननीय सदस्य जानकारी की भी अपेक्षा करेंगे। इसीलिये मैंने निवेदन किया है। यदि किसी विशेष शिकायत की बात हो तो मैं उसको रख सकता हूं।

श्री झारखंडेराय——क्या मंत्री जी के पास बंदियों की ओर से ऐसी कोई शिकायत आई है कि जो सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये हैं कि उनके साथ वही बर्ताव होता है जो मामूली कैदियों के साथ होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——मेरा खयाल यह है कि शायद कुछ शिकायतों में इस बात की चर्चा की गई हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल——क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास जो शिकायतें आईं उनमें से कितनों की जांच कराई और जिनकी जांच कराई उनमें से कितनी सच पायी गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——श्रीमन्, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास जो शिकायतें आयीं, मैंने प्रायः उनकी जांच कराई और प्रायः उनको गलत पाया।

इलाहाबाद तथा लखनऊ हाई कोर्ट में विचाराधीन अपीलें

*५५—**श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या न्याय मंत्री की बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग तथा लखनऊ हाईकोर्ट के समक्ष अपील के कितने-कितने मुकदमे कब-कब से विचाराधीन हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—एक तालिका सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०४-८०५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९४४ से लेकर २० जून, १९६० तक जो २७,६५२ अपीलें हैं, उनके शीघ्रतिशीघ्र खत्म करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी दिक्कत यह है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत बढ़ गये हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं । जजेज का नम्बर भी हम बढ़ा रहे हैं और २२ से २४ कर दिये हैं और कुछ करने वाले हैं । हाईकोर्ट के वर्किंग डेज भी १९० से २१० कर दिये गये हैं और इसके अलावा हमने स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट में भी तरमीम की है और डिस्ट्रिक्ट जजेज को हमने औथोराइज किया है कि वह इब्तदाई आर्डर के खिलाफ निगरानी सुना करें बजाय हाई-कोर्ट के । इस तरह से हाईकोर्ट का काम बहुत कम हो जायगा और डिस्ट्रिक्ट जजेज को बजाय पांच हजार की वैल्युएशन के दस हजार की वैल्युएशन तक के मुकद्दमों की अपील सुनने का अख्तियार दे दिया है । एरियर्स को कम करने के लिये चीफ जस्टिस महोदय ने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम के मातहत वह काम कर रहे हैं । इसके मुताबिक अमल करने से क्रिमिनल केसेज में एरियर्स बहुत कम हो गये हैं और यह आशा की जाती है कि १९५९ तक के जितने भी क्रिमिनल केसेज होंगे वह सब आगामी दिसम्बर, १९६० में खत्म हो जायेंगे । पहले यह भी दस्तूर था कि जितनी पेपर बुक होती थीं वह सब प्रिन्ट होती थीं । अब यह आदेश हो गया है कि खास-खास मुकदमों में प्रिन्ट हो और बकिया में न हों । इससे समय बचेगा और समय के साथ-साथ पैसा भी बचेगा । पहले हिन्दी के तमाम कागजात का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया जाता था । अब वह भी बंद कर दिया गया है और हिन्दी से ही काम चलाया जाय । दो वैकेन्सीज हो गयी हैं । एक तो असामयिक मृत्यु होने की वजह से श्री जेम्स की और एक ही पदोन्नति हुई है । इनको भी हम फिल-अप करने जा रहे हैं । हमारा प्रयास है और हमें आशा ह कि हम शीघ्र ही सब ठीक कर लेंगे ।

हरदोई जिले के तहसील कार्यालयों में बिजली न होना

*५६—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने तहसील कार्यालय के भवनों में बिजली नहीं है जबकि उन नगरों में बिजली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश के ८४ तहसील कार्यालय के भवनों में बिजली नहीं है जबकि उन नगरों में बिजली है ।

*५७—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के हर तहसील कार्यालय-भवन में बिजली न लगवाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हरदोई जिले की केवल संडीला तहसील कार्यालय में बिजली लगाने का प्रस्ताव जिलाधीश से प्राप्त हुआ था किन्तु संडीला तहसील की नई इमारत बनने की स्वीकृति शासन द्वारा इसी वर्ष दी गई है, अतएव तहसील कार्यालय की पुरानी इमारत में बिजली लगाना ठीक नहीं समझा गया । शेष तहसीलों के लिये जिलाधीश से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

४० एकड़ से अधिक भूमि का हस्तान्तरण व दावे

१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर, श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी—२८-६-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ से २० अगस्त, १९५९ तक जिस भूमि का हस्तान्तरण (transfer) हुआ व जिस भूमि के दावे अदालत में दायर हुए उसमें से कितनी भूमि ऐसी खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न ५४ के सम्बन्ध में जो माननीय पालीवाल जी का था, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने में इसकी सूचना मंगाने में जितना श्रम और धन का व्यय होगा उसके मुकाबिले में लाभ कम होगा । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि जेलों में राजनीतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है । जेलों की बातें बाहर बहुत कम आ पाती हैं । वहां पर दुर्व्यवहार को दबाया जाय और इस तरह से सदन में भी सूचना न दी जाय, मंत्री जी का इस तरह का जवाब देना क्या उचित है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इस तरह का उत्तर दिया जा सकता है । यह हमेशा यहां का कायदा रहा है कि उत्तर में मंत्रिगण कह देते हैं कि अधिक समय लगेगा और अधिक खर्चा होगा जिसमें जनता का उतना हित नहीं हो सकता । ऐसे उत्तर कई दफा दिये जा चुके हैं । यह उत्तर ठीक बैठता है या नहीं, यह सदन खुद सोचे । मैं कोई राय नहीं देता हूं । उन्होंने इतना जरूर कह दिया है कि वह बहुत व्यापक था । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह यह चाहते हैं कि थोड़ी सी कुछ जेलों के सम्बन्ध में आप अगर जानकारी करना चाहें, उसके उत्तर देने के लिये वह तैयार हैं । इस पर आप ही लोग विचार करें, मैं कोई राय नहीं देता । यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के बाद कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि जितनी शिकायतें आयीं, उन्होंने प्रायः सब शिकायतों की जांच की और प्रायः सब शिकायतों को गलत पाया । तो जो एक आध शिकायतें बिना जांच के रह गयीं, उनका उत्तर देने में क्या श्रम और व्यय होता ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर उन्होंने दिया है वह आपके सामने है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—नियम ५० के अन्तर्गत इस पर विवाद के लिये प्रार्थना करता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय पालीवाल जी ने एक प्रश्न किया, आपने उस प्रश्न को उचित ठहराया और मंत्री जी के पास भेज दिया कि वे उत्तर दें । फिर मंत्री जी का यह कहना कि इस प्रश्न का उत्तर एकत्र करने में, उसकी सूचना एकत्र करने में, अनावश्यक श्रम और धन व्यय होगा, आपके प्रति अनास्था प्रकट करना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । मैं तो यह देखता हूं कि नियमानुकूल प्रश्न है या नहीं । उसमें कितना श्रम और धन खर्च होगा यह तो फैक्ट्स की बातें हैं । यह मंत्री ही बता सकते हैं मैं थोड़े ही बता सकता हूं ?

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)--मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि मंत्री जी ने कहा कि "मैंने सब शिकायतों की जांच की और सभी गलत पायीं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां जो बयान दिया है उसमें यह कहा कि मैं डाक्टर अवधेश के बयान से बहुत प्रभावित हुआ हूं, मंत्री जी ने उसके खिलाफ कहा है। इसके सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इसमें बहस करने की बात नहीं है। अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिसके बारे में आप समझते हैं कि उत्तर ठीक नहीं दिया गया और आप समझते हैं कि इस विषय में आपको जानकारी ज्यादा है तो आप आध घंटे की बहस मांग सकते हैं। यह आपके अधिकार में है। मैं उस पर विचार कर लूंगा, लेकिन इस समय उसके ऊपर बहस नहीं होगी।

कुछ पश्चिमी जिलों में अधिकतम वर्षा होने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत श्री टीकाराम पुजारी जी ने ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने रखा है। वह कहते हैं कि "पश्चिमी जिलों में, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में अधिकतम वर्षा के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। मथुरा जिलांतर्गत तहसील सादाबाद, मानिकपुर, बेदरिया, महरारा, वीरनगर, रसिगवां के क्षेत्रों में प्रायः किसानों की हजारों बीघे भूमि में अब भी पानी भरा हुआ है। फलतः ईख, मक्का और चारा आदि गल चुके हैं। ठीक यही हालत मांट, छाता और मथुरा तहसीलों में भी यत्र-तत्र है। बलदेव के पास झरौठा ग्राम में अधिक पानी के कारण सड़क पर आना-जाना बन्द हो गया है। नालों की अधूरी खुदाई का परिणाम पानी का रुकना और फसल का नष्ट हो जाना है। अतः में ऐसे प्रकोप के समय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।"

मंत्री जी वक्तव्य कब दे सकेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मैं ३० तारीख को इसके विषय में अपना बयान दे दूंगा। २७ तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं। कल मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आगरा जिले की खैरागढ़ तहसील के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये नोटिस दिया है। उसको भी इसी में जोड़ दिया जाय तो यह साथ ही दोनों का वक्तव्य हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--आप खैरागढ़ तहसील को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी हां, उस प्रस्ताव के अन्दर आगरा जिले के विषय में भी आया है तो यह तहसील भी उसमें जोड़ दी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्या दोनों नोटिसों को जो दफा ५२ में दी गई हों, एक साथ जोड़ा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि एक ही विषय के ऊपर दो प्रस्तावों को अलग-अलग लेना ठीक नहीं है। उसमें मथुरा के साथ-साथ आगरा जिला भी है। तो इस तहसील के विषय में भी सथि-साथ सूचना दे दी जायगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, मैंने भी एक नोटिस दफा ५२ के मातहत दी थी जिसमें फतेहगढ़ जेल के विषय में कहा गया है कि वहां पर १४ सत्याग्रही भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसके विषय में मेरे पास तार भी आया है जो मैंने श्रीमान् की सेवा में भेजा था।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैंने इसको महत्वपूर्ण समझकर ले लिया है। जिस प्रस्ताव को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं उसको ले लेता हूं। अब आप अपना विषय फिर भेज दीजियेगा तब विचार हो जायगा।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मैंने भी साम्प्रदायिक दंगे के विषय में एक नोटिस भेजा था, वह भी बहुत ज़रूरी था।

श्री अध्यक्ष---मैं एक ही ले सकता हूं, वह मैंने ले लिया।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, यह पालीवाल जी के प्रस्ताव का नोटिस हमको भिजवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह आपको भिजवा दिया जायगा।

कार्य मन्त्रणा समिति में श्री लायकसिंह के स्थान पर श्री बलदेव सिंह का मनोनयन

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। श्री लायकसिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है जिसको मैंने कल स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर श्री बलदेव सिंह को उक्त समिति का सदस्य कार्य करने के लिये मनोनीत किया है।

१२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न ११ के उत्तर का शोधन

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की १२ फरवरी, १९६० की बैठक में श्री गौरीराम गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या ११ का भूल से गलत उत्तर दिया गया था। वास्तव में उपयुक्त प्रश्न का शुद्ध उत्तर निम्नांकित है जिसे देने के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं और आपकी स्वीकृति से निवेदन करता हूं कि विधान सभा की १२ फरवरी, १९६० की कार्यवाही के विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय।

"११---सन् १९५० से लेकर १९५३ तक गोरखपुर जिले के ९३ राजनीतिक पीड़ितों को नैनीताल तराई उपनिवेश क्षेत्र में तथा २६ राजनीतिक पीड़ितों को गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में भूमि प्रदान की गयी।"

(मूल प्रश्न और उसके उत्तर के लिये देखिये सत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

श्री अध्यक्ष---मैं यह कहूंगा कि आप हर दफा यह कहते हैं कि १२ फरवरी की कार्यवाही के विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय। वह कार्यवाही तो छप चुकी है, उस कार्यवाही में तो यह संशोधन नहीं होगा, लेकिन आज की कार्यवाही में यह संशोधन इस प्रकार से छप जायगा।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा––अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh (Regulation of Building Operation)(Second Amendment) Bill, 1960], को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०७–८०८ पर)

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

खंड ३ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष––अब इंडियन फारेस्ट बिल पर बहस होगी। कल लालबहादुर जी भाषण दे रहे थे। मैं समझता हूं कि आपका भाषण समाप्त हो चुका था, केवल आप बैठे नहीं थे।

***श्री लालबहादुर** (जिला वाराणसी)––जी हां, लेकिन थोड़ा सा समय और दे दिया जाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो संशोधन गोविंदसिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं विष्ट जी की इतनी तारीफ जरूर करूंगा कि इस छोटे से विधेयक को, जिसमें कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी योग्यता और बुद्धि से तीन चार दिन चलाये रखा।

श्री अध्यक्ष––माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर बैठे रहें। एक साथ खड़े होने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––व्हिप साहब शायद अपने सदस्यों को कह रहे हैं कि अब इस संशोधन को वापस लिया जाय।

श्री लालबहादुर––उसमें दो तीन मित्रों ने बड़े एतराज किये हैं। चरागाह, खेत से लगी भूमि और जंगल से मिली हुई भूमि, इन तीन बातों पर बड़ा एतराज है। हमारे माननीय सदस्यगण जो उद्देश्य और कारण इसमें दिया हुआ है उसे पढ़ लेते तो शायद जो संशोधन विष्ट जी का है या और जो संशोधन राजा महाराजाओं के आगे आने वाले हैं, या उन पार्टियों के हैं जो अपने को लेफ्टिस्ट कहती हैं, उनका समर्थन न करते। उनका समर्थन हमारे साथ होता। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है : "इस प्रकार उठाये गये पट्टों के बल पर बहुत से हितबद्ध लोगों ने उन वनों को साफ करना आरम्भ कर दिया या वे अब ऐसा करने के लिये इच्छुक हैं। राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से इन बनों का संरक्षण नितान्त आवश्यक है।" जो कुछ किया जा रहा है जनता की भलाई के लिये किया जा रहा है।

(इस समय १२ बज कर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि पिछले जमाने में जमींदारों ने गलत या सही तरीके से सारी जमीनों को दूसरों के हाथों में दिया और उन पर लगे पेड़ों को कटवाया। उनके संरक्षण के लिये, सोशलिज्म की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिये, माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाये हैं और असल में माननीय मंत्री जी यह कदम उठा कर आपके लिये जमीन बना रहे हैं। जो सोशलिज्म के बड़े हामी बनते हैं उनके लिये आगे आने वाली दिक्कतें इस कदम से कम हो जायंगी और आसानी से किसानों और गरीबों का उत्थान हो सकेगा। आपको आगे कोआपरेटिव फार्मिंग करनी है, सहकारी समितियां स्थापित करनी हैं, और उन्हीं सब के लिये यह जंगल का अधिनियम बनाया जा रहा है।

---

†२४ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

आपको विरोध है कि जंगल से मिली हुई जमीन लिख दिया गया है। लेकिन यह इसलिये लिखा गया है कि एक तरफ जंगल का एक टुकड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा है और बीच में कोई जमीन पड़ी हुई है और पुराने जमींदारों ने किसी को दे रखी है तो उसको मिला लिया जाय। अगर वह बीच में इतनी खाली जमीन छोड़ देते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि किसी न किसी दिन किसी किस्म के झगड़े जंगल में खड़े हो जायेंगे। तो उसको बचाने के लिये भी इसको किया जा रहा है, जिससे जनता को कोई तकलीफ न हो। अगर इसके उद्देश्य और कारणों को आप पढ़ें तो उससे साफ हो जाता है कि यह तरमीम ऐक्ट में जनता की बहबूदी के लिये की जा रही है। इसलिये हमारे प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट भाइयों को तो खास करके इसमें माननीय मंत्री जी के साथ वोट करना चाहिये और जमींदारों से और पुराने राजे महाराजे जो हैं उनसे कहना चाहिये कि भाइयों जो धांधलियां आपने अब तक की हैं उनको अब नहीं चलने दिया जायगा।

आप देखें कि इसी खंड में आगे एक संशोधन श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह, वीरेंद्रशाह तथा कुंवर श्रीपाल सिंह जी के नाम से इस प्रकार का छपा है:--

"खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की पंक्ति ४ में शब्द 'Government' के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे :

"Provided that it shall not include grove or groveland provided under section 18 of U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1951."

इस चीज के छपे रहने के बाद भी हमें आपसे बार-बार निवेदन करना पड़ रहा है कि आप लोग जो संशोधन विधेयक मंत्री जी लाये हैं उसको माना जाय जनता की भलाई के लिये। एक बड़ी पुरानी कहावत है "बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय"। उसके लिये लोगों को त्याग करना पड़ेगा। अगर हम इतना भी त्याग करने के लिये तैयार नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का उत्थान कैसे होगा। यह हमारी प्रारम्भिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के उत्थान के लिये त्याग करें। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिये दूसरों को शिक्षित करें। यह क्या कि खुद तो त्याग करने से रहे लेकिन जो लोग कर रहे हों उनको भी रोकें। इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिये बड़ी-बड़ी कुरबानियां की गयी हैं, उसकी रक्षा के लिये की गयी हैं और आगे भी की जावेंगी। उसके लिये हमारी पार्टी और हमारी सरकार हर बलिदान करने के लिये तैयार है। इसमें बड़े से बड़े कामों को करने के लिये कुछ लोगों को कष्ट भी हो सकता है आगे और भी होंगे, लेकिन उसके कारण बड़े-बड़े कामों को रोका नहीं जा सकता। अगर आज हम इन फारेस्ट्स को प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे तो कल बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस देश में जहां बड़े-बड़े त्यागियों की कमी नहीं है वहां बड़ी-बड़ी बंगलिंग करने वाले लोग भी हैं। क्या आप गारन्टी देंगे कि किसी किस्म की बंगलिंग नहीं होगी। यह कहने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती कि कोई बंगलिंग नहीं होगी, कोई इसके लिये गारन्टी नहीं दे सकता, फिर क्यों न सरकार "बहुजनहिताय बहुजनसुखाय" वाला ही काम करे।

कहा जाता है कि यह पंचायतों को कैसे जायगा ? तो जो पुराना है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे जो नया संशोधन आया है स्पष्ट हो जायगा कि यह उसमें निहित कर दिया गया है कि जो प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स होंगे वह पंचायतों को दे दिये जायेंगे। लेकिन उसके लिये आप कम से कम शक्ति तो दीजिये और उन्होंने सिर्फ १५ साल की अवधि रखी है। एक नेशन को बनने के लिये इतनी अवधि कोई बड़ी अवधि नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नेशन बने तो कम से कम अपने संशोधन को वापस लीजिये। विष्ट जी को तो मैं खास करके

बधाई देता हूं, उनकी तारीफ करता हूं कि यह एक छोटा-सा विधेयक है जो एक दिन में पास होना चाहिये था उसमें तीन-तीन, चार-चार दिन आपने लगा दिये। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लें और जल्दी से इसको पास करें।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट का नाम पुकारा गया।)

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सदस्य नहीं बोला है, हमें भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल की प्रोग्रेस बहुत स्लो है। तीन दिन बाद भी अभी तक बहस तीसरे खंड पर ही हो रही है। तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे व्यतिक्रम न करें जिससे कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं और वह यह कि क्या इस बिल के लिये विजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कोई टाइम निर्धारित किया है ?

श्री अधिष्ठाता--टाइम कोई निर्धारित नहीं किया है।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आपको तो धैर्यतापूर्वक मेम्बरों को सुनना चाहिये। अगर कोई इर्रेलेवेंट बोल रहा हो तो उसको आप रोक सकते हैं लेकिन समय की पाबन्दी नहीं कर सकते। माननीय सदस्यों को बिल पर अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता--मैंने तो यह निवेदन किया था कि व्यतिक्रम न हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है और वह यह है कि संविधान के अनुसार हमको इस बात की स्वतंत्रता है कि हम बोलें। यह बिल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका लाखों और करोड़ों लोगों की जिन्दगी से सम्बन्ध है, एक-एक क्लाज पर डिस्कशन होना जरूरी है। अगर इस समय हम नहीं बोलेंगे तो फिर कब हमको अवसर मिलेगा। यह भी होता है कि सरकार कभी कभी इस समय तो हमारे संशोधनों को नहीं मानती है, किन्तु आगे चल कर वह उन्हें मान लेती है। यही हमको मौका मिलता है। इसलिये आप मुझे केवल ५ मिनट का मौका दें इस संशोधन पर बोलने का। मैं यह निवेदन कर रहा हूं . . .

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रूमसिंह--श्रीमन्, इस बिल पर हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं बोला है।

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया बैठिये। अगर समय होगा तो मैं आपको मौका दूंगा। यह जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को बोलने का मौका दें ही।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज दो दिन से मेरे संशोधन पर बहस हो रही है। करीब १३-१४ माननीय सदस्य इस संशोधन पर बोल चुके हैं और मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने जनता के हित को ध्यान में रखकर मेरे संशोधन का समर्थन किया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा काम कुछ और हल्का हो गया है। श्रीमन्, आप देखें, जितना विवादास्पद यह बिल रहा है, उतना बिल इस आदरणीय सदन के इतिहास में शायद ही कोई रहा हो। जितनी बातें भी कही गयी हैं इस बिल के सम्बन्ध में उसमें विरोधी दलों ने उतना विरोध नहीं किया है जितना कि कांग्रेस

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

वालों ने किया है । केवल लालबहादुर सिंह जी जरूर एक ऐसे बहादुर निकले जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया। लेकिन श्रीमन्, उन्होंने भी यह कहा अपनी सारी तकरीर में कि हमें इसको खत्म करना है, हमें उसको खत्म करना है, लेकिन मेरिट्स के संबंध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वे इस बिल की मेरिट्स पर नहीं गये।

मेरी समझ में यह चीज नहीं आती कि एक तरफ सरकार इस बात का दावा करे कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो १९५० का था उससे किसानों को राहत मिल गयी और जो उनको जमींदारों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता था वह खत्म हो गया और दूसरी तरफ सरकार कहे कि जमींदार बने हुए हैं, वह अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या इसके माने यह नहीं कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बिलकुल फेल हुआ और सरकार बिलकुल असफल रही है ? यह जो करोड़ों और अरबों रुपया उसने खर्च किया वह जाया हो गया जोकि जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई से वसूल हुआ था, वह यों ही चला गया। इसलिये दोनों तर्क हम अपने सामने रखें।

श्री लालबहादुर सिंह ने कहा कि बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा है इसलिये यह बिल बहुत अच्छा है। उन्होंने उसमें से पढ़ कर सुनाया, "इस प्रकार उठाये गये पट्टों के बल पर बहुत से हितबद्ध लोगों ने उन बनों को साफ करना आरम्भ किर दिया था वे अब ऐसा करने के लिये इच्छुक हैं"। तो १९५६ में सरकार लायी थी इस फारेस्ट बिल में ताकि जो जमींदारों ने पट्टों पर जमीनें उठा दी हैं, उन पर जो जंगल लगे हों उनको कोई काट न पाये।....

(इस समय एक सदस्य डायस पर आये)

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया डायस पर आने की कृपा न करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं कह रहा था कि १९५६ में सरकार इसी फारेस्ट विधेयक पर संशोधन लायी, वह इसी नाते किया, उसमें उद्देश्य और कारण ऐसे ही थे जो कि धारा ३८-ए, बी, सी डी, इत्यादि में दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने पट्टे पर जमीन ली हो और उस पर अगर वन लगा हो तो उसको कोई काट न सके। उसमें यह शक्ति दी गयी कि उसकी पूर्ति हेतु नोटिफिकेशन निकलेंगे, बजट में घोषणाएं होंगी शायद माननीय लाल बहादुर का ध्यान अपने तर्कों का जवाब सुनने की ओर नहीं है। तो उस समय भी यही तरमीम की गयी थी और उद्देश्य और कारणों में कहा गया था कि जमींदार लोग उन पट्टों पर उठायी गयी जमीनों या जिन्होंने वे ली हैं उनपर लगे हुए बनों को नहीं काट सकेंगे, उनको प्रोटेक्टेड करार दे दिया गया और उस पर पाबन्दियां भी लग गयीं। तो फिर जब पाबन्दी लगा दीं, नोटिफिकेशन कर दिया तो इसके बाद किसी के ऊपर दोषारोपण करना कहां तक उचित है।

श्रीमन्, देखेंगे कि बाद को स्वयं सरकार ने उन नोटिफिकेशंस को वापस ले लिया और १९५६ की जो फारेस्ट विभाग की सालाना रिपोर्ट निकली है उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि बाद को ऐसा लगा कि ये नोटिफिकेशन ठीक नहीं हैं, यानी जो लोग जंगल साफ करना चाहते थे ग्रो-मोर-फूड के नाते उनको एक मौका और लेजिस्लेटिव सरकार ने दिया, अंग्रेजी में एक शब्द है "इम्पीटस" दिया। तो उन्होंने जमीनों को साफ किया, कमाया और सरकार ने उनको यह मान्यता दी कि इस जमीन के ऊपर तुम अपनी काश्त कर सकते हो, अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हो। तो फिर अब उन्हीं जमींदारों का नाम लिया जाय मुझे जमींदारों से कोई हमदर्दी नहीं, मैं तो उस भाग का रहने वाला हूं जहां जमींदार नाम की कोई वस्तु नहीं रही, लेकिन सरकार को जमींदार-जमींदारो कहकर अपनी कमजोरी नहीं छिपानी चाहिये, यह उचित नहीं है और यह थोथी और लंगड़ी दलील है।

माननीय लालबहादुर हमें त्याग की शिक्षा दे गये।

श्री अधिष्ठाता—इसे छोड़िये, कुछ और बात कहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जब वह कह रहे थे उस समय आपने नहीं टोका, इसलिये उसका जवाब देना जरूरी है। अगर नहीं दूंगा तो कल को कहेंगे कि मैंने यह बात कही थी, उसका जवाब नहीं दिया। तो वह हमें त्याग की शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमन्, जब अंग्रेज यहां थे तो हमारा बजट करीब २६ करोड़ का था, लेकिन अब १३३ करोड़ का है। इतने टैक्स किसान और गरीबों के ऊपर पड़ रहे हैं फिर भी अन्न का पूरा नहीं पड़ता, पेट भरता नहीं है, वस्त्र नहीं मिलते। उनका त्याग हो चुका है अब केवल प्राण हैं। क्या लाल बहादुर जी अब उनके प्राणों का भी त्याग चाहते हैं। वे कहते हैं कि जनता गारण्टी दे कि हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन गारण्टी तो सरकार को देनी है कि किसानों की जमीन नहीं ली जायगी, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जायगा, जंगलों से लगी हुई ज्यादा भूमि नहीं ली जायगी। लेकिन इस संशोधन में तो अनलिमिटेड अधिकार दिये हुए हैं। इसमें लिखा है—

"Such pasture land, water-logged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest as may be declared to be a forest by the State Government."

यानी चाहे गोचर भूमि हो और चाहे वह खेती के काबिल हो, वह जंगल में शामिल हो जायगी। इतना ही नहीं कि उसमें खेती होती हो, बल्कि जो भूमि खेती के काबिल भी होगी, वह भी इसमें आ जायगी। इतना ही नहीं, जंगलों से मिली हुई कोई भी जमीन हो वह भी कौन ऐसी भूमि है जिसको आप लेना नहीं चाहते हैं। आपको लिमिट रखना चाहिये कि १, २, १०, १०० या लाख एकड़ भूमि लेंगे या १, २, १० मील या फरलांग तक जमीन लेंगे। इस प्रकार से हो तब तो कुछ लिमिट हो भी सकती है वरना इतना व्यापक संशोधन है कि उसमें वाराणसी और दिल्ली भी आ सकती है, क्योंकि तराई भावर, बुन्देलखंड, रुहेलखंड, इटावा और गंगा का सारा प्लेन उसमें आ जाता है। इसलिये इससे बड़ा अत्याचार होने का डर है।

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि मेरी बात का समर्थन किसने किया? विरोधीपक्ष वालों ने ही नहीं बल्कि टेहरी-गढ़वाल के माननीय सदस्य जो कि कांग्रेस के हैं। इसके अलावा वाराणसी के सदस्य कांग्रेस के, झांसी के, मुरादाबाद, गोरखपुर और देवरिया के रहने वाले सदस्यों तथा इटावा के सदस्य ने मेरा समर्थन किया। अब अगर यू० पी० के नक्शे को सामने रखा जाय तो मालूम होगा कि कोई दिशा ऐसी नहीं है जिसके माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन न किया हो। उसका कारण बिल में इस प्रकार की धारा होने का है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह बिल ही सारा का सारा Blackest Law है। इसका संबंध कुमायूं की साढ़े बाईस लाख जनता से ही नहीं है बल्कि सारे प्रदेश की करोड़ों जनता से है। जहां कहीं भी जंगल है उसके आसपास की सारी जनता पर इसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। जब से यह बिल आया है, आदरणीय सदन में कनवेंसिग हो रही है। कांग्रेस बेंचेज पर बैठने वाले ह्विप बिल के समर्थन हेतु जबरदस्ती कन्वेंसिग कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी, आप मुझे यह बतायें कि कौन कनवेंसिग कर रहा है। आप कृपया उनका नाम लें तो मैं उन से पूछ लूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं श्रीमन्, कोई कार्यवाही की नीयत से नहीं कह रहा था।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)—यह आक्षेप गलत है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जो साहब गलत कह रहे हैं मैं कोई उनका नाम तो नहीं ले रहा हूं, मैंने केवल इशारा किया है। यह तो श्रीमन्, ऐसा ही हुआ कि ी ने एक आदमी से पूछा कि इधर चोर गया है तो उ ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं। इसको मैं छोड़े देता हूं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कल फरमाया कि बहुत से माननीम सदस्य इस बिल का इसलिये विरोध कर रहे हैं कि उनको आशंका है कि बाद में सरकार तमाम जंगल

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

को ले लेगी। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यहां तकल्लुफ की वजह से या शिष्टाचार की वजह से, लखनऊ में पले हुए हैं, इसलिये यहां की सभ्यता और तमद्दुन की वजह से इस बात को कह दिया, परन्तु इस बिल में जो बातें लिखी हुई हैं वे माननीय मंत्री जी की चिकनी चुपड़ी बातों से हल होने वाली नहीं हैं। अगर माननीय मंत्री जी ऊपर से रूखापन न दिखाने के बदले दिल से रूखापन निकाल दें तो उससे लोगों का ज्यादा भला हो सकता है। क्योंकि जिस वक्त कोर्ट में इस बिल को चैलेंज किया जायगा उस वक्त असेम्बली में दिये हुए माननीय मंत्री जी के भाषण कोट को नहीं किया जायगा। वहां तो जो कानून की किताब में लिखा हुआ है उसका सीधा इंटरप्रिटेशन होगा। अगर कोई कानूनी अड़चन मूल धारा में आये तो हाशिये में लिखी हुई बात को कोट करके स्थिति को सुलझाया जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के आश्वासन के खिलाफ आज तो बातें हो रही हैं उसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां पर मौरनौला व शहरफाटक नाम के स्थान हैं जहां करीब के स्रोतों में मवेशी बराबर पानी पिया करते थे। लेकिन अब वन विभाग द्वारा उसे कांटेदार तारों से घिरवा दिया गया है और मेरी कितनी कोशिश के बावजूद भी मवेशियों के लिये रास्ता तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां खास पर्जा तालासालम, मालासालम आदि पट्टियां नामों से हैं, उनमें दीवार या नुकीले तारों से भूमि घिरवा दी गयी है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी है। इसी तरह से अल्मोड़ा के भी कई स्थानों में लोगों को परेशानी है। मैंने कई बार इसके लिये लिखा भी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, जो आपकी तरफ ही के बैठने वाले हैं, उनके गांवों की बात ही पूछ ली जाय कि मेरी बात में कहां तक और कितनी सच्चाई है। वहाँ पर गांवों की आबादी के बीच वन विभाग द्वारा सीमेंट के खम्भे लगाने के लिये लाये गये थे।

श्री अधिष्ठाता--आपने जो बातें कल कहीं उन्हीं को आज पुनरावृति हो रही है।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--श्रीमन्, मैं यही अर्ज करने जा रहा था कि सिवा उन्हीं बातों को दोहराने के और कोई नई बहस नहीं की गयी है। सिर्फ वक्त जाया किया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं तो अभी खड़ा ही हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैंने कल भी सुना था कि आपने कहा कि सीमेंट के खम्भे बनाकर घिरवा दिया गया है, आज भी आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय मंत्री जी ने उसका कंट्राडिक्शन तो नहीं किया, जो बातें कही जायं उनका जवाब उनको देना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी जिस बात का उत्तर देना उचित समझते हैं उसका उत्तर देते हैं और जिसे गैरमुत्ताल्लिक समझते हैं उसका उत्तर नहीं देते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जब से माननीय चरण सिंह गये, तब से एक भी मंत्री ऐसा नहीं रह गया है जो हमारी बातों का कोई उत्तर दे। खैर, उस बात को छोड़िये। माननीय सुषमा प्रसाद गोस्वामी ने जो तर्क उपस्थित किया उसको ही मैं अपनी शहादत के लिये पेश करता हूं। आदरणीय सदन में उन्होंने इस तरह से कहा कि रास्ता देने की बात तो दूर रही, लोगों के चूल्हे तक में खूंटे गाड़े गये, उनके शालिहानों तक में खूंटे गाड़े गये, उनकी

काश्त तक में खूंटे गाड़े गये और यहां माननीय मंत्री जी के इस लाडले विभाग ने सिर्फ उनकी झोपड़ियों में एक दियासलाई लगा दी, लंकादहन कर दिया। नैनीताल के पास डिमरी जी की शहादत आपके सामने है जहां किसानों की झोपड़ियां जलायी गयीं ....

श्री अधिष्ठाता--यहां पर शहादत की क्या बात है ? जिन माननीय सदस्यों ने आपके संशोधन का विरोध किया है उनका उत्तर दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन का विरोध किया है उनका उत्तर देना आवश्यक है, लेकिन जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है उनको जवाब देना आवश्यक नहीं है। यह तो श्रीमन्, आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी आज्ञा से तो मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अपने तर्क के प्रमाण में ....

श्री शिवप्रसाद नागर--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, यह तो हमारा अधिकार है ....

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, व्यवस्था का प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है, लेकिन अव्यवस्था का अधिकार आप को नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर--श्रीमन्, मैं अव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे व्यवस्था का प्रश्न ही आपके सम्मुख रखना है।

श्री अधिष्ठाता--अच्छा कहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर--मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी भी संशोधन पर कोई भी संशोधनकर्ता यदि अपने भावों को व्यक्त कर रहा हो तो वह अपने भाव व्यक्त करे या चेयर से जो आदेश मिलें उनके अनुसार कहे।

श्री अधिष्ठाता--इर्रेलेवेन्ट बातें कभी नहीं कही जा सकतीं, भाव व्यक्त करने का यहां सवाल नहीं है। जो संशोधन पेश करते हैं वह उसके पक्ष में तर्क देते हैं और जब उनको दोबारा जबाब देने का मौका मिलता है तो उस वक्त वह जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है उनके तर्कों को काट सकते हैं अपने तर्कों से। इतना ही अधिकार है, किसी से आदेश ले लेने का सवाल नहीं है। मुझे इर्रेलेवेन्ट बातों को रोकने का अधिकार है और मैं रोकूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--आपके यह कहने के अनुसार, एक व्यवस्था और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--आप तो बार-बार बाधा डाल रहे हैं। कहिये क्या कहना है।

श्री शिवप्रसाद नागर--कल माननीय लाल बहादुर जी ने उनके संशोधन का विरोध किया था और उनका वह जबाब दे रहे थे, उस वक्त आप ने उनको रोक दिया कि आप एक ही बात कहे जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, आप बैठें अगर श्री लालबहादुर जी ने अपने भाषण में कोई इर्रेलेवेन्ट बातें कही थीं तो उनका जवाब देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हमने उनको रोका नहीं था। हमने खाली उनका ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमान् जी, मैं लाल बहादुर जी के तर्क के विषय में क्या कहूं, माननीय जगदीश प्रसाद जी तो यहां के पुराने कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं जिनके ऊपर तो शुबह भी नहीं किया जा सकता कि वह किसी मामले में अतिशयोक्ति से काम लेंगे। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अफसर उस जंगल को अपने कब्जे में नहीं रक्खे हैं जो उनके पास है, बल्कि

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

उसे भी घूस लेकर वे काश्तकारों को उठायें हैं। वह कहते हैं कि एक वनाधिकारी ने उनसे शिकायत की कि लोग जंगल खाली नहीं करते और उन्होंने वहां जमीनें तोड़ ली हैं। उस वनाधिकारी ने जब जगदीश प्रसाद जी से उक्त भूमि खाली करवा देने में मदद चाही तो श्री जगदीश प्रसाद ने उनसे कहा कि आज यह भूमि खाली करवायी गयी और फिर कल आपने दूसरे से अधिक रुपया लेकर उसे काश्त करने को दे दी, तो क्या होगा। अपनी भूल की जैसे स्वीकारोक्ति में वे हजरत हंसकर चल दिए तो मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी और श्री लाल बहादुर जी यह कैसे कहते हैं कि वन भूमि का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

श्री राजदेव उपाध्याय ने तो यहां तक कह दिया कि फारेस्ट का हाकिम तो जिलाधीश से भी बड़ा होता है। तो जब इतना universal condemnation इस बिल का हुआ है और यह हालत है तो स्वस्थ परम्परा रखने के लिये, जिस तरह से कि श्री अजीत प्रसाद जैन की फूड पालिसी का कनडेम्नेशन हुआ, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्ट्री के जमाने में मंत्रि पद से स्तीफा देने में जो उदाहरण पेश किया वह सब मंत्री जी के सामने मिसाल मौजूद है। तो जब सब तरफ से इतनी आलोचना हो और सभी पार्टियों की ओर से हो, उनकी तरफ से भी हो जिन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया है उसके बाद भी वह पोर्टफोलियों को अपनायें रहें, यह बात समझ में नहीं आती। इसके बाद श्रीमन्, जहां तक नोटिफिकेशन का सवाल है, इसमें क्या होगा? यह कहते हैं कि जो जमीन जंगल से मिली हुई हो या पास्चर हो उसको सरकार एक नोटीफिकेशन द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि जंगल की है। यह नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा? यह सारा कार्यक्रम अवांछनीय है। श्रीमन्, धारा ३८-एच है। उसके मुताबिक स्टेट गवर्नमेन्ट नोटीफिकेशन निकालेगी। कौन जमीन लेनी चाहिये, कौन नहीं लेनी चाहिये, कहां घोषणा होनी चाहिये इसकी रिपोर्ट कौन देगा? फारेस्ट गार्ड देगा, फिर वह फारेस्टर, रेन्जर वगैरह के पास होती हुई यहां आएगी और नोटीफिकेशन हो जायगा। मंत्री जी या सेक्रेटरी महोदय कभी वहां पधारते नहीं हैं। उन्होंने वह जगह कभी देखी नहीं। कोई जमीन जंगल के अन्दर ली जानी चाहिये या नहीं इसका निर्णायक कौन है? वह फारेस्टर है जो दो-चार रुपये घूस लेता है वह रेन्जर है जो एक सेर घी और दो सेर चावल कांग्रेसी सदस्य के कथनानुसार लिया करता है यह आपके कांग्रेस बैंचेज के लोगों ने ही कहा है।

१४ दिन की मोहलत दी जाएगी नोटीफिकेशन के बाद कि उज्र पेश करे कि जमीन शामिल की जाय जंगल के अन्दर या नहीं। श्रीमन्, यह ३८-एच में है :—

"38-H. (1) Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest, or forest land, is necessary or expedient in the public interest or in order to secure the proper management thereof, particularly with a view to ensure its planned development as a forest, it may, by notification in the official *Gazette* do so for all or any of the said purposes, for such period, not exceeding fifteen years, as may be specified in the notification.

(2) No notification under sub-section (1) shall be issued until—

(*a*) after the issue of a notice by the Forest Officer to the claimant or the owner or tenure-holder of the forest or forest land, as the case may be, affording him reasonable opportunity to show cause, within a period of not less than fourteen days from the date of service of the notice on him to be specified in such notice why management of the forest or forest land specified therein be not taken over ; and

(*b*) objections, if any, have been heard and disposed of, by the Forest Officer in the manner prescribed."

अब यहां पर कौन भाग्यविधाता बन गया है ? जमीन लिया जाना ठीक है अथवा नहीं ?, इसका निर्णय माननीय मंत्री जी नहीं करेंगे, उसका निर्णय उनके सेक्रेटरी या कंजरवेटर आफ फारेस्ट नहीं करेंगे। उसका निर्णय रेन्ज आफिसर करेगा, श्रीमन्। एक फ्रेंकैस्टीन हमारे लिये बना दिया है रेन्जर आफिसर को। वह दो सेर चावल और एक सेर घी मांगता है, यह कांग्रेस के लोगों ने ही कहा। जिसने दे दिया उसकी जमीन को छूट मिल गई, कांटे हट गये। नहीं दिया तो दफा ३३, ५३, ५६, ५८, ७९ के मुकदमे उसके ऊपर लग गये। दफा ७९ में क्या होता है ? इसके अनुसार बड़ा भयंकर प्रासीक्यूशन होता है। बरडन आफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर किसी आदमी के. . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी, बहुत डिटेल में जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मैं तो उन्हें कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं रोकता नहीं, लेकिन आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक तो मैं इतना होशियार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपकी बात को मैं बहुत थोड़े में समझ लेता हूं, लेकिन आप बिला वजह इतना भाषण दे रहे हैं। मैं तो थोड़े में ही समझ जाता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, आप के द्वारा दूसरों को भी तो समझाना है। आप तो थोड़े में समझ जाते हैं, लेकिन वह लोग तो नहीं समझते। अगर यही बात होती, आप फ़ारेस्ट के मंत्री होते तो कब के मान लिये होते। हम कोई बौखलाये नहीं हैं, सिर्फ गरीब आदमियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और होने की संभावना है उन्हीं बातों को कहेंगे और अगर नहीं कहते हैं तो नमकहरामी करते हैं उनकी जिनके प्रतिनिधि चुन कर यहां हम लोग बैठे हैं। मैं तो प्योरली लीगल बात कह रहा हूं।

सेक्शन ७९ इंडियन फ़ारेस्ट ऐक्ट में यह दिया है कि अगर यह पता लगे कि किसी आदमी ने कोई वन सम्बन्धी अपराध किया है या करने वाला है तो उस जंगल के बीच या आस-पास के गांव के किसी आदमी को, जिसका उसमें हक है पता लगे, तो वह बाध्य होगा कि उसकी फौरन सूचना पुलिस को दे दे या रेंज अफसर को दे। अगर नहीं देता है तो उस पर मुकदमा दायर हो सकता है या किसी को शुबह हो जाय कि आग किसी ने लगायी है या लग गयी है तो हमेशा बरडन आफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर होता है जो सूचना दे। किसी भी प्रजातांत्रिक देश के कामन ला को देखें तो जूरिस्प्रूडेंस, पीनल ला यह कहते हैं कि बरडन आफ प्रूफ इनवेरिएबली प्रासीक्यूशन पर होता है। लेकिन यहां मुलजिम पर बरडन आफ प्रूफ दिया गया है और सजा २०० रु० जुर्माना या १ महीने की है।

अगर इसके मुताबिक वह जमीन फ़ारेस्ट हो जाती है तो रेंज अफसर के हाथ में पूरी ताकत आ जाती है। मंत्री जी उसी के हाथ में सारी ताकत दे रहे हैं, वह भस्मासुर हो जायगा। इसलिये उसको इतनी ताकत न दें। मैं ही नहीं उनकी पार्टी के लोगों तक ने कहा कि इसको वापस ले लें। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी में भी ईमानदार आदमी हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं।

श्री रूर्मासिंह—अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सरकार को १०० फीट तक अधिकार पहले से ही है। जो जंगल लगाता हैं और ३०० एकड़ तक भूमि है तो उसमें कोई आदमी बिना जंगल विभाग की इजाजत के इमारत तामीर नहीं कर सकता। जब सरकार के पास पहले से ही यह पावर्स हैं

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

तो फिर सरकार को और जमीन लेने की क्या जरूरत है? जो जमीन सरकार के पास है उसमें उसने खुद जंगल कटवा डाला। माननीय नवल किशोर जी तक ने कहा है कि सरकार ने खुद बड़े-बड़े जंगल कटवा डाले। एक लाल बहादुर जी ने इसका समर्थन किया है जब कि वे जंगल के बारे में कुछ जानते नहीं। जिस कांस्टिट्युएंसी से वे आते हैं उसमें जंगल है भी नहीं।

श्री अधिष्ठाता---चकिया में जंगल है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---चकिया तहसील से वे बहुत दूर के हैं। उस क्षेत्र में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर उनको जरा भी जंगलात के बारे में अहसास होता तो वे कभी उसका समर्थन नहीं करते। शायद उनको अफसोस भी हो रहा हो कि मैं क्या कह बैठा। अगर माननीय मंत्री मेरी बात न मानें तो जो अन्य सदस्य हैं उनकी तरफ बैठने वाले उनकी बात मानें जिन्होंने उन्हें इस गद्दी पर सुशोभित किया है। १५, १६ जितने सदस्य इस पर बोले सभी ने, केवल लाल बहादुर जी को छोड़ कर, हमारी बात का समर्थन किया और खुले दिल से समर्थन किया और इस बात को देखते हुए कि इतना कंडेमनेशन हुआ यह पोर्टफोलियो माननीय मंत्री जी को किसी और को दे देना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर---मैं अर्ज करूंगा कि इस पर इस समय डिवीजन हो नहीं सकता। दो बजे होगा। दो बजे तक मैं तकरीर करूंगा नहीं। मैं १० मिनट करूंगा। इसलिये इस समय हाउस एडजर्न कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---एडजर्न नहीं किया जा सकता।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय ने कल यहां कहा था।

श्री अधिष्ठाता---कल की बात दूसरी थी। आज खंडों पर संशोधन आये हैं, उनको पेश करने का मौका दिया जा सकता है और सभी संशोधनों पर २ बजे के बाद वोट ले लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, एडजर्न हो जाय, क्योंकि जो व्यवस्था एक दिन के लिये दी जाती है वह रोज के लिये लागू होती है।

श्री अधिष्ठाता---प्रतापसिंह जी, वह दूसरी बात थी, आप जानबूझ कर ऐसी बात करते हैं।

श्री प्रतापसिंह---इस अमेंडमेंट पर तो पहले मंत्री जी को जवाब देना चाहिये और जब वह इस समय जवाब नहीं देना चाहते तो एडजर्न कर देना ही अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता---अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं २ बजे तक ऐडजर्न कर दूं, आपके कहने से तो नहीं करूंगा।

श्री सैयद अली जहीर---अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---अभी तक यही तरीका रहा है कि दूसरा अमेंडमेंट ले लिया जाता है और बाद में वोटिंग हो जाती है।

श्री सैयद अली जहीर---फर्ज कीजिये क्लेजर मूव करना हो या कोई ऐसी बात हो तो वह हो सकेगी?

श्री अधिष्ठाता---जी हां, वह हो सकेगी। मैं समझता हूं इस संशोधन पर काफी विवाद हुआ है, इसका तो आप उत्तर द ही दें।

†श्री सैयद अली जहीर---बहुत अच्छा, मैं जवाब दिये देता हूं। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मुझे फिर अफसोस से यह कहना पड़ता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो इस पर एतराज किया, अगर देखा जाय तो न तो उन्होंने इस संशोधन पर ही और न इस कानून पर ही कुछ ज्यादा कहा। ज्यादातर दो तरह की नुक्ताचीनी हुई। एक तो यह कि जो हमारे डिपार्टमेंट के आदमी हैं उनके मुताल्लिक यह अन्देशा है कि शायद वे डिपार्टमेंट को ठीक तरह से नहीं चलायेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का ताल्लुक है, वे बिलकुल वैसे ही हैं जैसे और दूसरे विभागों के अधिकारी हैं, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। जो शिकायतें हम इस सदन में पुलिस अफसरों के खिलाफ, लेखपालों के खिलाफ, जिलाधीशों के खिलाफ, सब-रजिस्ट्रारों के खिलाफ, सब के खिलाफ सुनते हैं उससे ज्यादा शिकायतें जंगल के अधिकारियों के खिलाफ नहीं हैं।

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

इस बात के होते हुए यह खुली हुई बात है कि इस किस्म की शिकायत का कोई महत्व बाकी नहीं रहता है। शिकायतें मेरे पास भी आती हैं और उनकी तहकीकात भी होती है, लेकिन जब तहकीकात का वक्त आता है तो कोई माननीय सदस्य उसकी परवाह नहीं करता और नतीजा यह होता है कि किसी किस्म की शिकायत कभी साबित नहीं होती और आखिर में हमें यह कहना पड़ता है कि शिकायत साबित नहीं हुई। मिसाल के लिये मैं अर्ज करता हूं कि कल हमारे एक माननीय सदस्य जो शायद हसनपुर के हैं उन्होंने कहा कि २५ या ३० हजार एकड़ जमीन किसी जंगल के अधिकारी ने तुड़वा दी है और यही नहीं बल्कि वह जोती और बोयी भी जाती है और जो उसकी पैदावार होती है वह उस जमीन का जोतने वाला और वह अधिकारी आपस में बांट लेते हैं। अगर यह शिकायत थी तो इसको एक दफा भी मेरी नोटिस में लाते तो मैं उसकी तहकीकात करता, लेकिन आज तक उसका तजकिरा न तो मुझसे किया और न मुझे बताया। खड़े होकर तकरीर के सिलसिले में वह कह गये। सिवाय इसके मैं क्या मानें लगाऊं कि उनके दिल में कुछ शिकायत है और सुनी-सुनाई बात के ऊपर उन्होंने अपनी राय कायम कर ली है? इसके अलावा और कोई इसकी बुनियाद नहीं है। अगर बुनियाद होती तो जिस तरह से और शिकायतों की तहकीकात की जाती है इसकी भी की जा सकती थी। इस तरह से अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इस बिल की दफात के लिये यह कहना कि अधिकारी उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह बेबुनियाद बात है और इसकी कोई अहमियत नहीं है।

इतना वक्त नहीं है और न मैं जरूरत ही समझता हूं कि मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें जो जंगल अधिकारियों के खिलाफ की गई हैं उनका जवाब दूं। वही बात बार-बार दुहराई गई है। दूसरी बात जिस पर बहुत जोर दिया गया है वह यह है कि काश्तकारों की जमीन निकाल लेंगे और जंगल में शामिल कर देंगे। मैंने पहले भी ऐलान किया था और अब भी कह रहा हूं कि जो काश्तकारों की जमीन है, चाहे वह जंगल के पास हो, जंगल के बीच में हो या जंगल के अन्दर हो और जायज तौर पर काश्तकारी हो रही है तो उस पर किसी किस्म का अधिकार करने, छीनने या लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारे यहां जमीन की बड़ी भारी समस्या है और हमारे यहां जमीन की कमी है। जितनी जमीन की मांग है उतनी जमीन हमारे पास नहीं है। इसके लिये आप ने दस दिन बहस करके लैंड सीलिंग बिल अभी पास किया है। लेकिन काश्तकारी के मुताल्लिक जो गवर्नमेंट की पालिसी है, उसे हम पूरी सहायता दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। इस कानून में हम को यह दफा इसलिये बनानी पड़ी कि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ किस्म के जंगल हैं। अगर कहीं ऐसी जमीन नहीं है जो जंगल की है वह काश्त के काबिल है, कहीं पानी में डूबी हुई है, कहीं चरागाह की जमीन है; याद रखिये, आप जो तरमीम

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

कर रहे हैं वह फारेस्ट ऐक्ट के सिर्फ एक चैप्टर में कर रहे हैं और दूसरे चेप्टर्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

वह जमीन और जंगल अब भी बाकी रह गये हैं जो जमींदारों के थे और जिनके जमींदारों ने दूसरों के नाम पट्टे लिख दिये थे और वह जायज हैं, इसलिये वह चाहते हैं कि इन जंगलों को काट कर अपनी काश्त में ले आयें। लेकिन वह किसी तरह से रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जंगल न कटें बल्कि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले और उनको ठीक करे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो लाख एकड़ जमीन आती है और यह जमीन ऐसी है जिसका पर्वतीय इलाके से कोई वास्ता नहीं है। पर्वतीय सदस्यों ने इस पर बहुत बहस की है और खास तौर से गोविन्दसिंह जी विष्ट ने तो बहुत वक्त जाया किया। मैं उनसे उनसे इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक कानून की इस दफा का ताल्लुक है इसका कोई ताल्लुक पर्वतीय इलाके से नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वहां तो आलरेडी हो चुका है और खूंटे लग चुके हैं।

श्री सैयद अली जहीर--जो जमींदारी अबालिशन के वक्त जंगल मौजूद थे और अब भी बाकी हैं उनको ही हम बहैसियत जंगल के लेना चाहते हैं और उनका इंतजाम करना चाहते हैं। उसकी मिल्कियत बदस्तूर वही रहेगी और हम इंतजाम करेंगे १५ वर्ष तक और हमारा खयाल यह है कि अगर हमें यह यकीन हो जायगा कि उसका मालिक उसको ठीक तरह से रखेगा तो हम उसको पहले भी दे देंगे। यह जरूरी नहीं है कि हर जंगल को हम १५ साल तक अपने पास रखें। साल भर बाद, दो साल बाद छोड़ दें।

इस तरह से समझने की बात यह है कि काश्तकारों की जमीन या पास्चर की जमीन या ऐसी जमीनें जिन पर जंगल नहीं हैं, अगर उनको लेंगे तो जंगल बनाने में मालूम नहीं कितना वक्त जाया होगा। १५ वर्ष में जंगल नहीं बन सकता। ४०, ५०, १००, १५० वर्ष में पूरा जंगल तैयार होता है। हमारी नीति यह बिलकुल नहीं है कि अच्छे किस्म की जमीनें, जहां जंगल काटे जा चुके हैं, खेती हो रही है, उनको ले कर एक तरफ तो जो काश्तकारी हो रही है उसको खत्म कर दें और दूसरी तरफ उस पर हजारों रुपये लगा कर जंगल लगायें खास तौर से जब हमने कह दिया है कि मालिक से कुछ मिला नहीं है ; बल्कि वादा किया है कि उसके जंगल का जो मुनाफा होगा, उसमें से इंतजाम के अखराजात को काटकर उसको वापस कर देंगे। उस दिन डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन ने एक सवाल किया था और सही किया था कि इसमें क्या फायदा है कि गवर्नमेंट जंगल को डेवलप करे और उसके बाद मालिकों को वापस कर दे। खुली हुई बात है। हम हजारों रुपये जंगल को लगाने में खर्च करें और उसके १५ वर्ष के बाद मालिक को वापस कर दें।

श्री प्रतापसिंह--एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो मिनिस्टर साहब जो चीज पहले कह चुके होते हैं उसको रेफर करते हैं लेकिन हम को रोका जाता है और मिनिस्टर साहब चार-पांच दिन पहले जो बात कही गयी उसको रेफर कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--इस समय कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जिस समय आपत्तिजनक बात थी उस समय ध्यान आकृष्ट कर सकते थे।

श्री सैयद अली जहीर--मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ तकरीरें हुई हैं, कोई ताल्लुक उनका अमेंडमेंट में नहीं था। तकरीरों में जंगल के खिलाफ एतराज किये गये हैं। उसी सिलसिले में जवाब दे रहा हूं और इत्मीनान दिला रहा हूं क्योंकि महज शकूक पर एतराजात किये गये हैं। यह शकूक बिलकुल गलत हैं। हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। उसमें किसी किस्म की बदगुमानी होने की वजह नहीं है।

रह गया ऐक्ट के अमलदरामद का सवाल। खुली हुई बात है कि हर ऐक्ट का इस्तेमाल सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कितने ही पीनल ऐक्ट हैं, उनका उपयोग और सदुपयोग दोनों हो सकता है। अगर आपको गवर्नमेन्ट के मोटिव पर शक है तो उसका इलाज गवर्नमेन्ट के पास नहीं है। या तो गवर्नमेन्ट पर कान्फीडस हैं या नहीं हैं। अगर कांफीडेंस है तो इस तरह के जो कानून पास होते हैं जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट है, उसमें गवर्नमेन्ट को अधिकार होता है कि जिस शख्स को इस काबिल समझे, उसको पकड़ करके बन्द कर सकती है। लेकिन ऐतबार होता है कि सही इस्तेमाल होगा। कांस्टीट्यूशन में एक दफा बनायी गयी। आपको याद होगा कि जिस वक्त जमींदारी अबालिशन का मामला दरपेश था, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, उस वक्त तरमीम की गयी और यह कहा गया कि जो मुआविजा गवर्नमेन्ट तय कर देगी वह किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। बहुत बड़ा अधिकार था जो गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले रही थी, लेकिन गवर्नमेन्ट पर ऐतबार था। यह शक नहीं किया गया कि एक लाख रुपये की जमीन ले लेगी और उसको एक या दो रुपये मुआविजा दिया जायगा। ये चीजें ऐतबार की होती हैं जो इसकी गरज है, जिसका मैंने बार-बार ऐलान किया है, और जो इसकी दफात से साफ जाहिर है कि किस तरह का यह कानून है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि हम अपने जंगलों को, जो तबाह हो रहे हैं, जो कटते चले जा रहे हैं और जो अन्देशा है कि आगे चलकर कट जायेंगे, उनको रोकने के लिये यह ऐक्ट ला रहे हैं। इसमें जो डैफिनिशन को वाइड करना पड़ा उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे इस काम में आगे चलकर कोई कानूनी रुकावट पैदा हो और तरह तरह के एतराज हों कि यह जमीन उपजाऊ है, यह खेती के काबिल है और यह जंगल के काबिल नहीं हो सकती। इस किस्म के एतराज को रोकने के लिये ही महज यह कानून हम पेश कर रहे हैं।

यह बहस की गई कि मिनिस्टर साहब के बयान अदालत के सामने नहीं जायेंगे। अदालत के सामने यह कानून होगा और उसके मुताबिक ही फैसला किया जायगा। मैं अर्ज करूंगा कि अदालत के सामने जाने का वक्त तो तब आयेगा जब हम इसका दुरुपयोग करेंगे या हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। जब यह मामला अदालत के सामने जायगा तो अदालत इस बात को देखेगी कि वह बात इसमें आती है या नहीं, लेकिन मैं यह साफतौर पर एलान करना चाहता हूं कि हमारी यह नीति नहीं है और न हो सकती है। आजकल के जमाने में जो तीसरे प्लान को चलाना चाहते हैं उनकी नीति यह नहीं हो सकती कि वे काश्तकारी जमीन को खत्म कर दें या काश्तकारी जमीन को नुकसान पहुंचावें। यह इस किस्म की बातें बेबुनियाद हैं। ऐसी हालत में कोई सवाल अदालत के सामने जाने का पैदा नहीं होता। जब यह गवर्नमेन्ट कहेगी कि जो खेती की जमीन है उसको हम लेना चाहते हैं तब उसके बाद अदालत में मामला जायगा और तब सवाल होगा कि आया यह इन अलफाज में आता है या नहीं। लेकिन जब हम वह जमीन लेना चाहते हैं जिसमें जंगल खड़ा हुआ है और उन जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में कोई अन्देशा इस बात का नहीं है कि जिसके किसी को कोई डर पैदा हो। हमारे दोस्त गोविंद सिंह जी को अत्याचार होने का डर है। अगर आप यह समझते हैं कि गवर्नमेन्ट गलत काम करती है तो हर काम में अत्याचार होने का डर है। मैं इस तरह की बातों का जवाब देना नहीं चाहता हूं और न इनका जवाब हो सकता है।

बहरहाल जहां तक इस कानून की इस दफा का ताल्लुक है वह बिलकुल स्पष्ट है। इस मुताल्लिक हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। हमने जैसा कि बार-बार कहा है कि हम वह जमीन जरूर लेना चाहते हैं जिनमें जंगल आबाद हैं। बाज जगह इस किस्म की हैं जहां पर जबरदस्ती सरकारी जंगलों पर कब्जा कर लिया गया और बाज जगह ऐसा हुआ है कि कब्जा कर लिया गया हो और पटवारी के कागज में इन्दराज उलटे-पुलटे करा लिया हो, तो ऐसी जमीनों पर जो गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है उनको हम रोकना चाहते हैं। जाहिर बात है कि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि गवर्नमेन्ट की जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा करे। यह मुमकिन है कि

[श्री सैयद अली जहीर]

बाज हजरात को बाज जगहों पर हम हटा नहीं सके हों, लेकिन हटा रहे हैं। हमारी नीयत है कि उनको हटायें। हम नहीं चाहते कि सरकारी जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा करें। हम नहीं चाहते हैं कि लाइवेसेज बढ़ें और कोई कानून नाफरमानी करे और जिन जमीनों पर जंगल खड़े हैं उन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले। इस वजह से जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, इससे हमारे बिल का मकसद ही फौत हो जाता है तो हम उसको मंजूर नहीं कर सकते और जैसा यह बिल कौंसिल से पास होकर आया है उसी शक्ल में इसको पास होना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि सदन इस संशोधन को मंजूर नहीं करेगा।

श्री अधिष्ठाता—साधारणतः मैं इस संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता, लेकिन चूंकि विशेष परिस्थिति में १ से २ बजे तक मतदान नहीं होना है इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि दूसरे जो संशोधन हैं उनको हम ले लें। अब जो संशोधन को प्रस्तुत करने वाले हैं वह प्रस्तुत करें।

***श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—मेरा प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मैंने अपनी स्पीच में यह कहा कि ३५ हजार एकड़ जमीन है जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैंने कल यह कहा था कि तहसील हसनपुर में २५ हजार एकड़ जमीन वन विभाग की है। एक प्रश्न के उत्तर में जिसमें मैंने पूछा था कि क्या वहां के लिये कोई विकास की योजना है, मुझे बतलाया गया कि कोई योजना नहीं है। मैंने स्वयं कहा था कि किसी ने वहां पर ३००, किसी ने ४०० बीघे जमीन तोड़ रखी है और वे लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था कि उन लोगों ने सारी जमीन तोड़ रखी है। लेकिन अगर उसमें से ५,००० एकड़ जमीन भी लोगों ने तोड़ रखी हो तो मेरी बात सही है। उसमें से कुछ जमीन किसानों ने तोड़ रखी है, यही मेरा मतलब था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली का नियम १४१ इस प्रकार है :—

"Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made—

"That this clause stand part of the Bill."

(2) The Speaker may, if he thinks fit, put as one question similar amendments to a clause :

Provided that, if a member requests that an amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately :

Provided further that in order to save time and repetition, a single discussion may be allowed to cover a series of interdependent amendments."

इसके बाद १४३ में :—

143. *Submission of Bills clause by clause*—(1) Notwithstanding anything in these rules it shall be in the discretion of the Speaker, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, to submit the Bill or any part of the Bill, to the Assembly clause by clause. The Speaker shall call each clause separately, and when the amendments relating to it have been dealt with shall put the question that this clause or, as the case may be, this clause as amended, stand part of the Bill."

और फिर,

"144. *Postponement of clause*—The Speaker may, if he thinks fit, postpone the consideration of a clause."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो आप नियम १४४ के मातहत पोस्टपोन करना चाहते हैं। इन तीनों धाराओं को पढ़ने के बाद या तो आप खंड पर विचार ही न करते, लेकिन अगर विचार करना आरम्भ कर दिया है तो मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि शायद यह श्रीमन् के अधिकार में न हो कि अब इस पर वोटिंग न हो और और इसको पोस्टपोन करके आगे के खंडों पर विचार आरम्भ कर दिया जाय। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता--मैंने विष्ट जी की बात सुनी। हमारे सदन का कंवेंशन रहा है कि एक और दो के बीच में वोटिंग नहीं होती। इस विशेष परिस्थिति में वोटिंग असम्भव हो जाती है। तो इस कंवेंशन को मानते हुए इससे पहले ऐसा हो चुका है कि जब ऐसी स्थिति आयी है तो उन क्लाजेज को स्थगित कर दिया गया और बाद में इकट्ठे वोटिंग हो गयी, कोई ऐसा नियम इस नियमावली में नहीं है कि जो ऐसा करने से रोकता हो। तो मैं इसी आधार पर और पिछली परम्परा के आधार पर यह व्यवस्था करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--कल ही लेटेस्ट रूलिंग हुई थी और सदन एक से दो बजे के बीच में स्थगित कर दिया गया था। फाइनल रूलिंग वही होती है जो आखिरी होती है। एक चीज और है जो मैं थोड़े में ही निवेदन कर दूं। जब यह शुरू हो चुका और बहस हो चुकी तो फिर इस पर जब तक फैसला न हो जाय आगे कंसीडरेशन नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां तक लेटेस्ट रूलिंग का सम्बन्ध है, जिसका आपने हवाला दिया है, उसमें स्थिति दूसरी थी। उसमें यह बिल सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो अथवा न हो, इस पर विचार करके निर्णय करना था और उस पर फैसला किये बिना आगे कोई डिस्कशन शुरू नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब हम खंडों पर विचार कर रहे हैं तो उनको स्थगित करने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसीलिये मैंने ऐसी व्यवस्था दी और उसी के अनुसार कार्य होगा।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं:--

> "खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की दूसरी पंक्ति में शब्द "or adjacent to" निकाल दिये जायं।"

महोदय, आज चार दिनों से इस हाउस में सदस्यों के जो भाषण हुए हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि इस विधेयक से जनता को कष्ट ही नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकारों की अवहेलना भी हो रही है। थ्योरी में और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क होता है यह मेरा कहना है। उसके लिये सबूत यह है कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी जमीन जिसमें खेती हो रही है वह नहीं ली जायगी। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि जिन खेतों में खेती हो रही है उनको जंगलात वाले अपनी हद में मिलाना चाहते हैं। मौके पर जांच करने से यह बात सत्य सिद्ध होगी। मेरा संशोधन यही है कि जंगल विभाग वाले जो यह अनधिकार चेष्टा करना चाहते हैं और अपनी हद बढ़ाना चाहते हैं वह उचित नहीं है। पीलीभीत जिले में मतलब मुख्यत: उन जंगलात से है जो सरकारी जंगल अभी हुये हैं, जमींदारी अबालिशन के बाद सरकार में निहित हुये हैं, अब उनकी बाउन्डरी का सवाल पैदा होता है कि उनकी सीमा निर्धारित की जाय। मेरा संशोधन सीमा के सम्बन्ध में ही है।

जहां तक सीमा का सम्बन्ध है, वह पहले से ही निर्धारित है। इसमें जिन जमीनों को लिये है, गांव के एरिया में है, वह वहां पर जंगल को प्रोत्साहन दिया गया, लिहाजा यह सवाल पैदा नहीं होता कि उससे मिली हुई जमीन को और खेत को उसमें शामिल कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरा यह भी कहना है कि सरकार के वनविभाग की यह अनधिकार चेष्टा है कि वह दूसरे की जमीन को अपने में मिलाना चाहता है। किसी ग्राम समाज की जमीन को या किसी

[श्री मुनीन्द्रपालसिंह]

म्यूनिसिपैलिटी की जमीन को वह यदि लेना चाहें तो नहीं ले सकते, इसी तरह से व्यक्तियों की जमीन को भी नहीं लेना चाहिये।

गांव तीन हिस्सों में आसानी से बांटा जा सकता है। कोई भी गांव हो, वहां खेती होती है, जंगल के किनारे हों तो वहां जंगल भी होगा और इन दोनों के बीच में ऐसी भी जमीन होगी जिनमें खेती नहीं होगी। जिस हिस्से में खेती होती है उसको मजरुआ कहते हैं। दूसरा हिस्सा जंगल का है। इसका नक्शा हर गांव के नक्शे में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इतने हिस्से में जंगल है। बीच की जमीन को सैराई की जमीन कहा जाता है। उस पर लगान भी अलग है और रस्म रिवाज भी अलग से रहे हैं। सैराई की जमीन पर पहले खेती नहीं होती थी। जंगली जानवरों से बचाने के लिये बन के निवासी बैंब का प्लान्टेशन पहले काश्तकार भी लगाते थे और जिन लोगों के वन थे वे भी लगाते थे। यहां जो विधेयक लाया गया है उसमें जो बुशेज का शब्द लाया गया है उससे जो बैंब का प्लान्टेशन है वह भी उसमें शामिल कर दिया जाय, यही इस की मंशा है। बाकी अगर इस वक्त देखा जाय मौजूदा जमाने में, ग्रो मोर फूड के जमाने में, सैराई की जमीन में भी खेती होने लगी है और उसमें काश्तकार उस अरसे में खेती करने लगे हैं, या तो उन्होंने इसे जमींदारों से ले रखा है या ग्राम समाज से ले रखा है।

यह भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जमींदारों के फार्म थे। मैं अपने जिले पीलीभीत की कहता हूं जहां पर एडजेसेन्ट होने के कारण छोटे छोटे काश्तकारों के खेत लिये जा रहे हैं। मेरे पीलीभीत जिले में दो फारेस्ट रेंज बनाये गये हैं---एक हजारा और दूसरा दियोरिया। दियोरिया के सम्बन्ध में मैं बताऊं कि वहां कोई फार्म नहीं है। वहां पर गांव बसे हुए हैं। वहां पर जो जमीन उठी हुई है वह सब छोटे-छोटे काश्तकारों के पास है। इसका असर उन गांव वालों पर पड़ेगा।

एक दूसरी दिक्कत और है। वह जमीन गांव समाज की है। पहले यह दिक्कत थी कि पटवारी लोग सैराई में कुछ इंदराज वगैरह नहीं करते थे और वह रकबा खाली पड़ा रहता था वह रकबा खाली लिखा हुआ है और इसलिये फारेस्ट वाले समझते हैं कि जो जंगल से मिली-जुली जमीन है, वह जंगल की जमीन मानी जानी चाहिये। पहले पटवारी नहीं लिखते थे और जो काम वे लोग करते थे वही काम यह आजकल के लेखपाल भी करते हैं। यह सब जाहिर बातें हैं। यही कारण है कि उन खेतों में काश्तकारों का नाम नहीं लिखा हुआ है। हर जगह सेटिलमेन्ट आफिसर तैनात हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां पर खेती होती है, वहां की जमीन नहीं ली जायेगी। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां पर जाकर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि वहां पर तूपा बंदी की गयी है। वहां का छोटा छोटा रकबा है, वहां पर तूपाबन्दी की गयी है। वहां पर जंगल और उसके बीच में कहीं कहीं पर खेत हैं। कहीं एक खेत है, कहीं कहीं दो दो तीन तीन खेत हैं। तो उसको तो वे ले नहीं सकते हैं क्योंकि वह ग्राम समाज की प्रापर्टी है। लेकिन अगर वे लेते हैं और उसमें जंगल लगाते हैं तो यह गलत बात होगी।

मुझे अफसोस है, माननीय मंत्री जी, इस समय यहां से चले गये हैं, वे होते तो अच्छा होता। फारेस्ट स्टैन्डिंग कमेटी की जो मीटिंग्स २० और २१ जून को नैनीताल में हुई थी, और जिसके माननीय मंत्री जी सभापति थे, उसमें भी मैंने इन बातों को उस कमेटी के सामने रखा था और उनके बारे में उन्होंने मुझे विश्वास तो नहीं दिलाया था, लेकिन आभास ऐसा होता हुआ कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों को मंजूर अवश्य कर लेंगे। यह जो २० और २१ जून का मीटिंग हुई थी उसकी प्रोसीडिंग्स मुझे कल मिली थी। इन प्रोसीडिंग्स में मैंने जो तीन बातें उठाई थीं, वह नहीं हैं, उसका इसमें जिक्र नहीं है। आपके द्वारा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्स पूरी क्यों नहीं लिखी गयी ?

श्री अधिष्ठाता---उस प्रोसीडिंग्स से इस संशोधन का क्या मतलब है ?

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—जी हां, इसका सम्बन्ध है। यही बातें उस समय उठी थीं और उन पर विचार हुआ था। यह जो बाउन्डरी की परिभाषा है यह स्पष्ट नहीं है। इसमें यह "ऐडजेसेन्ट" शब्द जो लिखा गया है इससे बड़ी दिक्कत पैदा होगी। उस समय कमेटी में भी यह बात आयी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह उसकी बाउन्डरी को बढ़ाया जा रहा है। इससे वहां के काश्तकारों को बड़ी भारी दिक्कत है।

कुमायूं डिवीजन के बारे में भी बड़ी चर्चा की गयी है। कुमायूं के जंगल के मालूम होने की दो वजहें हैं। एक तो सैर के लिये और तीर्थयात्रा के लिये लोग जाते हैं उनको मालूम रहता है और हर जगह पेड़ खड़े हैं, लोगों को मालूम है कि फारेस्ट है। पर्वतीय भागों को जो पोजीशन है वह आम तौर से हम लोगों के देखने में नहीं आती है, कोई मीन्स आफ कम्युनिकेशन नहीं है। मंत्री जी कम से कम यह तो महसूस करें ही कि कुछ लोगों को प्रैक्टिकल तजुर्बा है और उसका कुछ विश्वास करते हुये कम से कम उस चीज को मानकर खुद तजुर्बा करें कि वह चीज ठीक है या नहीं। यह बात इतनी स्पष्ट कही जा रही है कि नक्शे पर जितना रकबा दिया हुआ है उतना दीजिये। लेकिन सेटिलमेन्ट आफिसर पीलीभीत में मौजूद हैं उन्होंने अमीनों को लगाकर बाउन्डरी लगाना शुरू कर दिया और तूदे लगा दिये हैं।

मुझे रिजर्व फारेस्ट का भी तजुर्बा है, उसमें दो रेंजेज रिजर्व फारेस्ट के हो गये हैं, उनकी बाउन्डरी सरकारी जंगल से मिली हुई हैं। तो जहां पर सरकारी जंगल खत्म होता है वहां पर गुल्ली और तूदे लगे हुये हैं, लिहाजा उसके पास का हिस्सा ग्राम समाज के पास आना चाहिये, ऐडजेसेंट क्यों लिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो एक तो आप ग्राम समाज की जमीन ले रहे हैं और दूसरे इंडिविजुअल व्यक्तियों की भी जमीन आ रही है। जमींदारी अबालेशन के पहले और बाद को जमींदारों से जो जमीन ली थी वह बंजर लिखी हुई है। तो जिन्होंने ली है उनके लिये एक समस्या तो यह है कि वह नाम दर्ज करावें और दूसरी यह कि बाउन्डरी जितनी उन्होंने ली, जितना रकबा जंगल के बीच में आया है वह जंगल में ले लिया है। दो-चार सौ अर्जियां मैं मिनिस्टर साहब के सामने पेश कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फारेस्ट स्टैंडिंग कमेटी में मेरी बात को उन्होंने अच्छी तरह से समझा था। मेरी यह बदकिस्मती है कि मिनिस्टर साहब हैं नहीं, फिर भी मैंने जो डिफिकल्टीज पेश कीं, मुझे आशा है कि इनको गवर्नमेन्ट मंजूर कर लेगी, इस वास्ते मैं और ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता।

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुनीन्द्रपाल सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमें मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने पहली बार फारेस्ट की परिभाषा को एक परिभाषा का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसी है कि एक तो वह बहुत व्यापक है, दूसरे उसमें बहुत सी ऐसी चीजों को भी रख दिया गया है जिनको नहीं रखना चाहिए था। उदाहरण के लिये जो संशोधन माननीय मुनीन्द्रपाल जी ने रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आर फारेस्ट की डेफीनीशन आप देखें तो जो मूल अधिनियम की धारा ३८ (३) है, उसमें यह है—

"Such pasture land, water-logged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest, as may be declared to be forest by the State Government."

तो "adjacent to" का मतलब मैं जानना चाहूंगा। हमारे जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं वह नोट करने की कृपा कर। आप ऐडजेसेंट रखिये, लेकिन यह कैसी परिभाषा है?

एडजेसेंट का मतलब २०० मील होगा या ३०० मील होगा, या १ बालिश्त होगा, यह साफ नहीं किया गया है। कोई जिद्दी अफसर होगा तो वह जनता के हित के खिलाफ इसका मतलब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

लगावेगा । हमको गुस्सा तो आता है नहीं और अगर आया तो कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिये क्योंकि हम नौजवान हैं । लेकिन मंत्रीजी को गुस्सा नहीं आना चाहिये ।

मान्यवर, एक शब्द के कहने में यहां ३ पैसा खर्च होता है । ३ दिन बहस चली और उसके बाद मंत्रीजी कहें कि यह बहस बेकार है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस एडजेसेंट शब्द को रखना ही है तो उसकी परिभाषा कर देते तो अच्छा होता । मान्यवर, आप बड़े लाइयर रहे हैं । आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसा प्रफसर आवेगा वैसा ही वह इस शब्द का अर्थ लगा लेगा । बहुत से माननीय सदस्य शायद यह सोच रहे होंगे कि पहली ही बार फारेस्ट की डेफीनीशन हुई है । ऐसी बात नहीं है । सन् १९५६ में यू० पी० ऐक्ट संख्या ५ पास हुआ था । उसमें लिखा है कि:—

"Forest includes any land covered by trees and shrubs, and pasture lands. The State Government may, by notification in the official *Gazette*, regulate or prohibit in any forest—

(*a*) the breaking up or clearing of the land for cultivation or any other purpose ;

(*b*) the firing or clearing of the vegetation ;

(*c*) the girdling or tapping or burning of any tree or the stripping off of the bark from any tree ;

(*d*) the lopping and pollarding of trees."

इन पर मंत्री जी जरा गौर करें उसके मुताबिक नोटीफीकेशन हुआ होगा । जितनी बातों का नोटीफीकेशन नहीं हुआ, उन सारी चीजों का एडजेसेंट के अर्थ में सरकार ले सकती है । सन् १९४९ में भी फारेस्ट ऐक्ट पास हुआ और उसमें लिखा था कि जमींदार ये ये बातें नहीं कर सकते हैं । जितनी वे नहीं कर सकते उनके अलावा भी आप सारी चीजों को ले लेंगे । जमाना बतावेगा कि जो हम कह रहे हैं वह सही है या जो सरकार कह रही है वह सही है । कल मंत्रीजी ने कहा था कि जितनी सरकार गलतियां करेगी उतना हमारे फायदे में होगा । लेकिन हम किसी की गलती से फायदा उठाने वाले नहीं हैं । विरोधी दल का मतलब यह नहीं होता है कि किसी की गलती से फायदा उठावे उसका मतलब सरकार को चेतावनी देने का होता है । सरकार को ठीक रास्ते पर लाने का होता है । हम सुधारक हैं । मैं एक्सचेकर का भार नहीं बढ़ाना चाहता हूं यद्यपि मंत्रीजी अपनी बात पर जिद कर रहे हैं । लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम मंत्रीजी की जिद के कारण जनता की बात यहां न कहें । मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार मंत्री को यह बात भी नहीं कहनी चाहिये कि विरोधी दल की जितनी बहस यहां हो रही है वह बेकार है । हम मंत्रीजी से पूछते हैं कि एडजेसेंट की परिभाषा में कितनी लम्बाई और चौड़ाई वह रखेंगे । इसलिये यह संशोधन जो पीलीभीत के माननीय सदस्य ने रखा है बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ।

यह वहां और भी अधिक महत्वपूर्ण है जहां इंडस्ट्रीज अभी अधिक नहीं बढ़ी है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि कोल्हू पर भी टैक्स लग जाता है । आपने आवाज बुलन्द की तो कुछ कम हुआ । आपकी आवाज के बराबर कद्र मंत्रीजी हमारी आवाज की नहीं करते हैं । मंत्रीजी नहीं हैं, तो मैं उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से पूछना चहता हूं कि वह अभी कुर्सी पर नहीं चिपके हैं इसलिये उन्हें जनता की ओर ज्यादा चिपकना चाहिये । जनता की वोट्स से ही आप पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हुये हैं । हम यह नहीं कहेंगे कि आप बड़े खराब आदमी हैं । लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि आप आदमी तो भले हैं परन्तु जनता की बात को सदन में नहीं रखते । जो सदस्य इस संशोधन का विरोध करते हैं मैं समझता हूं कि वे उस गरीब जनता के साथ उन भूमिहीन लोगों के साथ जिनके पास जरा भी जमीन नहीं है, कुठाराघात करना चाहते हैं । एक माननीय सदस्य उठने के लिये तैयार हैं, वह नौजवान हैं, एम्बीशन वाले हैं और एम्बीशन वाला होना भी चाहिये, लेकिन अगर ऐसे संशोधन का उन्होंने विरोध किया और सन् ६२ में यहां नहीं

आ सके तो फिर कुर्सी कहां से मिलेगी ? सरकार ने फारेस्ट की परिभाषा तो रखें, इसके लिये हम उसे बधाई देते हैं, लेकिन फारेस्ट की परिभाषा ऐसी होनी चाहिये जो जनता के हित में हो ।

इन शब्दों के साथ, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि गरीब हरिजनों के नाम पर, उन लोगों के नाम पर जिनके पास भूमि नहीं है, उनके नाम पर जिनकी माली हालत बहुत खराब है, ऐसी भी उनकी हालत नहीं है कि जो उधर के २, ४ माननीय सदस्यों के साथ मिलकर कोई छोटी-मोटी इन्डस्ट्री भी चला सकें, और चूंकि खेती और इन्डस्ट्री का समन्वय होने वाला है, इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन का विरोध न करें, बल्कि सरकार पर दबाव दें कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करे ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—मान्यवर, मैं इस विषय पर बोलने वाला नहीं था, लेकिन माननीय प्रतापसिंह जी ने मेरे ऊपर इशारा करते हुये कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिससे मेरा बोलना जरूरी हो गया । मैं प्रतापसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी बातों का उत्तर लेने के बाद सदन को छोड़ें तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी ।

सर्वप्रथम मैं श्री मुनीन्द्रपाल जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिस संशोधन के समर्थन में प्रतापसिंह जी ने कहा कि पब्लिक इन्टेरेस्ट को मानने वाले या जनता के हितों को सोचने वाले, और बहुत से विशेषण उन्होंने कहे, कि ऐसे सदस्यों को इस संशोधन का विरोध नहीं करना चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी माननीय सदस्य पब्लिक के इंटेरेस्ट को मानते हैं, जो जनता के विचारों का समर्थन करने वाले हैं, जो जनता की आवाज पर चलने वाले हैं, वे सब इस संशोधन का विरोध करेंगे, मेरा ऐसा विचार है ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धाराओं की ओर ले जाना चाहता हूं अगर वे उनकी धाराओं को पढ़े होते तो वे जज्बे में आकर इस प्रकार की बातें न कहते । अगर वह उसकी धारा ३५ को बखूबी पढ़ लें तो उसमें परपज दिये हुये हैं जो जनता के लिये हैं और उन्हें पूरा करने के लिये सरकार को यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा है । उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जिनमें इन जंगलों को सरकार द्वारा मैनेज करने की जरूरत पड़ती है । कहीं पर बर्फीले मैदान हैं, कहीं राक्स हैं, कहीं सायल इरोजन हो रहा है । ये तमाम बातें पब्लिक इन्टेरेस्ट की हैं और इन्हीं को कवर करने के लिये गवर्नमेन्ट यह संशोधन विधेयक लाई है ।

प्रतापसिंह जी ने अन्त में बैठते हुये दुहाई दी कि इन हरिजनों के नाम पर उन गरीब भूमि-हीनों के नाम पर जिनके लिये भूमि की जरूरत है, उनकी खातिर सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये । मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपना यह दृष्टिकोण सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने की हिम्मत कैसे की । अगर उन्होंने धारा ३(ए) को देखा होता तो उन्हें पता चल जाता कि उसमें साफ लिखा है कि सरकार ऐसी जमीनों को नहीं लेगी जो किसी व्यक्तिगत खातेदार की हैं । यह व्यवस्था तो उन जमीनों के लिये की जा रही है जिनके लोगों ने फर्जी तरीके से पट्टे करा लिये हैं यानी जो claimant हैं और जिनका नेशन के लिये सदुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि फर्जी काम की वजह से नेशनल लास हो रहा है । उसी नेशनल लास को बचाने के लिये यह अमेन्डिन्ग बिल लाया गया है ।

माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि मन्त्री जी "एडजेसेन्ट टू" को डिफाइन कर दें कि वह हाथ भर का होगा या दो हाथ का होगा । इसका तो यहां सवाल ही नहीं है । उसका सम्बन्ध तो उस जमीन से है जो भूतपूर्व जमीदारों द्वारा पट्टे कराकर प्राप्त की गई है । और वह भी उन गरीबों की खातिर ली जा रही है जिनकी तरक्की नेशन चाहती है । नेशनल प्रापर्टी को बढ़ाने के लिये यह शब्द "एड्जेसेन्ट टू" प्रयुक्त होगा उसके लिये हाथ भर या चार हाथ या डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है । सन् ५६ का जो ऐक्ट था उसके अन्तर्गत ऐसी जमीन नहीं आ पातीं, उन्हीं को लाने के लिये यह बिल लाया गया है । इसमें किसी प्रकार के शुबहे की जरूरत नहीं है ।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

माननीय प्रताप सिंह जी ने यह ठीक ही कहा कि पहला सन ५६ का जो बिल था उसमें जो फारेस्ट की डेफीनीशन थी उसकी अपेक्षा इस बिल में वह काफी वाइड और क्लियर है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सीधा सादा बिल है और जनता के हित के दृष्टिकोण से सदन में प्रस्तुत किया गया है। फिर इस सीमित धारा के ऊपर अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है। ३–४ दिन से इस बिल के संबंध में बहुत सी इरेलेवेंट बातें कही गईं। मैं कोई इरेलेवेंट बात कहना नहीं चाहूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि यह जो संशोधन रक्खा गया है माननीय सदस्य उसको विचार करके वापस लेंगे। क्योंकि अगर वह पुनः गौर करेंगे और बिल के परपज पर ध्यान देंगे तो उनको मालूम होगा कि जनता का हित इसी में है कि इसी तरीके से वाइड डेफीनीशन इस बिल में रखी जाती जैसी कि इस मौजूदा बिल में है। यह डेफीनीशन काफी है, और इसमें कोई कमी नहीं है और न इसमें से उसे निकालने की जरूरत मालूम होती है।

यदि शब्द "or adjacent to" इसमें नहीं रखे जायेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि मान लीजिये कोई जमीन किसी जंगल के करीब है तो वह छूट सकती है बिना इस अधिकार को लिये हुए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा किसी काश्तकार, किसी गरीब या किसी हरिजन को नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे जनता के हित पर कोई कुठाराघात होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से श्री प्रताप सिंह ने हरिजन सदस्यों की बात कही—मैं उनको साफ तौर पर बतला देना चाहता हूं कि यहां लेजिस्लेचर में आने के बाद हरिजन सदस्य कोई कैपिटलिस्ट नहीं हो जाते हैं। अगर हम ट्रेजरी बैंचेज पर बैठकर बहुत समझदारी की बात करते हैं तो उनकी निगाह में हरिजन कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, यह सही बात नहीं है। पूरी बात को अच्छी तरह से समझ कर ही कोई बात कहनी चाहिये। हम यहां गरीबों की बात रखने के लिये तथा जनता के हितों को प्लीड करने के लिये आये हैं, हम यहां गरीब हरिजन समुदाय की वकालत करने के लिये आये हैं, उनके काज को यहां रखने के लिये आये हैं। ऐसी बातें कहने वाले इस बात को समझ लें कि हम उनके हितों को किसी कदम पर भी नजरअन्दाज करने के लिये नहीं आये हैं चाहे इस तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश हो चाहे विरोधी पक्ष की तरफ से पेश हो। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें इस आदरणीय सदन में कहना हरिजन समुदाय के ऊपर एक व्यक्तिगत आक्षेप है जो किसी भी माननीय सदस्य के लिये और सदन के लिये भी शोभा की बात नहीं है। श्री प्रताप सिंह जी अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें।

श्री प्रतापसिंह—मैंने यह नहीं कहा था।

श्री रामेश्वरप्रसाद—जिस हरिजन समुदाय के ८० या ८४ सदस्य यहां चुन कर आये हैं वे अपनी समस्त समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। इस बात को माननीय प्रताप सिंह तथा उनके जैसे विचाराधारा रखने वाले माननीय सदस्यों को समझ लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं और जो हमारे माननीय मुनीन्द्रपाल सिंह ने अमेंडमेंट रखा है उसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि उससे जनता का कोई हित होने वाला नहीं है।

***श्री रूर्मासिह**—माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय मुनीन्द्रपाल सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहले आपकी खिदमत में चन्द बातें इस संशोधन विधेयक को पेश करने के सिलसिले में कहूं, माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक एक विदेशी जंगली भाषा में पेश किया है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या उन सदस्यों का जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, उनका शोषण माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है? उन्हें अपने अधिकारों की हिफाजत और कर्त्तव्यों के पालन करने से वंचित नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है ? आप स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी माननीय सदन के बहुतेरे सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं। फिर भी मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को अंग्रेजी भाषा में पेश करके हम जैसे हिन्दी भाषा के जानने वालों के साथ बड़ा जबरदस्त अन्याय किया है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां तक नियम की बात है इस बारे में बिलकुल क्लीयर प्रोविजन उसमें है कि अगर कोई बिल ओरिजिनली हिन्दी भाषा में है तो उस पर संशोधन हिन्दी भाषा में आवेगा और अंग्रेजी भाषा में है तो वह अंग्रेजी में आवेगा । तो माननीय मंत्री जी या सरकार उन नियमों का पालन करने के लिये विवश है। वे इसी सदन के बनाये हुए नियम हैं।

श्री रूमसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मेरा तो यह कहना है कि हमको उस संशोधन का अनुवाद हिन्दी भाषा में मिलना चाहिये ताकि हम अपने कुछ सुझाव इस संशोधन पर पेश कर सकें। जिस अंग्रेजी भाषा को हम जानते तक नहीं हैं उसमें संशोधन विधेयक आया है तो हम उस पर अपने विचार क्या रख सकते हैं और उसे हम क्या समझ सकते हैं ? इसलिये कम से कम जब कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी घोषित कर दी गयी है उसके बाद भी हर मौके पर हर जगह पर हम लोगों को अधिकारों को छीना जा रहा है और हमें अपने कर्त्तव्य को पूरा करने से यह सरकार रोकती है। हमारे जो अधिकार हैं वे श्रीमन्, आप के हाथ में हैं, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस विषय में अपनी व्यवस्था दें और कम से कम इस सरकार को ऐसा करने से रोकें कि वह अंग्रेजी की मारफत सारे देश को चौपट कर रही है। आज देश के करोड़ों इन्सान अंग्रेजी नहीं जानते हैं सरकार बार-बार आज भी अंग्रेजी में कानून बनाये जाती है, इससे देश का भला नहीं होगा . . . . .

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, वह बात हो गई अब आप संशोधन पर आ जायं ।

श्री रूमसिंह—हम अपने विचार इस पर कैसे व्यक्त करें जब कि यह विधेयक हमें केवल अंग्रेजी में ही मिला है । हम चाहते हैं कि कम से कम इस सरकार को रोका जाय और चेतावनी दी जाय कि इस सूबे की जनता का ख्याल कर के सरकार ऐसा कानून बनाये कि यहां के लोग उसकी भाषा को समझ सकें। मैं बहुत अदब के साथ जोर देकर कहता हूं कि सरकार अंग्रेजी में कानून लाकर क्यों इस बात की कोशिश करती है कि प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता अंधेरे में रहे और किसी कानून को न समझे । जिस तरह से आज कानून को अंग्रेजी भाषा में रखकर. . . .

श्री अधिष्ठाता—यह सदन के ही बनाये हुये नियम हैं कि जिन का यहां पालन हो रहा है, इसमें सरकार की इच्छा का सवाल नहीं है। अब आप संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री रूमसिंह—जी हां, सदन के बनाये हुये कानून के अनुसार ही सदन की भाषा हिन्दी घोषित की गई है तो यह अंग्रेजी में कैसे. . . .

श्री अधिष्ठाता—उस नियम को निलम्बित नहीं किया गया है, बल्कि नियम यह है कि जो अधिनियम ओरीजिनली अंग्रेजी के हैं उन के संशोधन अंग्रेजी में ही आने चाहिये, अगर उनका संशोधन हिन्दी में लाया जाय तो वह जुड़ किस तरह सकता है । जब तक मूल एक्ट अंग्रेजी में है तब तक उनके संशोधन अनिवार्यतः अंग्रेजी ही में आयेंगे । अगर इस तरह के नियम पर आपत्ति हो तो सदन को अधिकार है कि वह उसमें परिवर्तन करे लेकिन जब तक यह नियम है तब तक ऐसे संशोधन अंग्रेजी ही में आ सकते हैं । अब आप संशोधन पर बोलें ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—आप जो आदेश दे रहे हैं वह तो ठीक ही ह लेकिन जो माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते और केवल हिन्दी ही जानते हैं उनको संशोधनों का अनुवाद तो सरकार की ओर से मिलना ही चाहिये ताकि वह भी समझ सकें कि सरकार का क्या मंशा है और वह क्या करने जा रही ह ।

श्री अधिष्ठाता---इस सम्बन्ध में मैं काफी स्पष्टतः कह चुका हूं, यदि इस तरफ ध्यान देकर नियमों में परिवर्तन हो जाय तो यह हो सकता है। परन्तु अभी ऐसा नियम नहीं है।

श्री रूर्मासिह---या तो कांग्रेस सरकार यह नियम बना दे कि केवल अंग्रेजी पढ़ा लिखा सदस्य ही यहां का सदस्य बन सकता है, लेकिन उस सम्बन्ध में तो नियम है कि बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी यहां सदस्य हो कर आ सकता है और उसके बाद अंग्रेजी में यहां कानून पेश हो तो यह तो खुली लूट है, हमें अंधेरे में रखना है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जो माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते उनके अधिकारों की आप रक्षा करें और बार-बार सरकार को चेतावनी दें कि अगर वह वाकई में प्रदेश की जनता को सुख-सुविधा देना चाहते हैं तो सारे कानून हिन्दी में ही यहां पेश हों. . . .

श्री अधिष्ठाता---इसके लिये आप कई बार कह चुके, अब आप संशोधन पर बोलें।

श्री रूर्मासिह---दो एक मिनट में संशोधन पर बोलूंगा, जब यह सरकार अंग्रेजी भाषा के द्वारा जनता को धोखा देती है तो यह साबित है कि वह जंगल का कानून बना कर हरिजनों, पिछड़े लोगों और गरीबों को आघात पहुंचा रही है, उन्हीं की छोटी-छोटी खेती को छीनने के लिये यह बिल पेश किया गया है। आप कहते हैं कि लोगों ने जंगल के किनारे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, लेकिन पहले से जब कब्जा किया था उस वक्त आप कहां चले गये थे, आपके अधिकारी मौजूद थे, जब कब्जा किया था उसी वक्त उन्होंने क्यों नहीं रोका, आज दस-दस, बीस-बीस और १५-१५ साल हो गये लोग वहां बराबर खेती कर रहे हैं उनको आज कहा जाता है कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। आप जानते होंगे कि लेखपाल दस-दस साल तक अमलदरामद नहीं करते, किसान खेती करते रहते हैं और कागज में अमलदरामद या इन्द्राज नहीं होता। पिछले जमाने में भी लाखों ऐसे केस हुए, आन्दोलन तक चले गलत इन्दराज की बिना पर, हजारों आदमी जेल गये। मंत्री जी भी जानते हैं कि बेचारे काश्तकार खेती करते हैं, लेकिन उनका इन्दराज सही तरीके से नहीं होता है। तो अगर मंत्री जी चाहते हैं कि गरीबों का भला हो तो जिस जमीन पर काश्त होती है उसको जंगल मे मिलाने से क्या फायदा? यों ही परती जमीन तमाम पड़ी है, उस पर जंगल लगवाएं तो ठीक होगा। हरिजनों को उजाड़ना, छोटे काश्तकारों को उजाड़ना, यह अच्छी बात नहीं है। जहां पर खेती होती है वहां लगान लगा दें तो सरकार को आमदनी भी होगी। १२८ करोड़ का बजट है। मंत्री जी अपने सुख-सुविधा और सरकारी अफसरों की सुख-सुविधा का ही खयाल रखते हैं और हजारों रुपया माहवार फिजूलखर्ची में जाता है, गरीबों का कोई भला नहीं होगा।

तो मैं माननीय मुनीन्द्रपाल सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और साथ ही मंत्री जी से अपील करता हूं कि भविष्य में वह अंग्रेजी में बिल न पेश किया करें। आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री ब्रजभूषण शरण---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुनीन्द्रपाल जी द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(सदन में कुछ शोर होने पर)

मैं यह मानता हूं कि हमारे जो विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिये हैं, परन्तु मैं कुछ तत्व की बात भी कहना चाहता हूं। कृपया उसे सुनने का प्रयास करें। आज जो दो अमेंडमेंट्स इस वक्त सामने आये मैंने उनको बड़े गौर से सुना, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री जी से वह चाहते क्या हैं, किस चीज का क्लेरीफिकेशन चाहते हैं। कहा गया कि 'एडजेसेन्ट टु' शब्द निकाल दिये जायं। क्यों निकाल दिये जायं? माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि कोई इंतिहा नहीं है, २०० गज लम्बा होगा, ४०० गज होगा या ५० गज होगा या कितना होगा। यह ठीक है कि लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी ने बतलाया, अगर कोई डिफाइन्ड चीज है तो क्या जरूरत है कहने की कि २०० गज

या ४०० गज। अगर हम कहते हैं कि इस सभा भवन की चहारदीवारी के अन्दर, तो ठीक हो गया, २००, ४०० या ५० गज कहने की क्या जरूरत है। अब सवाल यह है कि जो मैं एनालाजी दे रहा हूं वह यहां कैसे एप्लाई होती है? आपके सामने इंडियन फारेस्ट ऐक्ट है। चैप्टर ५–ए है, जिसमें धारा ३८–ए में माननीय मंत्री जी इस अमेन्डिग बिल द्वारा अमेंडमेंट लाये हैं और उसमें आप यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आप उसे पढ़ लें। एकाध लाइन इधर या उधर से पढ़ लेने से कानून का मंशा नहीं मालूम होता। ३८–ए में लिखा है :—

"In this chapter unless there is anything repugnant in the subject or context claimant shall mean....such and such....forest shall mean.... such and such...."

हिन्दी में इसका अनुवाद यह हुआ कि इस चेप्टर में जब तक कि रेफरेन्स और कंटेक्स्ट के खिलाफ कोई बात न हो, क्लेमेंट के माने यह...होंगे और फारेस्ट के माने यह.....होंगे। उस फारेस्ट की जो परिभाषा है उसमें माननीय मंत्री जी इस अमेंडिग बिल के जरिये संशोधन करना चाहते हैं और उस संशोधन पर हमारे माननीय मित्रों को जो उधर बैठे हैं, सख्त एतराज है जिसकी बाबत कि यह संशोधन उपस्थित किया गया है।

आप कृपा करके इसे जरा सा और आगे पढ़ें। सबसे पहला सेन्टेंस पढ़ें—

"In this chapter, unless there is anything repugnant in the subject or context...."

तो इसके माने यह होंगे। यह माने नहीं होंगे कि अगर मंत्री जी की बात को मान लिया जायगा तो बाकी तमाम फ़ारेस्ट में भी लग जायगा। ऐसी बात नहीं है। एक मखसूस चैप्टर पर अमेंडमेंट की धारा का असर होने वाला है।

धारा ३८ (बी) को देखें—

"The State Government may by notification in the official *Gazette* regulate or prohibit in any forest (situate in or upon any land of a claimant)...."

तो क्लेमेंट की जमीन से सम्बन्धित है। क्लेमेंट कौन हैं आपको मालूम है। जब क्लेमेंट मालूम है तो आपको यह भी मालूम है किस जमीन पर इस कानून का संशोधन लगने वाला है। फिर २०० मील या ४०० गज की परिभाषा की क्या आवश्यकता है? नये क्लेमेंट कोई बनने वाले नहीं हैं। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के बाद जिनके जंगलात थे और जिनके फरजी पट्टे थे, अगर तर्क के लिये भी मान लिया जाय कि एक पट्टा दिया गया, फर्जी और ठीक पट्टे की बात तो आप अदालत से तय कर सकते हैं, परन्तु जहां तक इस चीज का ताल्लुक है वह तो घट बढ़ नहीं सकते हैं। क्लेमेंट तो वही होगा जिसको जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के मातहत जंगल के एरिया का किसी निश्चित तिथि के पहले पट्टा दे दिया गया है तथा जंगल काट दिया गया है, या उसमें स्टेम्स हैं, या जंगल का कुछ हिस्सा वहां खड़ा है। जैसा उद्देश्य और कारणों से मालूम होता है। एक संशोधन पहले आया था उसके जरिये से जो पहले खड़े फारेस्ट थे उन्हीं का कुछ इन्तजाम कर पाये। मगर जहां पर काट दिये गये थे उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता था। पर एक गैर-कानूनी चीज को बढ़ावा न दिया जाय, जो कमी रह गई थी उसके सुधार के लिये, यह परिवर्तन किया जा रहा है। और इससे आप लोग भी सहमत होंगे कि जंगल काटे न जायं। उनकी रक्षा हो। तो इस संशोधन से मंत्री जी के यही मंशा है कि जिस कानून को आपने पास किया था पहले उसको पूरा कर सकें और अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको ठीक करने के लिये यह अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। इसलिये इसके पास करने में क्या एतराज हो सकता है।

[श्री ब्रजभूषणशरण]

माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि अगर इस संशोधन का, जो माननीय मुनीन्द्रपाल जी ने रखा है, विरोध किया तो एक प्रकार से जनता का विरोध होगा। तो मुझको सोचना पड़ा कि क्या वाकई में ऐसा है ? क्योंकि पार्टी और उसके अनुशासन से बड़ी जनता है और उससे ऊपर राष्ट्र है। हम जनता का विरोध करने के लिये यहां नहीं आये हैं। विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इधर कनफ्यूसिंग हो रही है। ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि हमारे कुछ साथी इसके सही माने को न समझे हों या उनका ध्यान न गया हो इन बातों की तरफ।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि कोई जनता का या उसकी भावनाओं का विरोध इस संशोधन के विरोध करने से नहीं होता है जो संशोधन श्री मुनीन्द्रपाल जी का है। बल्कि यह समझे कि मंत्री जी का क्या आशय है ? कहा गया कि इस विधेयक से न मालूम कुमायूं में क्या हो जायगा, आफ़त मच जायेगी। ऐसी परेशानी उधर से जाहिर की गई। लेकिन मैं भी पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूं अगर कुमायूं प्रभावित होगा तो मेरा क्षेत्र भी प्रभावित होगा। परन्तु मैं नहीं समझ सका कि जिस चीज़ की परिभाषा व लिमिटेशन पहले तय हो चुके हैं और वह क्लेमेंट्स पहले से मौजूद हैं। नये जमींदारी जंगल कुमायूं में हैं नहीं। छोटी छोटी क्यारियां और नालियां हैं उनमें कोई जंगल खड़े नहीं हैं। क्लेमेंट्स नये बनने वाले नहीं हैं। क्लेमेंट्स की जमीन या जंगलों पर यह संशोधन विधेयक लागू होगा। ऐसी हालत में जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह एक भ्रम पर मुनहसिर है।

एक बात मैं और कहूंगा। एक माननीय सोशलिस्ट सदस्य ने हिन्दी के बारे में कहा। इस हाउस का एक नियम है कि अंग्रेजी में कोई मूल ऐक्ट होगा तो उसका अमेंडमेंट हिन्दी में नहीं लाया जा सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—जो संशोधन था उसका ज्ञापन हिन्दी में सरकार देती।

श्री ब्रजभूषणशरण—माननीय अधिष्ठाता महोदय ने एक रूलिंग दी कि जो मूल ऐक्ट हैं उनका संशोधन दूसरी भाषा में नहीं लिया जा सकता। एक नई बात भारतीय जी की तरफ से उठाई गयी कि इसका ट्रान्सलेशन हिन्दी में दिया जाय ताकि समझ में आ सके, वर्ना लूट होगी, शोषण होगा और इस देश को किसी तरह से चौपट कर दिया जायगा। अगर महज समझाने के लिये आपको हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता है तो इतनी स्पीचेज आपकी तरफ बैठने वाले विद्वान सदस्य दे रहे हैं उससे क्या समझ नहीं पाते कि क्या संशोधन है और क्या मूल अधिनियम है।

एक बात कही गयी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कि १०, १० और १५, १५ साल से जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हें वंचित कर दिया जायगा। यह विधेयक उन पर लागू नहीं होगा। सन् ४९, ५० वालों पर लागू होगा जिन्होंने जंगल काट कर खेती कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को स्वीकार किया जायगा और इस संशोधन को अस्वीकार किया जायगा।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुनीन्द्र पाल जी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो अमेंडमेंट है वह ऐसा है कि एडजेसेंट जमीन को लेने का सरकार को अधिकार न हो। सरकार एडजेसेंट के नाम पर ऐसी जमीन भी लोगों की न छीन ले जिससे लोगों का गुजारा होता हो। सरकार की या किसी मिनिस्टर की अब यह मंशा हो सकती है कि किसी जमीन से किसी काश्तकार को हटाने के लिये उसका घर जला न दिया जाय। माननीय सुदामा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रसादजी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं । मैं समझता हूं माननीय अली जहीर साहब में यह खूबी है कि वे हाउस को कभी भी मिसलीड करने की कोशिश नहीं करते । कई बार इस तरह के मौके आये हैं जब कि उन्होंने बड़े एम्बैरेसिंग सवालों का जवाब दिया जिससे वे खुद एम्बैरेस हो गये । इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि झांसी में जंगल के कर्मचारियों ने लोगों के घरों में आग लगाई और कई किसानों के घरों को फूंक दिया । तो श्रीमन् जंगल के अफसर और कर्मचारी इस 'ऐडजेसेन्ट' लफ्ज का क्या अर्थ लगायेंगे, इस लफ्ज के इतने अनर्थकारी माने होंगे जिसकी वजह से इस कानून में यह लफ्ज हर्गिज नहीं रहना चाहिये ।

जहां तक जंगल बढ़ाने की नीति है, जंगल देश में रहने चाहिये, इसका सम्बन्ध है, इन सारी चीजों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसी ज्यादती लोगों पर हो कि जिसे रोकने की मिनिस्टर साहब में भी ताकत न हो इसको मैं बहुत ही गैरमुनासिब बात समझता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से एक ही सवाल करता हूं कि क्या कभी भी उनकी यह नीति थी कि झांसी के लोगों के घर जला दिये जायें ? उनके घर जला दिये गये बगैर उनकी मर्जी के । तो ऐडजेसेन्ट तो किसी को कहा जा सकता है । हर जंगल के करीब ऐडजेसेन्ट जमीन होगी ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—लेकिन क्लेमेण्ट तो सब नहीं होंगे ।

श्री गेंदासिंह—अरे भाई, क्लेमेन्ट तो मैं जानता हूं, इतनी अंग्रेजी मैं समझता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने झांसी वाले भाई से पूछिये कि वे क्लेमेन्ट थे या क्या थे जिनके घर जलाये गये और आप बचा नहीं सके उनके घर जलने से । इसलिये मैं समझता हूं कि अगर कहीं वेगनेस भी हो, कहीं इस बात की सम्भावना होती हो कि इससे हमारे अधिकारियों को जुल्म करने की ताकत मिलेगी तो ऐसी ताकत नहीं दी जानी चाहिये । इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मुनीन्द्र पाल जी के संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

*__श्री सैयद अली जहीर__—अधिष्ठाता महोदय, यह जो तरमीम आयी है यह करीब करीब बिल्कुल वैसी ही है और उसी बदगुमानी और गलतफहमी पर मबनी है जैसे कि पहले तरमीमें आयी थीं वह मबनी थीं ।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुये ।)

ठीक है, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह ने कहा. . . .

श्री अधिष्ठाता—आपको परेशानी नहीं होनी चाहिये, आप गेंदासिंह ने जो कहा उसका जवाब दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल, मैं चेयर से कह रहा था कि जो माननीय गेंदासिंह जी ने कहा था उस सिलसिले में मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इस तरह की गलतियां होती हैं, हमारी नोटिस में आती हैं और उनका तदारुक किया जाता है । लेकिन उसकी वजह से यह समझ लेना कि गवर्नमेंट का कानून गलत है या जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वह खराब है, यह सही नहीं होगा । अच्छे बुरे हर जगह होते हैं । किसी मखसूस मामले में जिसके लिये गेंदासिंह जी ने इतनी अहमियत दी उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है, जैसा कि मैंने पहले भी यह बताया था, कि असल किस्सा वहां यह था कि वहां के रहने वालों को कुछ लोगों ने भड़काया और उसकी वजह से वह यह चाहते थे कि इस जमीन के ऊपर, जो जंगल की थी, वह अपना हक जमायें, खेती करके या किसी न किसी तरह से उसको हथिया लें । जाहिर है, जब १३ हजार स्क्वायर माइल का जंगल है तो हर जगह तो पुलिस और फौज नहीं रखी जा सकती है । यह जंगल का हिस्सा एक जजीरे के समान है जो दरिया के बीच में है । उसका नम्बर लिखा हुआ है और वह जंगल में शामिल है और उसका एरिया जो खाते में दर्ज था वह कम लिखा है और उससे ज्यादा उसका एरिया है । चूंकि जंगल एरिया खाते में लिखा हुआ है, लिहाजा यह कोशिश की जा रही है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सैयद अली जहीर[

कि किसी न किसी हिस्से में कब्जा किया जाय और मकान वगैरह बना कर या खेती वगैरह करके यह कोशिश की जाय कि यह साबित हो जाय कि यह जमीन हमारी है।

मजट तो दस वर्ष पहले हुआ था और जो जजीरा है वह घटता बढ़ता रहता है। कभी नदी इधर आ जाती है और कभी नदी उधर चली जाती है और जजीरे में कमी बेशी हुआ करती है। जाहिर है कि जब रिकार्ड में लिखा गया था तो जजीरे की पुरानी शक्ल थी। उन्होंने उसमें खेती-बारी करने की कोशिश की तो उनको रोका गया, उनका चालान किया गया और उन पर मुकदमा भी चल रहा था। इसी दौरान में वह लोग आये और जंगल की घास वगैरह काटकर, फूस और लकड़ी लेकर झोपड़ी जैसी शक्ल बनाई, यह दिखाने के लिये कि वह वहां रह रहे हैं और सामान भी ले आये और वह इसी किस्म का था जैसे हल है, दो चार बर्तन जैसे थाली, कटोरा वगैरह थे। जाहिर है इस तरह से वह आये और वह यह साबित करना चाहते थे कि यह मकान हमारा है और इस जमीन पर हमारा कब्जा है। उस समय वहां पर न कोई पुलिस फोर्स थी और न मिलिटरी ही थी जिससे उनको हटाया जाता या हाथापाई की जाती। इसके सिवाय और क्या किया जाता। झोपड़ी वहीं के सामान की थी। जो उनकी मिल्कीयत थी उसको हटा दिया गया और जो घास-फूस वगैरह था उसको जला दिया गया। मुमकिन है इसमें कुछ ज्यादती हुई हो। मैंने खुद इसको तस्लीम किया है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये यह कहा जाय कि घर जला दिये गये, उनको बरबाद कर दिया गया या उनको तबाह कर दिया गया हर चीज को वाकेयात के सिलसिले में देखना चाहिये तभी सही माने समझ में आ सकते हैं वरना छोटी चीज को बढ़ा दिया जाय और कहें कि बड़ा भारी अन्याय हो गया तो इस तरह की शक्ल देना ठीक नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि इसको इस लाइट में नहीं देखा गया। कहा जाता है कि कानून बन जायगा, लेकिन लागू करने वाले तो अधिकारी लोग होंगे। लेकिन इसकी पालिसी तो हम तय करेंगे कि कहां लागू होगा और कहां नहीं होगा, कौन जमीन ऐडजेसेन्ट समझी जायगी और कौन नहीं।

बाज लोगों ने कहा कि ऐडजेसेन्ट लफ्ज को निकाल दिया जाय और उसके बजाय 'ऐप्टीनेंट' रख दिया जाय। मुझे यह अर्ज करना है कि हर इस लफ्ज में दिक्कतें हैं क्योंकि जंगल की शक्ल जगह-जगह पर मुख्तलिफ होती है। बाज जगह जंगल इस तरह के हैं कि जंगल के बीच में बहुत सी मिट्टी आ गई। उस जंगल का जुज दूसरी तरफ है। अगर ऐडजेसेन्ट निकाल देते हैं तो कहा जयगा कि दूसरी तरफ का हिस्सा जंगल नहीं है। चाहे जो उधर जंगल काट दे या पट्टे पर देदे। गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि अपर्टिनेंट नहीं है। इसका मंशा यह है कि जो जंगल रह गये हैं और जिनको हमने यह आर्डर दे दिया था, जो पहले कानून था उसके जरिये कि काट नहीं सकते, जाया नहीं कर सकते, आग लगाकर जला नहीं सकते, उसकी जमीन नहीं तोड़ सकते, वगैरह-वगैरह, उसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है कि हम उनको बहैसियत जंगल के रखेंगे और उनको फारेस्ट के अधिकारी फारेस्ट के उसूलों के हिसाब से रन करेंगे। मिल्कियत उनकी बाकी रहेगी। उसका मुनाफा मालिक को दिया जायगा। इस तरह से यह कानून बन रहा है। उसमें किसी बात का अंदेशा नहीं है हमारे जंगल तो है नहीं। वह किसी मालिक के हैं। अगर खेती ले लेंगे तो उसी मालिक को दे देंगे जिस की वह मिल्कियत है। तो क्या गरज पड़ी है कि हम काश्तकारों को डिस्प्लेस करके और किसी जंगल में ऐसी जमीन शामिल कर लें जो दूसरे काश्तकारों की हो ?

एक बात जरा आप लोगों के समझने की है। वह यह है कि हम इस जंगल को क्या करने जा रहे हैं ? जंगल की डेफिनेशन इसलिये आई है कि जो दूसरों की मिल्कियत का जंगल है उसको लेकर १५ वर्ष तक इंतजाम करें। आप कहते हैं कि दूसरों की जमीन शामिल कर लेंगे। हमारा कौन ऐसा सगा है जिसके जंगल में हम दूसरे की जमीन शामिल कर देंगे ? हम तो उसी जमीन को जंगल बनायेंगे, जो जंगल का जुज है। और अगर कहीं ऐसे वाकयात हों कि कहीं गलती या जबरदस्ती से लोगों ने काट लिये हों, तो उसको लेकर हम फिर जंगल की शक्ल दे दें, जो शक्ल जंगल की दो-चार साल पहले थी। जहां पर काश्तकारी हो रही है उसको हम टच

करना नहीं चाहते हैं। इस लाइट से मालूम होगा कि जो कानून आया है वह सही है और अमेंडमेंट की गुंजायश नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—श्री गोविन्दसिंह विष्ट।

श्री लालबहादुर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय गोविन्दसिंह को बुला लिया है उसके बाद क्लोजर लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन, यही सब बातें थीं जिनको मैं भी तरमीम के जरिये लाना चाहता था। मेरे शब्द कुछ ज्यादा थे। उतने अगर शब्द न निकालना चाहें तो यह छोटी तरमीम है। शायद इसे मान जायं। 'ऐडजसेंट टु' को निकालने की बात मान लें। आपने आज देखा होगा कि उधर के बैठने वाले लोगों के बीच में बहुत ईमानदार लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वाक़ई यह फील होने लगा है कि अगर यह तरमीम ऐसे पास हो जाय तो एक बड़ी भारी आसानी हो जाय। तो उधर से बराबर यह कोशिश चल रही है कि इसको माननीय मंत्री जी मान जांय। कई बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं जो बड़े-बूढ़े हैं और पढ़े-लिखे आदमी हैं वह इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से माननीय मंत्री जी इसको मान जांय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इसमें विरोधीदल का नाम आ गया है इसलिये वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हम अपने कानों से सुन चुके हैं बहुत जिम्मेदार सदस्यों से जो कांग्रेस के दल में बैठने वाले हैं कि आज तो इसको पास होने दें फिर बाद को देख लेंगे। जब ऐसी बातें हो गई हैं तो फिर क्या मानें लगायें। जब आपकी पार्टी के लोग, जो इतने बड़े बहुमत में यहां पर हैं, हमारी बातों से इत्तफाक करने लगे हैं और तब भी हमारी बातों से इत्तफाक करने पर अगर यह कानून बनेगा तो इससे क्या जनहित होगा? यह कानून न तो जनसंघ के लिये बनेगा और न विरोधीदल की किसी पार्टी के लिये बनेगा, यह तो ६॥ करोड़ प्रान्त की जनता के लिये बनेगा। तो फिर इसमें प्रेस्टिज का सवाल क्यों बनाया जाता है?

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने एक उदाहरण दिया कि यदि हम किसी कानून में कोई कानूनी पावर अधिक लेते हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। आपने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट बनाया। अब यह आपके हाथ में है कि जिसको चाहें जेल में डालें। आप अब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज लखनऊ विश्वविद्यालय के एक या दस बच्चों को, भले ही उन्होंने नटखट काम किया हो, आपने क्यों जेल में डिटेन कर रखा है? क्या वे इतने खतरनाक हो गये हैं जिससे हिन्दुस्तान की आजादी खत्म होने जा रही है? क्या देश पर ऐसा संकट आ गया है या देश गारत हो जायगा जिसकी वजह से उन बच्चों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में बन्द किया? क्या यह सदुपयोग है? अगर गुंडों को बन्द किया जाता तो हम समझते कि सरकार सही काम कर रही है, लेकिन यह ऐक्ट उनके लिये काम में नहीं ला रही है। आपने कितने जासूसों को जेल में डाला है? जो बातें यहां पर सुबह को होती हैं शाम को वही पाकिस्तान रेडियो कह देता है। चीन से भी इसी प्रकार के समाचार सुनने को मिलते हैं। इस देश में न मालूम कितने पंचमांगी घूमते फिरते हैं, लेकिन उनके लिये प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का प्रयोग नहीं होता है। जो लोग सत्याग्रह करते हैं या अपनी उचित मांगों के लिये सरकार से कहते हैं उनको बन्द किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—इसमें प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने तर्क को देते हुये इससे पुष्टि की। तो मैं भी उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

उनका कहना यह है कि जो कानून बनाने वाले हैं वह इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि दुरुपयोग हुआ है और आगे भी करेंगे। माननीय मंत्री जी ने वो बातें जनहित में कहीं मैं उनका ही जवाब दे रहा हूं। मिर्जापुर नगरपालिका को इसलिये भंग किया गया कि उसने जनहित में टैक्स घटाया था, साइकिल का टैक्स २ रुपये से १ रुपया कर दिया था, उन लोगों ने अतिरिक्त कर नहीं लगाया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि विन्ध्याचल के तीर्थ यात्रियों पर जजिया टैक्स लगे। यह उनका जनहित का उदाहरण है। ये सब बातें जनहित में ही करना चाहते हैं। सरकार अपने हाथ में यह पावर रखना चाहती है कि किस जमीन को वह लें और किसको न लें। हम कहते हैं कि आप देखें कि सरकार ने आज तक क्या किया। जहां भी डिस्क्रिशन इस आदरणीय सदन ने सरकार के यह एग्जीक्यूटिव के हाथ में दिया है वहां ७५ फीसदी उसका दुरुपयोग हुआ है और न जाने कहां-कहां, पार्टीबाजी मे और न जाने कितनी बाजिओं में उसका उपयोग किया गया है। जब यहां ९८ सदस्य निकल गये तो उस समय भी उसका उपयोग किया गया और इस प्रकार आप अधिकार का दुरुपयोग करते रहे हैं और करेंगे।

श्री बी० बी० शरण जी पता नहीं किस की शरण चले गये, यहां दिखायी नहीं दे रहे हैं, तो उन आदरणीय सदस्य देहरादून ने फरमाया कि यह तो क्लेमेंट को गवर्न करेगा और उन्हीं के लिये बनाया गया है। इसको बाहर लगाने की गुंजाइश नहीं है और इस फारेस्ट से डरने की फिर क्या बात है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में जो डेफिनीशन्स दी गयी हैं उनमें न तो कहीं फारेस्ट की डेफनीशन है और न कहीं फारेस्ट लैंड की। कैटिल की डेफिनीशन है, फारेस्ट आफिसर की डेफिनीशन है, फारेस्ट आफेन्स की डेफिनीशन है, फारेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनीशन है, लेकिन फारस्ट की डेफिनीशन कहीं नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—उत्तर प्रदेश संशोधन पढ़िये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बताने की कृपा की कि वह डेफिनीशन कहां पर है, लेकिन बाकी सारे फारेस्ट के कानून में फारेस्ट की डेफिनीशन कहीं और नहीं है सिवाय १९५६ के संशोधन के। मैं आधा जुमला ही कह पाया था कि उन्होंने बीच में टोक दिया। जरा कम से कम सुन तो लेते। लेकिन फिर भी मैं अनुगृहीत हूं उनका। उन्होंने ठीक सोचा कि फारेस्ट की हमने एक डेफिनीशन कर दी और सारे कानून के लिये एक ही डेफिनीशन हुई। यही मैं कहना चाहता हूं कि सारे कानून के लिये यह डेफिनीशन है।

एक सदस्य—पहली लाइन पढ़िये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—पहली और दूसरी, सभी लाइनें पढ़ ली हैं। माना कि यह फारेस्ट वर्ड क्लेमेंट के लिये है, लेकिन फारेस्ट की डेफिनीशन है कहां। अगर बी० बी० शरण जी मुझे यह बता दें कि इस फारेस्ट के अलावा और कहीं कोई फारेस्ट नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। या तो क्लेमेंट का जो फारेस्ट है या उससे मिला हुआ जो जंगल है उसके अलावा और कहीं जंगल न हो तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर उसके अलावा भी जंगल हैं तो उस जंगल की परिभाषा क्या हमने कहीं बतलायी ? अगर बतलायी हो अथवा और कहीं जंगल न हो तो हम अपनी सारी बात वापस लेते हैं। (कुछ व्यवधान होने पर) बाकी तो विधान सभा है, अजायबघर है, अमीनुद्दौला पार्क है, हजरतगंज है, जंगल कहां है ? क्लेमेंट नहीं तो जंगल नहीं, ऐसा माना जाता है। जहां गीदड़ नहीं वहां जंगल नहीं, जहां फलां जानवर नहीं वहां जंगल नहीं .....

श्री सैयद अली जहीर—बक लेने दीजिये

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी फरमा रहे हैं कि बक लेने दो। लखनऊ की यह तहजीब है ! मेरे लिये तो आवश्यक है ....

श्री सैयद अली जहीर--मैंने माननीय सदस्य के लिये कुछ नहीं कहा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मैं छोटी बातों का बुरा नहीं माना करता । लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह से मंत्री जी की जबान की आदत बिगड़ती है ।

श्री सैयद अली जहीर--मैंने कहा कि बीच में दखल न दें, उनको बोल लेने दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--खैर, जो कहा ठीक कहा । देर आयद दुरुस्त आयद । लेकिन कान मेरे बड़े तेज हैं । तो यह लंगड़ी दलील है कि फारेस्ट केवल हमने इस धारा के लिये डिफाइन किया है । जहां पर यह झगड़ा होगा कि फारेस्ट क्या है क्या नहीं, उन जगहों के लिये कि जहां पर यह चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा, तो वे फारेस्ट की परिभाषा कहां से लेंगे । कहीं कोई परिभाषा है ? जब हाई कोर्ट को परिभाषा निकालने में अड़चन होगी तो क्या होगा ? मैं बी० बी० शरण जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि फारेस्ट की दूसरी कोई परिभाषा नहीं है । कुमायूं, देहरादून, चकराता, देवरिया आदि में जहां क्लेमेंट नहीं हैं वहां के लिये डेफिनीशन क्या होगी ? लामुहाला यह होगा कि जो डेफनीशन एक जगह की गयी है वही गाइड करेगी । जहां पर दूसरे अर्थ नहीं निकल सकते वहां पर डिफीकल्टीज होगी इंटरप्रिटेशन की । कानून में भी नहीं दिया हुआ है .....

श्री ब्रजभूषणशरण--यह कौन से स्टैंट्यूट के मुताबिक आप कह रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--हाई कोर्ट की रूलिंग आप देखें । एक बार नहीं कई बार रूलिंगें हो चुकी हैं इस संबंध में वह अन्यत्र डिफाइन होता है तब एक पोर्शन में तो साइलेंस और दूसरे पोर्शन में डेफनिट होता है । तो जहां पर साइलेंट होगा लॉ वहां पर गाइड कहां से होगा ?

श्री ब्रजभूषण शरण--जहां ऐसा होगा वहां डिक्शनरी के माने एप्लाई करते हैं और जहां नहीं करते हैं वहां नहीं लगाया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--आप दोनों कानून पेशा लोग हैं । दोनों एक साथ न खड़े हों । हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आप दोनों खड़े होते हैं, तो मेरी इसमें आप मदद करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--खैर, बात अब यह आयेगी कि अगर एक जगह एक चीज की परिभाषा हमने कर दी और कहा कि लखनऊ में आदमी की परिभाषा हम यह करते हैं कि दो हाथ, दो पैर और एक नाक वगैरह वाला आदमी होगा और फिर कह दें कि और जगह के लिये कोई परिभाषा नहीं होगी तो फिर क्या दूसरे जगह के आदमियों के लिये यह परिभाषा मानी जायगी क्या उसके सींग होंगे, दुम होगी, क्या वह चन्द्रलोक से आयेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार चाहती क्या है ।

मैंने पढ़ा था कि एक दुना दो और दो दुना चार, लेकिन इस सरकार के लिये एक पैसा बराबर है दो नया पैसा और दो पैसा बराबर है तीन नया पैसा यानी दो दुना तीन होने लगा । २ आने के १२ और ४ आने के २५, यह हिसाब इनका ही है ।

श्री अधिष्ठाता--आपने जो बचपन में पढ़ा था आपने तो नहीं बदला ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, हमने जैसा पढ़ा था और गाँधी जी से जो सीखा था वही आज भी मेरे पास है । अब यहां तो दो दुना चार होने के बाद कुछ खत्म हो जाता है, इसलिये हिसाब में गड़बड़ी हो कर दो दुना तीन रह जाता है । यही उन्होंने यहां बनाया है । कुछ कानून की बातों का तर्क दें तो समझ में आवे, लेकिन जवाब तो देंगे नहीं । उधर के लोग जबानी मुझे बतलाते हैं, खुद बी० बी० शरण साहब ने जो मुझ से कहा, उसको मेरी आदत नहीं है प्राइवेट बातों को हाउस में कहने की, इसलिये नहीं कहता, लेकिन इसमें जो परिभाषा है उसके खिलाफ वे भी यहां कुछ भी कहें । मैंने 'ऐडजेसेन्ट' शब्द के लिये डिक्शनरी देख डाली, लेकिन

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

उसमें लिखा हुआ है नजदीक, मिला हुआ । तो नजदीक में तो आध मील भी आ सकता है, १ मील भी आ सकता है और इस तरह का कानून बनान खतरे से खाली नहीं है ।

*श्री प्रतापसिंह---मैं यह जानता हूं कि मंत्री जी को किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी है । वे कहते हैं कि हम किसानों की जमीन लेने वाले नहीं हैं । वे किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं । अब इसके लिये मैं क्या कहूं ? वे कहते जरूर ऐसा हैं मगर करते कुछ और ही हैं । अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो जो माननीय मंत्री जी की गुड विशेज़ हैं वे काम में नहीं आयेंगी । मेरी समझ में नहीं आता कि जब इस संशोधन पर इतनी बहस हो गयी और करीब करीब सभी लोग इसके पक्ष में हैं, तो उन्हें इस छोटे से शब्द "ऐडजेसेन्ट" को काट देने में क्या आपत्ति है ? केवल दो माननीय सदस्यों ने तो अवश्य इनका समर्थन किया, किन्तु शेष सभी ने इसका विरोध किया है । इसके उद्देश्य और कारणों में स्वयं यह कहा गया है "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम बनने के पूर्व भूतपूर्व जमींदारों ने बहुत से वन क्षेत्रों को पुनरुद्धार और बाद में कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाये जाने के लिये पट्टे पर उठा दिया था ।" इस प्रकार उठाये गये पट्टों के बल पर बहुत से हितबद्ध लोगों ने उन वनों को साफ करना आरम्भ कर दिया था । वे अब ऐसा करने के लिये इच्छुक हैं । "राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से इन वनों का संरक्षण नितान्त आवश्यक है" । श्रीमन्, अगर यही बात थी तो माननीय मंत्री जी जवाब दें कि जो नोटीफिकेशन हुआ था उसको क्यों विदड्रा किया गया ? यह क्यों किया गया ? यह इसलिये तो किया गया था कि वह जमीन कृषि योग्य बन सके । उस वक्त तो यह कहा गया कि गल्ला उत्पादन के लिये हम दे रहे हैं ।

श्रीमन्, यह सब बातें हैं जो मैंने आपके सामने निवेदन कीं । करीब १८-२० माननीय सदस्य बोल चुके हैं और सभी मेरे संशोधन के पक्ष में हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीन दिन से इस बिल पर इस सदन में विवाद चल रहा है । मेरा कोई इरादा इस विवाद में सम्मिलित होने का नहीं था, लेकिन आज सवेरे जब मैंने माननीय बिष्ट जी के तर्कों को सुना, और भी माननीय सदस्यों के तर्कों को सुना, तो मैंने यह उचित समझा कि आपकी अनुमति से मैं कुछ तथ्य इस सदन की सेवा में रखूं । मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि माननीय बिष्ट जी ने और कुछ और सदस्यों ने बहुत-सी बातों को बिना समझे हुए, बिना सोचे हुए कहा । कुछ ने इस बिल के पक्ष में कहा और कुछ ने इसके विपक्ष में कहा ।

मेरे मित्र ने कुछ जिक्र कर दिया "कुछ लालच से" । मैं लालच का जिक्र तो करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा खयाल है कि शायद मेरे उधर के मित्रों के लिए वह ज्यादा लागू हो बजाय इसके कि जो सदस्यगण इधर बैठे हैं । क्योंकि कम से कम उनको यह लालच तो है ही कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिये, चाहे गलत बात कह कर या सही बात कह कर ।

श्री प्रतापसिंह---वैधानिक तरीके से ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---हां, उसका नाम वैधानिक तरीका है । कम से कम उसका लालच तो है ही । जहां तक इस ओर के लोगों का सम्बन्ध है मैं माननीय गोविन्द सिंह जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि उन्होंने कृपा करके इस पर ध्यान देने की चेष्टा की है तो सदन के इस ओर बैठने वालों ने भी बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है । अभी वह बहुत जिक्र करते थे "ऐडजेसेंट टु" के संबंध में और एक अजीब प्रकार की विकलता और तड़पन है उसके मन में और वह ऐसा खयाल करते हैं कि शायद इस शब्द के प्रयोग से फारेस्ट की जो परिभाषा है उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया और न जाने क्या से क्या हो जायगा, जो अध्याय ५ है मूल अधिनियम का उसमें।

श्रीमन्, इस अध्याय ५ (ए) में यदि मेरे मित्र देखें तो फारेस्ट के क्लेमेंट के नीचे "फारेस्ट" की भी परिभाषा है । यदि उसको देख लें तो जो उन्होंने संशोधन इस सदन के सामने बार-बार रखने का प्रयत्न किया है वह ऐसा नहीं करेंगे । परिभाषा है:—

"Forest includes any land covered by trees and shrubs and pasture lands."

यानी आज जो बहुत झगड़ा पास्चर लैंड के संबंध में है या ऐडजेसेंट के संबंध में आज सदन के सामने है, मुझे ऐसा खयाल है.....

श्री रूर्मासिह—यह जो अंग्रेजी झाड़ रहे हैं मंत्री जी, इसका तर्जुमा भी कर दें तो कुछ समझ में भी आवे ।

श्री अधिष्ठाता—वह अंग्रेजी झाड़ नहीं रहे हैं । यह सही है कि अगर आप हिन्दी उसकी कर दें तो आसानी हो जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं अवश्य हिन्दी कर दूंगा । मेरा खयाल था कि जो विवाद चल रहा है उसको मेरे मित्र फ़ालो कर रहे हैं, इसलिये मुझसे यह धृष्टता हुई ।

श्री प्रतापसिंह—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इससे पहले गोविन्द सिंह जी जो बोले थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट दिया था जिस पर वोटिंग नहीं हो सका । आपने गोविन्द सिंह जी को पुकारा, उन्होंने जवाब दे दिया । अब ये जो बोल रहे हैं वह गोविन्द सिंह जी वाले संशोधन पर बोल रहे हैं या मुनीन्द्र पाल सिंह जी वाले पर बोल रहे हैं ? क्या अभी माननीय गोविन्दसिंह जी बोल रहे थे उसका उत्तर दे रहे हैं ?

एक सदस्य—उसका उत्तर तो मंत्री जी देंगे, वह कैसे दे सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—यहां पर किसी मेम्बर को किसी मेम्बर की बात का उत्तर देने का तो हक है ही । तो मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य के नाते वह उठ करके इस डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट की बातों का भी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—आपकी इजाजत से मैं समझा दूं । पहले एक अमेंडमेंट गोविन्द सिंह जी का था । उसके ऊपर बहस हुई कल से बहस हो रही थी—आज बहस खत्म हुई । गोविन्द सिंह जी ने जवाब दिया । उसका जवाब मैंने दे दिया । एक बज चुका था इसलिये उस पर वोटिंग नहीं हुई । रूलिंग यह हुई कि दूसरा जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर बहस शुरू हो जायेगी और जब वह बहस खत्म हो लेगी तो पहले पर वोटिंग होगी और फिर दूसरे पर होगी । तो इस वक्त दूसरे पर बहस चल रही है जो कि मुनीन्द्रपाल जी ने मूव किया है और उसका सिलसिला गोविन्द सिंह जी के अमेंडमेंट से ही है । उसके बाद जब वह क्लोजर मूव होगा तो मुनीन्द्रपाल सिंह उसका जवाब देंगे, फिर मैं जवाब दूंगा ।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा अमेंडमेंट जो है उसमें पास्चर लैंड का जिक्र नहीं है और मंत्री जी पास्चर लैंड की बात कह रहे हैं, इसलिए पहला अमेंडमेंट जो गोविन्द सिंह जी के नाम से है उसका ही यह जवाब हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा आप बैठें । मैं समझता हूं कि थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन किसी सदस्य को एक-एक लफ्ज पर रोक कर व्यवस्था नहीं दी जा सकती । मैं समझता हूं पूरे डिस्कशन में वे हिस्सा ले रहे हैं । गोविन्द सिंह जी के अमेंडमेंट का प्रश्न इस समय नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा, माननीय मुनीन्द्र पाल सिंह जी का अमेंडमेंट इस समय सदन के सामने है । उसी संबंध में इस समय विवाद हो रहा है । मैं समझता हूं अगर इधर या उधर से कोई बात कह दी जाय तो इतना छुई-मुई नहीं हो जाना चाहिये कि वह बात कही ही नहीं जा सकती ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं, यदि मुझ से कोई भूल हुई हो । मुझे यह मालूम नहीं था लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे विचार से सदन के सामने जो विवाद चल रहा है उसमें उन चीजों का समावेश है जिनका जिक्र मैं कर रहा था । माननीय मुनेन्द्रपाल सिंह जी का जो संशोधन है कि 'एडजेसेन्ट टू' निकाल दिया जाय, उसी से मैंने प्रारम्भ किया था । मैंने जो यह पाश्चर लैंड का जिक्र किया, वह मैं ऐडजेसेन्ट लैंड के सिलसिले में ही कर रहा था । मैं माननीय मुनेंद्र पाल सिंह जी और गोविन्द सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एडजेसेन्ट शब्द का पाश्चर लैंड से इस माने में संबंध है कि पाश्चर लैंड फारेस्ट के ऐडजेसेन्ट हो होती है और जिसको प्राप्त करने के अधिकार इस विधेयक के द्वारा हम चाहते हैं । परिभाषा में जिन चीजों का जिक्र है उन्हीं चीजों को मैंने उठाया है । उसमें साफ लिखा हुआ है कि फारेस्ट में निम्न चीजें भी हो सकती हैं । यानी कोई भी वह भूमि जिस पर वृक्ष हों, झाड़ियां हों, चरागाह हों आदि आदि । मैं यह कहना चाहता था कि आज जिस विवाद में यह सदन पड़ गया है उसको नहीं पड़ना चाहिये था यानी आज के विवाद का जो विषय है उससे बिल्कुल उल्टा है । माननीय गोविन्द सिंह जी और मुनीन्द्र पाल सिंह जी तो उस पेशे से संबंधित ही हैं, उनके अलावा इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जब किसी परिभाषा को किन्हीं शब्दों में बांधा जाता है तो वह सीमित बन जाती है उससे जब कि उसको शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं की जाती । इसमें कहा गया है कि बनों में निम्नलिखित चीजें भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बनों का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसकी सर्वमान्य परिभाषा है, उसके अतिरिक्त फारेस्ट में निम्नलिखित चीजें भी हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि आज जो परिभाषा है उससे पहले कुछ काम्प्रीहेंसिव थी । उसका साफ अर्थ यह हुआ कि अब जो सीमित परिभाषा हुई उसको हम सदन से पास कराना चाहते हैं । यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब इसी भावना से बैठे हुए हैं कि यहां बैठ कर इस प्रदेश के लाभ की बातें करें ।

इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वन इस प्रदेश के लिये लाभ की वस्तु हैं । वनों को नष्ट किया जा रहा है या उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, इससे भी कोई इन्कार नहीं किया जा सकता । जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसी कठिनाई आ सकती है कि हमारे पास जलाने के लिये ईंधन न रहे । ईंधन का अर्थ उस लकड़ी से है जिसको हम लोग जलाते हैं । आज बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कई मित्र जो इन पहाड़ी क्षेत्रों से आये हैं उनको यह ज्ञान है और मेरा खयाल है कि मेरे और मित्रों को भी इस बात का ज्ञान है कि बहुत बड़े पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बन प्रदेश को साफ कर दिया गया है और जिन के संबंध में आज यह समस्या है कि यदि यहां पर ईंधन न रहें, या टिम्बर न रहें तो कल इस देश की क्या दुर्दशा होगी । मैं पुराने इतिहास की पुनरावृति इस सदन के सामने नहीं करना चाहता हूं । बड़ा दुख होता है जब इस सदन को उस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय का स्मरण होता है । उस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय का खयाल हमारे मन में यह आता है कि जब जमींदारी विनाश का कानून इस सदन के सामने आया तो उस समय न जाने कितने ऐसे वृक्ष थे जो काट डाले गये, न जाने लोगों ने कितने बड़े-बड़े बनों को साफ कर दिया । ऐसी स्थिति में इस सदन से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सदन चाहेगा कि इस प्रदेश और देश में वन न रहें ? क्या यह सदन चाहेगा कि बन की उपयोगिता के युग से हम लोग बाहर निकल आयें ? क्या यह सदन चाहेगा कि जो बनों को हम इस कानून के द्वारा संरक्षण देना चाहते हैं वह संरक्षण न दे सकें ?

मैं इस सम्बन्ध में केवल एक ही चीज सदन से पूछना चाहता हूं और खासकर अपने मित्र गोविन्दसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां इस प्रदेश की भलाई के लिये बैठे हुए हैं, तो क्या वन प्रदेश का एक हिस्सा है और उसमें तीन स्थानों पर कुछ भूमि है जिसे लेकर वन प्रदेश को पूरा किया जा सकता है । बहुत मुमकिन है कि वह भूमि बंजर हो या वह भूमि कभी पुरानी चरागाह रही हो और जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है कि कहीं एक एकड़, कहीं दो एकड़ या एक बीघा या आधा बीघा भूमि हो तो क्या उसे नहीं लिया जाना चाहिये ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब उस भूमि को लेकर बन को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जा सकता है और उसे लेने की आवश्यकता पड़े तो क्या उसके लिये यह सदन व्यवस्था नहीं करेगा ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं लम्बे विवाद में नहीं जाना चाहता था श्रीमन्, मैं चाहता था कि थोड़े रूप में संक्षेप में ही कुछ चीजें कहूंगा। लेकिन मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर नहर निकालनी हो, जिसके लिये भूमि की आवश्यकता पड़ती है, या किसी जगह पर नाला निकालने की आवश्यकता पड़े या किसी जगह पर ट्यूबवेल बनाने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये यह सदन कुछ प्राविधान करता है। यदि नहरों के लिये, नालों के लिये और ट्यूबवेल्स के लिये यह सदन भूमि दे सकता है तो क्या प्रदेश में उपयोगी वनों के लिये यह सदन भूमि नहीं देना चाहता है? क्या वनों का कोई स्थान इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में नहीं है? और यदि है तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो भूमि किसी भी वन के निकट हो और जो बन के लिये उपयोगी हो तो क्या सदन उस बन के लिये कोई प्राविधान नहीं करेगा? यदि इस अधिनियम के सम्बन्ध में निरपेक्ष भाव से देखा जाय तो कोई विशेष दिक्कत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस सदन के बाहर और अन्दर भी बन अधिकारियों के विरुद्ध काफी शिकायतें होती हैं। लोगों को डर यह है जिसको मैं भी समझ पाया कि अगर बन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस तरह की भूमि को बन में शामिल कर लें तो इस तरह की भूमि के हिस्से को लेने में वे निरंकुशता बरतेंगे। तो मैं इस सदन के सामने केवल एक ही प्रश्न रखना चाहता हूं कि आखिर बन अधिकारी भी हमारे देश के ही अधिकारीगण हैं और वह एक दो व्यक्तियों का ही प्रश्न नहीं है, वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, मेरे विभाग के अधिकारी हैं, जेल के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, आखिर इन्हीं अधिकारियों द्वारा देश का शासन चलता है, हम उन पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं चाहते तो क्या किया जाय, उन की जगह कौन से नये अधिकारी लाये जायं और कहां से लाये जायं? जीवन का सामाजिक ढांचा बदले, आर्थिक ढांचा बदले, व्यवस्था बदले, एक सामाजिक रूप से उन चीजों को हम देश में ला सकें जिस से जन जीवन को नई प्रगति मिल सके और उसके फल स्वरूप फिर अधिकारी वर्ग में भी ऐसी नैतिकता आ जाय जिस की कि हम आज उन से अपेक्षा करते हैं। यह बात तो समझी जा सकती है, लेकिन यह कहना कि प्रत्येक अधिकारी अविश्वास के योग्य होगा और विश्वास के अयोग्य होगा या प्रत्येक वन अधिकारी यही विचार करेगा कि भूमि को लिया जाय या न लिया जाय और इतना रुपया मिल जाय---क्या ऐसा सब के विषय में खयाल करके चलना न्यायसंगत होगा? क्या ऐसा सोचकर हम अपनी राष्ट्रीयता के प्रति एक अपमान का भाव हृदय में नहीं ला रहे हैं? अगर यही राष्ट्रीयता है तो फिर कौन काम हमारा आगे बढ़ेगा? फ्रान्स के सम्बन्ध में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि वहां एक कहावत है कि देश को ऐसा ही शासन मिलता है जिस शासन को पाने की देश में योग्यता होती है यानी "The Country gets an administration which it deserves."

मुझे फिर माफ करें मेरे मित्र अगर मैं यह कहूं कि अगर हम निराशावाद की तरफ जायं और बार-बार कहें कि हमें अधिकारियों पर अविश्वास है तो फिर विश्वास हम किस पर करें। जो हमारे अधिकारी हैं चाहे वे वन विभाग के हैं, यहां सेक्रेटेरिएट के हैं या वन विभाग के हैं उन पर हमें विश्वास तो करना ही होगा। उस में व्यक्तिगत अपवाद हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों में कमजोरियां हो सकती हैं उन के सम्बन्ध में कोई नहीं कहेगा, लेकिन अधिकतर हमारे अधिकारी ऐसे हैं, इतनी नैतिकता उन में अवश्य है जिस की हम अपेक्षा उन से करते हैं। राष्ट्रीय नैतिकता के सम्बन्ध में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को हमें निश्चित रूप से छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अविश्वास को लेकर ही बैठ जायं तो मैं अत्यन्त आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि ऐसा करके हम प्रदेश की सेवा नहीं करते जिस की कि हम कामना लिये हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र के संशोधन का विरोध करता हूं और आग्रह करूंगा कि वह इस को वापस ले लें।

श्री लालबहादुर---मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---हमें श्रीमन्, समय नहीं मिला है, मुझे भी थोड़ा-सा समय दे दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठें, ठीक है । यह जो संशोधन श्री गोविन्द सिंह विष्ट और श्री मुनीन्द्रपाल सिंह के हैं उन में शायद कुछ शब्दों का ही हेरफेर है जिस पर कल से बहस चल रही है । आप अगर बहुत हार्ड ऐन्ड फास्ट न हों तो क्या अब आप यह सोचने को तैयार नहीं हैं कि अब इस पर वादविवाद काफी हो चुका है । आगे भी आप के संशोधन हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि उन पर भी बोलने का सदन को मौका मिले और विचार-विनिमय हो सके । मैं समझता हूं क्लोजर वक्त पर आया है । मैं सदन की राय लिये लेता हूं जो भी फैसला सदन का हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अभी जो आपने पूछा है कि क्या सदन उचित समझता है कि वाद-विवाद खत्म हो....

श्री अधिष्ठाता---वही मैं सदन के सामने प्रश्न रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रूमसिंह द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, जो क्लोजर मूव किया है वह इस संशोधन से ताल्लुक रखता है या जितने फालोइंग संशोधन हैं सब से रखता है ?

श्री अधिष्ठता---इस समय जिस संशोधन पर बहस हो रही है उसी पर विवाद अन्त करने का प्रस्ताव है ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, जब हम लोगों का नम्बर आया तभी विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया ।

श्री अधिष्ठाता---अभी बहुत मौका मिलेगा ।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुनीन्द्रपालसिंह---श्रीमन्, प्रथम तो मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया । अभी इस संशोधन के खिलाफ बोलते हुए माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने इस बात की नसीहत की कि इसका अध्ययन नहीं किया गया । मैं समझता हूं "खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत" । असलियत यह है कि उनको बोलना था इसलिये वह बोले । ग्राम समाज, फरजी इन्दराज का उन्होंने जिक्र किया । जहां तक फरजी इंदराज का सवाल है उसका तो सीधा मतलब था, फारेस्ट डिपार्टमेंट की एक अपनी लिमिट है, फारेस्ट डिपार्टमेंट का फारेस्ट है उसकी हद होनी चाहिये । जितनी उसको मिल्कियत है वही होनी चाहिये । उसके बाहर जंगल चाहे ग्राम समाज का हो या म्युनिसिपैलिटी का हो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, तो उसको फारेस्ट डिपार्टमेंट को अपने में नहीं लेना चाहिये । इस विधेयक में इस बात की चेष्टा की गई है कि जो फारेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है उसके अलावा भी एरिया बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है ।

साथ ही देहरादून के एक माननीय सदस्य ने पट्टे का जिक्र किया, कुछ यह भी जिक्र किया गया कि जहां पहले जंगल थे उस जमीन को भी सरकार ले सकती है । मेरा संशोधन यह है कि जितना उनका रकबा है उतना लिया जाय बाकी रकबे को न लिया जाय । जो जंगल सरकार में निहित हो गया है सरकार उतना ही जंगल लेगी या उसके अलावा भी जमीन होगी उसे भी ले लेगी ? मजरूआ जमीन में जो सहराई जमीन है वह ग्राम समाज की है । ग्राम

समाज का लैण्ड तीन हिस्सों में होता है। जितनी जंगल के आसपास जमीन है उसे मिलाया जा रहा है। मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मौके पर यह चीज है। फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर, पीलीभीत जिला के सम्बन्ध में बतला दिया है कि जितना जंगल है, जितनी आराजी मिली हुई है, जो सहराई है लेली गयी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। पटवारी सैहराई की परताल नहीं करते थे। ग्रो मोर फूड का सवाल हुआ तब से बहुत कुछ जमीनें खेती में मौजूद हैं। अब गांव वालों को यह दुश्वारी है कि ग्राम समाज से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लड़ें। इतने दिनों से जोतते आ रहे हैं लेकिन गलती की वजह से नाम दर्ज नहीं हुआ। दूसरी परेशानी यह है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे लेना शुरू किया। अब फारेस्ट डिपार्टमेंट से वह लड़े। जितने मैदान के फारेस्ट्स हैं उनके मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स नहीं हैं। वहां के लोग गरीब हैं। जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान होता है। पैदावार में नुकसान होता है। माली हालत अच्छी नहीं है। उनकी कानूनी एप्रोच भी नहीं हो पाती।

मंत्री जी को मंशा से कुछ ऐसा ज्ञात हुआ कि जब बुशेज का सवाल आया तो उसमें कहीं बैब भी न ले लें, जो कि काश्तकारों की है। पहले जमींदारों की भी थी। वहां काश्त नहीं होती थी। जंगल के किनारे काश्त इसलिये नहीं होती थी कि जंगली जानवरों से नुकसान होता था। ग्रो मोर फूड चला तो बहुत-सी जमीनें काश्तकारों के पास भी चली गयीं। लेकिन यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तै होने वाली बात है। ये जमीनें उन्होंने जमींदारों स पहल लीं या ग्राम समाज से ली हैं। रेकार्ड की गलती से यह सूरत है।

मैं यह समझता हूं कि यह अमेंडमेंट ऐसा है जिसको मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। यह जमींदारी फारेस्ट से वास्ता रखता है। उसकी चौहद्दी क्या होनी चाहिये, उसमें कितना लैंड आ सकता है और कितना नहीं आ सकता यह हमें देखना है। जो एक्सटर्नल है वह नहीं आ सकता। इस बात की खुशी है कि इस अमेंडमेंट की अहमियत ज्यादा मालूम होती है जिसमें एक मंत्री के बजाय दूसरे मंत्री को बोलना पड़ा। समाज सुरक्षा मंत्री जी ने जो बात कही इस अमेंडमेंट पर कोई बल नहीं दिया वरन् और प्वाइंट्स का विरोध किया है। और यह भी मुझे खुशी है कि उन्होंने और कानूनी बातों पर ज्यादा जोर दिया जिससे मैं समझता हूं कि मेरे अमेंडमेंट में कुछ बल है। पाश्चर लैंड का उन्होंने जिक्र किया। इससे भी मुझे कुछ सहारा मिला। पाश्चर लैंड भी इसमें आ सकती है और उससे गांव वालों को दिक्कत होगी क्योंकि गांव समाज में एक कानून है कि १/१० पाश्चर लैंड छोड़ी जानी चाहिये। इस बात को मैं नहीं कहता कि जिसमें फारेस्ट था और खेती होने लगी हो बल्कि मैं तो उसको कहता हूं जिसमें फारेस्ट था ही नहीं। पाश्चर लैंड भी उतनी ही जरूरी है जितना फारेस्ट जरूरी है।

समाज कल्याण मंत्री ने पैचेज का जिक्र किया। तो पैचेज तो बीच में होते हैं, ऐडजेसेन्ट में कहां आते हैं। हम सब इससे ऐग्री करते हैं कि जंगल होना चाहिये, लेकिन जहां पाश्चर लैंड नहीं है और ग्राम समाज में जमीन है तो फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्लांटेशन कर सकते हैं। तो पाश्चर लैंड कैसे रह जायगा? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पीलीभीत जिले में ऐसा हुआ है और ग्राम समाज की जमीन ली गयी है।

मैं समझता हूं कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है उससे यह काफी साफ हो गया है कि 'ऐडजेसेन्ट' वर्ड से ग्राम समाज की सम्पत्ति जाती है और जो काश्तकार हैं उनको नुकसान पहुंचता है।

दूसरी बात मैं और अर्ज कर दूं कि हाउस में यह जिक्र किया गया कि बड़े-बड़े जमींदारों के फार्म इसमें आ जायेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अपने यहां की मिसाल देता हूं। पीलीभीत और पूरनपुर में ज्यादातर फारेस्ट हैं लेकिन बीसलपुर में भी है जहां का मैं रहने वाला हूं और फारेस्ट के बहुत नजदीक का रहने वाला हूं इसलिये मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा तजुर्बा है। बीसलपुर तहसील में कोई फार्म ही नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी अपने किसी अफसर के जरिये या कलेक्टर के जरिये इसकी इन्क्वायरी करा लें। तीन-तीन, चार-चार खेत छूटे हुए हैं कहीं दो खेत छटे हैं कहां एक छूटा है। इस कानून के हिसाब से उनको भी फारेस्ट में ले लिया जायगा।

[श्री मुनीन्द्रपालसिंह]

लेकिन उसमें क्या प्लांटेशन हो सकेगा सिवाय इसके कि खाली पड़े रहें। दूसरे रिजर्व फारेस्ट की भी बाउन्डरीज बनी थीं। पैचेज तो उसमें आयेंगे ही और ऐसा होना चाहिये भी लेकिन जो ऐसी जमीन फारेस्ट में ली जायगी उसको कैसे काम में लाया जा सकता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से अमेंडमेंट को मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री सैयद अली जहीर—अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस अमेंडमेंट को मन्जूर नहीं कर सकता। इस अमेंडमेंट के साथ दो, चार लफ्ज और मिला कर श्री गोविन्द सिंह जी ने भी इसके पहले एक अमेंडमेंट तहरीक किया था और उसी सिलसिले में कल से तमाम बहसें इस सदन में हो रही हैं और मेरे खयाल में जितनी बातें कही जा सकती थीं वह सब कही जा चुकी हैं। अब सिवाय इसके कि वही बातें फिर दोहराई जायं और कुछ होना नहीं है और सदन का वक्त जाया होना है। चार दिन से इस बिल के ऊपर जो ४/५ क्लाजेज का है, बहस चलाई जा रही है। मैं अर्ज करूंगा कि अब जो कुछ भी बहस होगी, वह इसलिये होगी कि देर की जाय। कोई बात वाकई कही जाय या कोई जरूरी तरमीम रखी जाय, इस किस्म की कोई बात अब नहीं होगी। रह गया यह कि सरकार की नीति के ऊपर हमला कि आपके अधिकारी इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे या जुल्म करेंगे, यह ऐसी बातें हैं कि जो भी कानून आयेगा उस पर लागू हो सकती हैं और इनका कोई महत्व किसी कानून के मुताल्लिक नहीं है। अब रहा यह कि जनता इससे खुश होगी या नहीं या इसको वेलकम करेगी या नहीं या इसका दुरुपयोग होगा या क्या होगा यह चीजें फ्यूचर बतायेगा। मेरे कहने से कि यह सही इस्तेमाल होगा या जनता इससे खुश होगी या आपके कह देने से कि जनता को तकलीफ होगी, कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। वह तो पांच साल में एक मौका आता है जब हम जनता के सामने जाते हैं, उस समय फैसला होता है और होगा। महज हम लोगों के कह देने से काम नहीं चलेगा। इसलिये ऐसा कहना कोई माने नहीं रखता है। मैं अर्ज करूंगा कि बहुत देर तक इस पर बहस हो चुकी है। लिहाजा अब कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे अगर कोई जरूरी बात हो वह कह दी जाया करें, उसका जावब हो जाय और बहस खत्म हो जाय और वोटिंग हो जाय। इस तरह से इसको खत्म किया जाय। बाब्ल इसके कि इस पर वोटिंग हो मैं यह अर्ज करूंगा कि पहले श्री गोविन्द सिंह विष्ट की तरमीम पुट कर दें। इसके बाद इसको पुट कर दें।

श्री अधिष्ठाता—मैं सब से पहले श्री गोविन्दसिंह जी विष्ट का संशोधन ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की पहली पंक्ति में शब्द "pa sure" निकाल दिये जायं तथा पहली पंक्ति में शब्द "cultivable" तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "or adjacent to" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—२९,
विपक्ष में—६८।)

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, उधर हाथ उठाने वालों की जमात में एक साहब आराम फरमा रहे हैं। क्या उनको जगा कर पूछ सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—इतनी चिन्ता उनको नहीं तो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं?

(कुछ ठहर कर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की दूसरी पंक्ति में शब्द "or adjacent to" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या इस समय हम आप से कोई व्यवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अगर इजाजत हो....

श्री अधिष्ठाता---अगर इस सिलसिले में व्यवस्था चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस सिलसिले में मैं आप से यह व्यवस्था मांगता हूं कि उधर "हां" लिखा है और इधर "नहीं" लिखा है। तो इधर नहीं की तरफ के हम लोग विरोधी कहे जाते हैं। अगर "नहीं" उधर चला जाय तो उधर वालों को क्या विरोधी की संज्ञा मिलेगी?

श्री अधिष्ठाता---ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती है। आप इसको थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ लें।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---३५,

विपक्ष में---८१।)

श्री लालबहादुर---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस फारेस्ट अमेंडमेंट बिल पर ४ रोज से बहस हो रही है तो अमेंडमेंट के मूवर के लिये १० मिनट दिया जाय और जवाब देने के लिये ५ मिनट दिया जाय क्योंकि समय बहुत सारा इस तरह से अमेंडमेंट में इधर उधर हो जाता है। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि दफा ५६ के तहत में टाइम लिमिट कर दी जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---मुझे केवल यही निवेदन करना है कि ऐसे बिल पर समय का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---ऐसे प्रस्ताव को हमारे जैसे आदमी के सामने, जो कुछ देर के लिये यहां पर बैठा हुआ है, न रखें तो अच्छा है क्योंकि चार दिन से इस विधेयक पर बहस हो रही थी और इसके पहले भी यह प्रस्ताव आ सकता था और अभी थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है और उस वक्त यह प्रस्ताव आये और उस पर विचार हो, तो अधिक अच्छा है। यह ऐसा प्रस्ताव है कि मुमकिन है आपके खयाल में बहुत अच्छा हो, लेकिन बहुत लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं। इसलिये मेहरबानी करके हमारे सामने न रखें और अध्यक्ष महोदय के आने के बाद ही रखें।

श्री लालबहादुर---इस पर तो बहुमत फैसला करेगा। जो प्रस्ताव मैंने रखा है वह हाउस के सामने आये चाहे वह उसको मन्जूर करे या नामन्जूर करे।

श्री टीकाराम पुजारी---भत्ता तो आपने बना लिया। चार दिन से इस बिल पर बहस हो रही है और आज कहते हैं कि साहब इस पर टाइम लिमिट कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप इस वक्त मेरी मदद करें तो अच्छा है। इस समय आप बैठ जायं।

[श्री अधिष्ठाता]

मैं समझता हूं कि हाउस तो जरूर फैसला करेगा, लेकिन किसी प्रस्ताव को लाने के लिये मेरी इजाजत आपको चाहिये। तो मैं ऐसे प्रस्ताव का लाने के लिये आपको इजाजत नहीं देता हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (बी) के भाग (iii) की पंक्ति ४ में शब्द "Government" के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :---

"Provided that it shall not include grove or groveland as provided under section 18 of U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1951."

जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम लोगों का यह विचार है कि हम देरी लगाने के लिये ऐसा कर रहे हैं तो मैं संशोधन को इसलिये नहीं लाया हूं कि इस ऐक्ट के पास करने में देरी हो, लेकिन जिसके लिये हम यहां पर बैठे हैं वे बातें साफ होनी चाहियें। जिन बातों को हम यह समझते हैं कि इसमें रखने से हानि होगी उनका जिक्र यहां पर जरूर करना चाहते हैं। जिस प्रकार से फारेस्ट की डेफिनीशन बढ़ा दी गई है उससे यह भय है कि उसमें ग्रोव लैंड भी आ जायेंगी। इसी भय से मैं इसको साफ करना चाहता हूं और यह हमारा संशोधन भी इसी दृष्टिकोण से रखा गया है जो ग्रोव लैंड अभी अधिकतम जोत विधेयक के मातहत छोड़ी गई हैं उनके लिये सरकार की नीयत नहीं है कि उनको लिया जाय। जैसा मंत्री जी ने कहा था कि ग्रोव लैंड को लेने का कोई उनका मंशा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का यह बिल बना है उसको देखते हुए यह पूर्णरूप से मालूम होता है कि यह ग्रोव लैंड भी उसमें शामिल हो जायंगी। इस बात के समर्थन में मैं खंड ३ के कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं।

इसमें कहा गया है कि--

"Forest means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency ....."

तो ह्यूमन एजेन्सी द्वारा जो बागात लगते हैं इस विधेयक को देखने से यह मालूम होता है कि उनके आने का भी इसमें अन्देशा है। मेरा संशोधन इस बात को साफ करता है कि माननीय मन्त्री जी की भी मन्शा यही है कि वह ग्रोव को नहीं लेंगे, इसलिये इस बात को साफ करने के लिये यह प्राविजो जोड़ा जा रहा है और यह संशोधन बिल को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचाता, केवल अधिकार सीमित करता है इसमें लिखा है कि जमीन्दारी ऐक्ट के सेक्शन १८ में जो ग्रोव लैन्ड लिखे होंगे वह उसमें नहीं आयेंगे। तो इसे मान लेने से कम से कम यह सन्तोष होगा कि जो सही बात है सरकार उसको मानने के लिये तैयार है।

*श्री सैयद अली जहीर---अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस तरमीम को भी मंजूर नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि हमारी बिलकुल यह नीति नहीं है कि वह जो बाग कहलाते थे और बहैसियत बाग के हमेशा से कागजात में दर्ज रहे हैं, उनके ऊपर हम हाथ भी लगायें या उनको हम फारेस्ट में शामिल करना चाहें। हम तो सिर्फ फारेस्ट लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनपर हमारा अधिकार महज उस हद तक रहे कि वह फारेस्ट फारेस्ट की शकल में रहें और कटने न पायें। इसलिये हमारी कोई और नीति इस ऐक्ट में नहीं है। हमको यह अन्देशा है कि जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्यों को सरकार पर एतबार नहीं है, उसी प्रकार हम को भी शक है कि अगर कोई इस किस्म का प्राविजो आ जायगा तो जो खुल्लमखुल्ला जंगल होंगे उसे भी लोग कह देंगे कि यह ग्रोव हैं और कागजात में दर्ज हैं और हमने उसे लगाया है, बढ़ाया है, नतीजा भले ही उसका कुछ हो, लेकिन हमारा जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असली मकसद है वह रुक जायगा और हमारे काम में उससे विलम्ब होने का अन्देशा है। अगर उसके लिये मुकदमा चले तो मुकदमा चलने के बाद, उसका फैसला होने के बाद भले ही जो कुछ हो, लेकिन कम से कम इस वक्त हमारा यह काम रुक जायगा और हमारे हाथ बंध जायंगे। इस वजह से मैं माननीय सदस्य को यह इत्मीनान दिला देना चाहता हूं कि जिस कानून में यह तरमीम हो रही है, जिस माहौल में, जिस कन्टेक्स्ट में हम यह ताकत ले रहे हैं, उस सब से यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि केवल फारेस्ट ऐंड फारेस्ट, ऐंड नथिंग बट फारेस्ट के लिये ही यह सब होने जा रहा है और इस से ग्रोव से कोई वास्ता नहीं है। इस किस्म की किसी तरमीम से इसमें झगड़ा होने का अन्देशा है और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का झगड़ा और काम में देरी हो। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सुरथबहादुर शाह---अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई यह सुन कर कि हमारे वित्त-कम-फारेस्ट मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि उनकी नीयत यह हर्गिज नहीं है कि वह किसी किस्म के बागात को जंगल में शामिल करें। मैं उनकी इस बात को टोकना या काटना मुनासिब नहीं समझता था, मगर मैं कुछ उदाहरण देने पर मजबूर हूं।

क्या हमारे वन मन्त्री महोदय कुछ नोट लिखने की जहमत गवारा करेंगे ? उन्हीं के सूबे में खीरी के जिले में पलिया के परगना में एक भूमिधर है जिसका नाम सुरथबहादुरशाह है.....

श्री अधिष्ठाता---जो खड़े हैं या दूसरे कोई ?

श्री सुरथबहादुरशाह---जी यही सुरथबहादुरशाह, श्रीमन्। तो जिसके मुताल्लिक मैं अर्ज कर रहा हूं उनका नाम सुरथ बहादुर शाह है जिनके बाग को इनके वन विभाग ने खूंटे लगा कर वन घोषित कर दिया, जिस बाग को उसने नहीं, उनके पूर्वजों ने लगाया था और जिस बाग में तीन बरस के दरख्त नहीं बल्कि ६० और ७० बरस के दरख्त से नीचे का कोई दरख्त नहीं है। आप आज यहां फरमाते ह कि फारेस्ट ऐन्ड फारेस्ट, नथिंग बट फारेस्ट, यह उनकी नीति है और सिर्फ उसको ही लेंगे। मैं कहता हूं कि मुमकिन है कि उनकी नीयत यह हो लेकिन उनके कर्मचारी उनके फारेस्ट ऐंड फारेस्ट ऐंड नथिंग बट फारेस्ट की नीति को छोड़ कर हैरेसमेन्ट ऐंड हैरेसमेन्ट ऐण्ड नथिंग बट हैरेसमेन्ट की नीति को अपनाते हैं और अपनायेंगे। अगर इस में एक लफ्ज भी गलत हो तो मैं फिर उनको ललकारता हूं, मैं उनसे कहने के लिये विनम्र निवेदन या आजिजी से दरख्वास्त नहीं करता, मैं ललकार कर कहता हूं कि वह अपने विभाग से लिख कर पूछें। यह वन १९५४ में घोषित किया गया और ६ बरस तक लड़ने के बाद उस भूमिधर ने अभी दो महीने हुये उससे नजात पाई है, और उसे बाग करार दिया गया। अगर इस किस्म का आदमी न हो जो कि इस प्रकार के सबूत पेश कर सके या उसमें इतनी परसिस्टेंस या परसीवियरेंस न हो तो उसका तो खात्मा हो गया। गरीब आदमी यदि सालों लम्बी पैरवी न कर सका तो वह मिटा। यह खफा होते हैं और कहते हैं कि हम इनकी नीयत पर हमला करते हैं। मैं तो नीयत पर शुरू से हमला करता रहा हूं और मुझको अफसोस है कि तब भी सफाई नहीं की गई।

हमारे समाज कल्याण के उप-मन्त्री फरमाते हैं कि किसी भी राष्ट्र की भलाई के लिये वन आवश्यक हैं। इसमें मैं उनसे सहमत हूं। मैं जानता हूं कि उन्हें वनों के कुछ हिस्सों को तालाब बनाना पड़ता है। डैम्स बनाते हैं वह हिस्सा वनों से निकल जाता है। मैं जानता हूं कि वे पनाहगीरों को बसाना चाहते हैं, रिफ्यूजीज को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं और उसके लिये कुछ हिस्सा वनों का निकल जाता है। वे बिजली की लाइनें निकालते हैं वहां पर भी वनों को काटना पड़ता है लेकिन उसके बहाने बीच-बीच में आबादी के हिस्सों को छोड़ना और उसको छोड़ कर जंगलों से १५ मील के बाद सुअरों का रिफ्यूज यानी पनाहगाह बनाना चाहें तो क्या उनको बनाने के लिये उनके पास प्राइवेट फारेस्ट्स की काफी जमीन नहीं मिली है। यह हो सकता है शब्दों की जगलरी से जो जमीनें १९५२ से पड़ी थीं उनके हत्थे में नहीं आ पाई हैं

[श्री सुरथबहादुरशाह]

उनको मजबूर करें इस प्रकार के कानून से जिनको उन्होंने खुद, या उनके ऐडवोकेट जनरल ने बनाया या जिनको उनके मुशीरकारों ने बनाया। वह हमसे कहते हैं कि तुम नीयत पर हमला करते हो और तुम कानून पास होने में देर करते हो। इसमें देर होगी एक दिन, २ दिन की। उनसे पूछिये कि यदि ३ दिन या ६ दिन की देर हो तो क्या इस देरी से हम इतने सफल हो जायंगे? और क्या इसी कारण वे किसी भी संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं? कहा जाता है कि वही बातें दुहराई जाती हैं लेकिन जब चीज वही है, नीयत वही है तो उसके खिलाफ दुहराना भी वही पड़ेगा। कौन से नये अल्फाज और कौन से नये शब्दों का प्रयोग किया जाय। हम तो शुरू से कहते आये हैं कि उनकी नीयत कुछ है, कहना कुछ है और करते कुछ हैं। वह कहते हैं कि वे जंगलों की रक्षा करते हैं, वे राष्ट्र के धन को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, वे अवाम की बहबूदी चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं। ऐसा होना चाहिये, मगर इन बिलों के जरिये जो अजाब होते हैं उनसे क्या बचत हो रही है? मैंने श्रीमन्, एक उदाहरण दिया। अगर यह गलत है तो अपने मुहकमे से पूछें कि कैसे हुआ था यह और कब उससे नजात मिली?

इसके अलावा एक उदाहरण म और दूंगा। जंगल या जंगल के ऐडजेसेंट का जिक्र है। जंगल से १५, १५ और १६, १६ मील पर टुकड़ों को फारेस्ट बनाकर रखा है महज इस वास्ते कि सुअरों के लिये पनाहगाह बनावें। ठीक है अगर वह भूमि जिससे कोई अहित नहीं होता है वह ली जाती है लेकिन अगर वह भूमि ली जाती है जिससे अहित होता है, यानी जो भूमि जोत में है, उसकी फसलें भी नष्ट होती हैं और किसान भी भूमिहीन होता है। इनके कर्मचारियों को बहाना मिल जाता है और यह किसी के यहां किसी जानवर की खाल भी देख लेते हैं। उनको देखकर वे उस पर आरोप लगा देते हैं और उसे सजा दिलाने के लिये कोशिश करते हैं।

दूसरी तरफ उसकी पुष्टि में यह कहा जाता है कि हम इतना सब कुछ उनके कल्याण के लिये ही करते हैं। माननीय मन्त्री जी ने यह फरमाया कि हम यह सब उनके कल्याण के लिये ही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमाना इसका साक्षी होगा और भविष्य साक्षी होगा। मैं कहता हूं कि भविष्य तो आने को है। जो हम लोगों ने मुसीबतें उठाई हैं, जो जो कष्ट हम लोग उठा रहे हैं, वह हम ही जानते हैं। मैं शपथ खा कर कहता हूं कि इस कानून के जरिये जो–जो हमने मुसीबतें झेली हैं, झेल रहे हैं, और झेलेंगे वह असह्य हैं और मैं उनका ही रोना यहां पर रोता हूं। किन्तु "पिया मोरे आंधर, कापर करूं मैं सिंगार" वाली कहावत है। श्रीमन्, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, ललकार कर पूछता हूं, मैं कोई मिन्नत या निवेदन नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, यह कोरा बहाना है कि हम उनकी रक्षा के लिये यह सब कर रहे हैं। उसके लिये तो जगह है, आप उसे मुकर्रर क्यों नहीं कर देते। आप क्यों नहीं यह तय कर देते कि इतनी जगह हमको चाहिये। माननीय उप-मन्त्री, समाज कल्याण विभाग ने कहा कि हमको सब कोई आयोजन करना पड़ता है तो उसके लिये जमीन की जरूरत होती है। नहरों के लिये जमीन की जरूरत होती है। होती है, मैं इसे मानता हूं। लेकिन यह नहीं कि जिसको आप चाहे कह दें कि यह जंगल है वह जंगल हो जाय, यह नहीं, जिसे आप चाहें उसे कह दें कि यह नहर है तो वह नहर हो जाय। आप नहर बनाते हैं तो उसके लिये जो जमीन एक्वायर करते हैं उसका मुआवजा देते हैं। यह नहीं कानून बनता कि जिसे नहर कह दिया वह नहर हो गई।

इसके बाद, श्रीमन्, इसका क्या असर होगा, हम इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। यह तो ठीक है कि यह बहुमत में हैं, जो चाहेंगे वह हो जायगा, किन्तु उससे जनता का भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह सदन से निवेदन करूंगा कि जो यह मासूम संशोधन हैं उनको वह स्वीकार करे। अगर सब नहीं तो कुछ को जो बहुत ही आवश्यक हैं उनको अवश्य माने। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजा वीरेंद्र शाह सदस्य जालौन का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने बार-बार यह है कहा कि हमारा इरादा बाग लेने का नहीं है। हम उनको लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि यह बाग जो वाकई में बाग हैं, और जो जमीन्दारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार हैं, या जो भूमि कानून के अन्तर्गत हैं, वही बाग छोड़ दिये जायेंगे और उसको माननीय मन्त्री जी कई बार कह चुके हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इन बातों पर विश्वास कैसे किया जाय? जो कुछ हम देख रहे हैं उससे तो एक अविश्वास-सा लोगों में छा गया है। तो इस अविश्वास के आलम में कैसे पार पावें, क्या करें? तब फिर हमारी शंका दृढ़ हो जाती है कि शायद इसके शिकार न हो जायें। परिभाषा तो जो कुछ है सो है ही, लेकिन जिस कदर इस बिल में बताया गया है कि सरकार जिसको कह दे वही जंगल हो जाय यह ठीक नहीं है। अगर अधिष्ठाता महोदय, कुकरैल का जो रिजर्व फारेस्ट है बाराबंकी रोड पर, उसको जंगल मान लिया जाय तो उससे हजरतगंज मिला हुआ है, अगर कह दिया जाय कि हजरतगंज जंगल है, यह विधान सभा जंगल है, और इसमें बैठे लोग ठूंठ हैं और ऊपर गैलरी में जो बैठे हैं वह फल लगे हैं, तो इसके लिये क्या हाईकोर्ट में पहुंचें और रिट फाइल करें कि यह जंगल नहीं है? लेकिन सरकार की डिफिनीशन यह है कि जिस को वह कह देंगे वही जंगल हो जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, हम भी जंगल क बीच में बसे हैं। एक टिकरी फारेस्ट है मनकापुर से मिला हुआ, शायद आपके रास्ते में जाते-आते पड़ता हो। उसके पड़ोस में एक साधू रहता है। उसने केवल ४–५ एकड़ का बाग लगाया जो जंगल के हाशिये पर था, एक राजा से जमीन मिल गई और करीब ५०० एकड़ जमीन में कुछ काश्तकारों ने खेती बनाई थी। एक राजा का जंगल था गवर्नमेन्ट फारेस्ट से मिला हुआ और उन्होंने मेरा खयाल यह है, कि १९४८–५० में यह जंगल कटवा दिया, काश्तकारों के हाथ बेच दिया, उन्होंने काट कर खेती कर ली। उस जंगल और बाग को वन विभाग ने कब्जे में कर लिया और वन विभाग का आधिपत्य उस पर हो गया। सब खूंटी लग गईं, काश्तकारों से कहा गया कि छोड़ कर चले जाओ। जब छोड़ने का सवाल आया तो वह बिलखते हुए इधर-उधर घूमे और इतनी अदालत करनी पड़ी कि उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई और ३-४ वर्ष के बाद इस मुकदमेबाजी से नतीजा निकला कि उनके खेत फिर से डिक्लेयर हुए। कलेक्टर मौके पर गया, सारी चीजें हुईं। दीवानी अदालत में मुकदमा दायर हुआ और तब वह वन विभाग से छूट पाये।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मन्त्री जी ने बार-बार कहा कि लोगों को कोई शिकायत नहीं है और जैसा वह कहते वैसा ही हो जाना चाहिये। मैं बताऊं कि इस युग में भी अगर यह विश्वास किया जाय कि जंगल वाले किनारे नहीं लिये जायेंगे, तो जो सुविधायें पहले थीं, जमीन्दारों के जब जंगल थे और आज जो दशा है वह जाकर मन्त्री जी देखें। मन्त्री जी ने कहा कि हम उसको बनवायेंगे, उसकी सफाई करेंगे, हमारे ऊपर विश्वास करो, तो हम कैसे विश्वास करें? क्या वह गोंडे के एक किनारे गोरखपुर और पहाड़ों पर जायेंगे और जाकर डेफिनीशन करेंगे कि यह जंगल है या नहीं? वन के कर्मचारी जो चाहेंगे वह नोटिफिकेशन कर देंगे और उसमें चाहे बाग हो या खेत हो, चाहे जंगल से मिला हुआ हो उसमें भी कोई सीमा नहीं है कि कितनी दूर पड़ती हो वह भूमि, उसको जंगल डिक्लेयर कर देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, यह सीधा-साधा अमेन्डमेन्ट है कि बाग की भूमि को न लें, उसे मुक्त कर दें। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री जी इसको क्यों नहीं मानने को तैयार हैं।

मैं अधिक समय न लेकर नम्रतापूर्वक मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके इस कानून के बन जाने से हजारों झगड़े खड़े होंगे और लोगों को अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। उनको अदालत में जाना पड़ेगा और ताकतवर ही अपने बाग को बचा सकेगा और कमजोरों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

बाग जंगल हो जायेंगे । इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस संशोधन को मानने की कृपा करे ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारीसिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--(श्री वीरेंद्र शाह से) जरा संक्षेप में ही बोलें तो अच्छा हो, क्योंकि इसे खत्म भी करना है।

***राजा वीरेन्द्रशाह**--मैं संशोधन पर ही बोलूंगा । जनरल बात मैं नहीं कहता हूं ।

मन्त्री जी ने यह कहा कि हम बागात नहीं लेना चाहते हैं और तब भी इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती । वह सिद्धान्त को तो मानते हैं कि बाग की भूमि नहीं लेंगे, तो मेरा संशोधन केवल उस बात को साफ करता है । अगर मंत्री जी को कोई कानूनी दिक्कत पड़े तो वह फिर संशोधन ला सकते हैं । जैसा अभी सुरथ बहादुर शाह जी ने बतलाया, बाग की भूमि को जबरदस्ती फारेस्ट मान लिया और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और ६ वर्ष उसमें लग गये । तब वह बाग छूटा ।

श्रीमन्, अधिकतम जोत सीमा में सरकार ने बागों को छोड़ा है तो उन लोगों की वह राहत इस बिल से छीनी जा रही है । अगर मंत्री जी को कोई दिक्कत है जिससे वह इस संशोधन को यहां नहीं मान सकते हैं तो रूल्स में कोई ऐसी बात रख दें जिससे बाग बच जावें । हम को मालूम नहीं है कि जंगल के अधिकारियों में से किसी को मन्त्री जी ने विशेष रूप से दन्डित किया हो जिसने जबरदस्ती बाग को जंगल में मान लिया हो । इसलिये इस संशोधन को माना जाय वरना बागवालों का बड़ा नुकसान हो जायगा, उनके साथ अन्याय हो जायगा ।

***श्री सैयद अली जहीर**--अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना सा डर है कि अगर इस किस्म का कोई प्राविजन ऐक्ट में रख दिया गया तो लोगों को देर लगाने का एक आला मिल जायगा और इस दर्मियान में जंगल कट जावेंगे और उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा; लेकिन जो एश्योरेन्स मैंने दिया है अगर जरूरत होगी तो हम रूल्स में इस तरह का प्राविजन कर देंगे जिससे ग्रोव्ज या खेत जिन पर काश्तकारी हो रही है, वे चीजें हमको न लेनी की जरूरत है और न हम उनको लेंगे । रूल्स हाउस के सामने आवेंगे और माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा ।

इतना कहने के बाद अगर माननीय सदस्य मुनासिब समझते हैं तो अपनी तरमीम को वापस लेने की मेहरबानी करें।

राजा वीरेन्द्रशाह--इस आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ३ के उपखन्ड (२) (C) के शब्द "or intended to be utilized as a forest" निकाल दिये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, अगर हम इस खन्ड को देखें तो इसमें फारेस्ट लैन्ड की परिभाषा दी हुई है—

"'Forest land' means a land covered by a forest or intended to be utilized as a forest ;"

इसमें मैं चाहता हूं कि जो आखिरी शब्द 'or intended to be utilized as a forest' आये हैं वे निकाल दिये जायं। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि जब मंत्री जी ने यह डिफाइन कर दिया कि फारेस्ट क्या चीज है, तो फिर उसके बाद इन शब्दों को रखने की क्या आवश्यकता रह गयी है ? इन शब्दों से तो इतना महासागर बन जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है।

दूसरी तरफ आपने इतनी बड़ी परिभाषा फारेस्ट की रख दी है जिसमें आप कहते हैं—

" 'Forest' means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation, whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort or such tract of land on which such growth is likely to have an effect on the supply of timber, fuel etc. etc."

श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि इतना बड़ा फारेस्ट माननीय मंत्री जी के पास है जिसके अन्दर ऐसी जमीन भी जो पाश्चर लैन्ड हो, वाटर लाग्ड हो, कृषि के योग्य हो या न हो, जंगल के अन्दर हो या उससे बाहर हो, यानी जितनी भी बातें गिनाई जा सकती हैं, सब गिना दी गयीं। फिर आपको इतना ही काफी था कि "Forest land means a land covered by a forest" यानी ऐसी जमीन हो जो हमारी परिभाषा में आती हो। इसके बावजूद भी सरकार को न जाने क्या डर लगा हुआ है कि इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा के होते हुए भी उन्होंने ये शब्द रख दिये—'or intended to be utilized as a forest' यानी कि आपका इरादा यह हो। माननीय मंत्री जी का इरादा या जंगल के अधिकारियों का इरादा बदल भी सकता है कि फलां जगह जंगल उगेगा या नहीं उगेगा।

मान लीजिये कि आपका पहले दिन इरादा हुआ और आपने उसके लिये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि संबंधित किसानों को जो उज्र करना हो वे करें कि क्यों न वह जमीन फारेस्ट में शामिल की जाय क्योंकि हमारी मंशा वहां जंगल लगाने की है। चाहे कोई जमीन आपकी किसी परिभाषा में न आती हो, लेकिन आप यह तो कह ही सकते हैं कि हमारी इच्छा है यहां पर फारेस्ट लगाने की और यह कह कर राज्य सरकार उसको जंगल में ले सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र शब्दों में कहूंगा कि उनको इतनी जिद नहीं करनी चाहिये। क्या वे आखिर समझते नहीं कि इसका इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है, कांग्रेस की साइड के लोग भी इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपका जो संशोधन है उसी पर आ जाइये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं यह कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो मैंने पढ़ी हैं, इधर के लोग कह चुके हैं कि इतनी चीजें नहीं लेनी चाहिये। जो तर्क इस आदरणीय सदन में तीन चार दिन से चल रहे हैं उनका सारा निचोड़ यही निकलता है। पहले संशोधन से मतलब तो यह था कि जो फारेस्ट से मिली हुई जमीन होगी उसे जंगल के अन्दर ले लिया जायगा, लेकिन इस "intended to be utilized as a forest" का मतलब तो यह है कि उस मिली हुई जमीन के अलावा अलग से भी जमीन ली जा सकती है, चाहे उससे हजारों मील दूर ही जमीन क्यों न हो, इसमें किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है कि वह जमीन पास हो या दूर हो, सिर्फ इरादा होना चाहिये कि हमारा इरादा यह है कि यहां जंगल के लिये वृक्षारोपण कर दिया जाय

श्री अध्यक्ष—इस समय यह प्रश्न सामने नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी का तर्क यह है कि हमारी नीयत पर शक किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--यह कोई तर्क नहीं है । "intended to be utilized as a forest" इस संशोधन पर तो अभी माननीय मंत्री जी ने कोई तर्क नहीं दिया है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--तो पहले आप उनकी बात सुन लीजिये , फिर बोलियेगा ।

***श्री सैयद अली जहीर**--अध्यक्ष महोदय, ये जो अल्फाज हैं, यह जाहिर है कि इसका मकसद बिलकुल यही है कि जंगल की जो बाउंडरी है, उसमें ऐसे हिस्से भी होते हैं जिसके ऊपर कि उस वक्त दरख्त नहीं लगे होते । तो उनका मंशा यही है कि वहां पर प्लान्टेशन हो सके और तरह तरह की चीजें डेवलप कर सकें और यही हालत उन प्राइवेट फारेस्ट के क्लेमेन्ट की है जिनको कि हम जंगल का एक जुज डिक्लेयर कर चुके हैं और ऐसे फारेस्ट में बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो दरख्तों से कवर्ड नहीं हैं । तो इसको मान लेने के साफ माने यह हैं कि जहां इस वक्त दरख्त नहीं है वे जंगल के जुज नहीं हो सकते ।

श्री अध्यक्ष--क्या आप इसको इस तरह से साफ नहीं कर सकते हैं :--

"and such land which is declared as a forest land and which may be utilized as a forest in future....."

आपका डिक्लेरेशन क्लीयर होना चाहिये ताकि उनक अपोजीशन खत्म हो जाय । यानी वे समझते हैं कि इसके जरिये सरकार अपने दिल में कोई इंटेशन रखकर जब चाहे दूसरे की कोई जमीन ले सकती है ।

श्री सैयद अली जहीर--हमारा मंशा यह है कि गवर्नमेन्ट किसी भी जमीन को लेना चाहेगी फारेस्ट के लिये तो वह अपना इंटेशन पहले ही डिक्लेयर कर देगी ।

श्री अध्यक्ष--क्या ये वर्ड्स इसमें आ सकते हैं ?

"and such land which is declared as a forest land and which may be utilized as a forest in future....."

अगर आप 'डिक्लेअर' करने का शब्द शामिल कर दें तो उनको कोई आब्जेक्शन नहीं होगा । उनको आब्जेक्शन यह है कि सरकार जब भी चाहे किसी जमीन को अपना इंटेशन होते ही ले लेगी ।

श्री सैयद अली जहीर--सवाल यहां इंटेशन का नहीं है, सवाल यह है कि अगर किसी प्राइवेट इनडिवीजुअल के लिये है तो वहां इंटेशन डिक्लेयर करने की बात कुछ और हो सकती है, लेकिन जहां तक गवर्नमेन्ट के इंटेशन की बात है, यह हो ही नहीं सकता कि वह बिना डिक्लेयर किये हुए ही किसी जमीन को ले ले ।

श्री अध्यक्ष--उनका कहना है कि ऐसी बात है तो आप इन वर्ड्स को ऐड कर दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर--इसमें दिक्कत यह है कि यह बिल कौंसिल से पास होकर यहां आया है । यदि यहां पर उसमें कुछ संशोधन हुआ तो उसे फिर वहां वापस भेजना पड़ेगा और उसकी वजह से काफी देर हो सकती है । जैसा कि मैंने बतलाया, गवर्नमेन्ट का कोई भी ऐसा सीक्रेट इंटेशन नहीं है कि वह किसी की जमीन पर काबू पा ले । गवर्नमेन्ट तो किसी भी जमीन को फारेस्ट के लिये लेगी तो उसे डिक्लेयर कर लेगी । यही मतलब है और इसीलिये वह अल्फाज साफ नहीं हुए हैं कि जिन के जरिये से गवर्नमेन्ट का ऐब्शन से परपज है.....

श्री अध्यक्ष--तो वह रूल्स में आप कर देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सैयद अली जहीर---अगर जरूरत होगी तो इस तरह से क्लीयर कर दिया जायगा कि "which is not declared before-hand as a forest" ऐसा मतलब है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल को देखने के बाद इस क्लाज को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसके होते हुए अब इस बिल की ही कोई जरूरत नहीं रह गई है । जितनी बहस हुई है वह सब बेकार गई इस बात से कि वह जहां चाहे जंगल डिक्लेयर कर सकते हैं । लखनऊ के चारों तरफ जितनी सड़कें जाती हैं, चाहे कानपुर रोड हो, चाहे बरेली की सड़क हो या लखीमपुर की सड़क हो, सब पर थोड़े-थोड़े फासले पर तख्ती लगी हैं कि यह सरकार के जंगल का रकबा है । श्रीमन्, आप यहां जब पीठासीन नहीं थे तो माननीय बलदेव सिंह जी ने अभी कहा था कि इन सड़कों से हजरतगंज मिला हुआ है, तो कहा जा सकता है कि हजरतगंज जंगल है और यह विधान सभा भी जंगल है और इसमें बैठे लोग ठूंठ हैं और गैलरी में जो ऊपर लोग बैठे हैं वह फल-फूल लगे हैं तो इसके लिये क्या हाई कोर्ट में जाकर रिट दाखिल करें । यह इरादा सरकार का कितना खतरनाक है कि किसी जमीन को....

श्री अध्यक्ष---जब वह कहते हैं कि रूल्स में क्लीयर कर देंगे तो आपका अब यह तर्क जोरदार नहीं रहता । पहले जो वन डिक्लेयर हो गये हैं और उनमें पेड़ नहीं हैं और अगर सरकार का इन्टेन्शन है उनमें पेड़ लगाने का तो वह फारेस्ट ही कहलायेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं आपका श्रीमन्, आभारी हूं कि आपने मंत्री जी का दिमाग खोल दिया इस चीज को साफ कराके, लेकिन रूल्स भी वह और मुख्य वनपाल ही बनायेंगे....

श्री अध्यक्ष---जब उनकी तरफ से एक साफ एश्योरेन्स हो गया तो उसका ठीक से पालन कराना मेरा काम है और इसके लिये हमारी आश्वासन समिति मौजूद है, जो आश्वासन यहां दिए जाते हैं उन्हें सरकार को पालन करना ही होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, अब कल से जितनी बहस यहां हुई है वह सब खण्ड ३ पर ही होती रही है और उस पर जितनी बहस हुई और उस पर इधर से और उधर से जितने सदस्य बोले उनमें से माननीय मंत्री जी को किसी ने भी मदद नहीं की । इस पर एक उनके दूसरे मंत्री जी को बड़ा तरस आया....

श्री अध्यक्ष---आप उसी पर बोलिये, पिछली कोई भी बहस आप नहीं ला सकते ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं खण्ड ३ की ही बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप इसी संशोधन पर बोलें ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं इसी खण्ड ३ के उपखण्ड (१) के भाग (३) पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---अभी विष्ट जी ने जो बहस की है उसी पर आप बोल सकते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं उसी पर बोल रहा हूं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इसके पहले की बात तो सब व्यर्थ हो गई जब उनका इरादा यह हो गया कि चाहे जहां वन लगा दें....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह चार्ज करना व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया, उनका मतलब है कि जो फारेस्ट पहले डिक्लेयर हो चुके हैं उसका यह हिस्सा है, यह बहस अब व्यर्थ है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की तकरीर को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, जिन शब्दों को जोड़ने के लिये आप ने कहा है उनको अगर

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

ऐक्ट में स्वीकार कर लिया होता तो हमारी शंका का समाधान हो जाता। श्रीमन्, जब स्टेट्यूट्स इन्टरप्रेट किये जाते हैं तो उस समय, आदरणीय विधान सभा, चाहे कितनी प्रतिष्ठित हो, लेकिन यहां क्या तकरीरें हुईं, उसको जजेज नहीं देखते हैं। वहां तो यह देखा जाता है कि अधिनियम में क्या शब्द लिखे हैं और जहां शब्दावली स्पष्ट नहीं होती है तो उसके हाशिये में फुटनोट होता है उससे सहायता ली जाती है। लेकिन जब भाषा अनऐम्बीगुअस हो तो उस वक्त फुटनोट से भी सहायता नहीं ली जाती है। यहां उन्होंने आश्वासन दे दिया, मैं उसको मानता हूं लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है, किया जा सकता है, केटैगोरिकली नहीं कहा कि कर देंगे....

श्री अध्यक्ष--ऐसे तो वह गालिबन भी कहते हैं, तो यह उनकी आदत है। जो उन्होंने यहां कहा वह तो करना ही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वह तो अच्छे लाइयर हैं उनके खानदान में आला लाइयर हुए हैं। इसलिये उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि कल को फंस न जायं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कुछ पावर्स डेलीगेट करते हैं वह उसकी परिधि से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर इसमें व्यापकता हो तो उसमें भी होती है। यहां कहा गया है--"'Forest land' means a land covered by a forest....." अब फारेस्ट की परिभाषा ऊपर कर चुके हैं। तो उस फारेस्ट को हम जंगल में ढूंढने थोड़े ही जायंगे। अब जो शब्द मैं निकलवाना चाहता हूं उसके संबंध में वह कहते हैं कि फिर तो वही जंगल रह जायगा जिसमें पेड़ होंगे। लेकिन ऊपर जो परिभाषा आप फारेस्ट की कर चुके हैं--"'Forest' means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation....." तो उसमें तो सब कुछ आ जाता है। फिर मेरे संशोधन को मानने में क्या एतराज है? इतनी व्यापक फारेस्ट की परिभाषा जिसमें स्टम्प, पेड़, झाड़ियां या वुडी वेजीटेशन तक हो, चाहे प्राकृतिक ढंग से उगा हो या मनुष्य द्वारा उगाये गये हों। इतना सब कहने के बाद भी...

श्री अध्यक्ष--आप पीछे न जाइये। जो बात सदन पास कर चुका है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--उसे हम फारेस्ट की परिभाषा मान चुके हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। इतना सब कुछ लेने के बाद भी फिर कितना फारेस्ट और चाहिये? मंत्री जी का यह कहना है कि अगर मेरा संशोधन मान लेते हैं तो जंगल उतना ही रहता है जितने पर पेड़ खड़े रहते हैं। मेरी राय में मंत्री जी का इंटरपीटेशन गलत है। फारेस्ट की परिभाषा में कह चुके हैं इतनी चीजें जिसमें हों वह फारेस्ट है। चाहे सब ठूंठ रह गये हों, ग्रेजिंग लैन्ड हो, चाहे काश्त की जानेवाली जमीन हो, चाहे ग्रास लैन्ड हो, वह सब फारेस्ट होगा। यही नहीं जंगल के बाहर मिली हुई जमीन जो होगी वह भी फारेस्ट कहलायेगी। ये सारी चीजें फारेस्ट की परिभाषा में आ गयीं। केवल वे चीजें नहीं आईं जो मंत्री जी कहते हैं। तो इस प्रकार यह रिडंडेंट है। इसमें मंशा कुछ और है। जहां चाहे ये फारेस्ट लगायेंगे। कोई छूट नहीं दी गयी है कि वहां पर घर न हो, वहां पर सड़क न हो, वहां पर नदी न हो। इंटेशन पर छोड़ दिया गया है और इंटेशन व्यापक हो जायगा।

श्रीमन्, इंटेशन की तीन स्टेजेज होती हैं। इंटेशन, प्रिपेरेशन और ऐक्चुअल कमीशन। हम एक चीज का इरादा करें और उसके लिये तैयारी करें तब तक कोई जुर्म नहीं, लेकिन ऐक्चुअल कमीशन जो होता है उसमें सजा होती है। अब किसी अच्छे काम के लिये सोचा कि सागौन तथा साखू हमें लगाना है जो हमारे जहाजों के लिये चाहिये, यह इरादा हो गया। उसके लिये जमीन ले ली। चाहे वहां घर बना हो उसे ढाह दिया गया। कानून किसी की तकलीफ नहीं देखता। लॉ इज ब्लाइंड। लॉ का चित्र आपने देखा होगा आंखों पर पट्टी

बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है। कल को कम्युनिस्ट आपकी जगह आ जायं। उन्होंने सोचा फलां फलां अच्छे-अच्छे घर हैं। उनको कैसे पकड़ा जाय। उन्होंने फौरन जंगल लगाने का इंटेशन किया। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग इधर होंगे। तब वह कहेंगे कि यह अत्याचार है और कम्युनिस्ट कहेंगे कि महाराज आपका बनाया कानून है। इतने एक्सट्रीम में कोई आदमी जा सकता है। लिहाजा इतना एक्सट्रीमिस्ट लॉ बनाना सरकार के लिये उचित नहीं है।

फिर इंटेशन किसका होगा ? क्या माननीय मंत्री हर जगह पहुंचते हैं ? यदि नहीं, तो इन्टेशन किसका होगा ? माननीय अली जहीर साहब का नहीं होगा, उनके कन्जरवेटर आफ फारेस्ट का नहीं होगा। झांसी में उनका इन्टेशन वह सब करने का थोड़े ही था, लेकिन वहां के फारेस्ट रेन्जर ने एक रिपोर्ट दी कि ऐसा हो गया है और उसी की बात को सच मानकर मंत्री जी ने यहां एक बयान दे दिया और आगे भी ऐसा ही हो सकता है।

आज माननीय मंत्री जी ने इधर के बैठने वाले भूतपूर्व जमींदार भाइयों को एक आश्वासन दिया कि हम ग्रोव लैन्ड को नहीं लेंगे। लेकिन जब अमेंडमेन्ट पेश किया गया कि ग्रोव शामिल न हो तो मंत्री जी ने कहा कि हम इस संशोधन को नहीं मानेंगे। जब उनसे कहा गया कि आपने तो आश्वासन दिया है तो उन्होंने कहा कि इसके मान लेने से अगर कोई पटवारी गलत इन्दराज कर दे तो वह ग्रोव लैन्ड न होते हुए भी ग्रोव लैन्ड हो जायगा और कानून डिफीट हो जायगा। आप रोज देखते हैं कि जो पटवारी कागज में लिख देता है उसको सब ऊपर से नीचे तक डिटो कर देते हैं और मंत्री जी उसी को आदरणीय सदन में पढ़ देते हैं। एक आध केस अगर कहीं ऐसा हो कि लेखपाल ने कहीं गलती कर दी हो तो एक्सेप्शन के लिये तो लॉ बनता नहीं है, लेकिन मंत्री जी तो उसको जनरल लेकर यह मान कर चल रहे हैं कि वह गलत इन्दराज करेगा ही, इसलिये उस रेकार्ड के आधार पर और लोग अपनी जमीन छुड़ा ले जायंगे।

श्री अध्यक्ष—आप पहले वाले संशोधन पर बहस कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और है। इन्टेंशन किसका होगा ? इन्टेंशन होगा उस फारेस्ट गार्ड का जो वहां रोज जाकर चेक करता है। उस फारेस्ट गार्ड की तारीफ इधर के लोगों ने नहीं बल्कि उधर के ही एक माननीय सदस्य ने की थी कि वहां आज भी एक रुपये का सेर भर घी और दस सेर गेहूं बिकता है। अब अगर कुंवर श्रीपाल सिंह यह नहीं दे सके तो कल को वह इन्टेन्शन जाहिर कर देगा कि इनकी जमीन इस काबिल है कि इसमें जंगल लगाया जाय और वही चलकर आगे सरकार का इन्टेंशन हो जायगा कि इस जमीन को हम जंगल डिक्लेयर करना चाहते हैं लिहाजा जिस किसी को एतराज हो वह १५ दिन के अन्दर एतराज दे दे। अब इन्होंने एतराज पेश किया। कौन फैसला करेगा ? मंत्री जी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी-किसी केस में भले ही वह डिसीजन को ओवरराइड करें मगर हर आदमी की पहुंच मंत्री जी तक नहीं हो सकती। तो जो फारेस्ट आफिसर होता है, आम भाषा के मुताबिक फारेस्ट आफिसर रेन्जर को कहते हैं, यानी डेढ़, दो सौ रुपये पाने वाला आदमी इस बात का फैसला कर देगा कि कुंवर श्रीपाल सिंह की जमीन इस काबिल है कि जंगल लगाया जाय और उनके लिये इस ऐक्ट में कहीं भी अपील प्रोवाइडेड फार नहीं है। श्रीमन्, हमारी मुसीबत समझें। श्रीमन्, आप झांसी में देख आये हैं कि वहां जंगल हैं और वहां के लोगों को तकलीफ है। उनकी तकलीफ को सोचा जा सकता है। एक फारेस्ट आफिसर इस तरह से कह सकता है कि मेरा इरादा इस जगह फारेस्ट लगाने का है लिहाजा वह जगह फारेस्ट में आ जायगी। उसी दिन से वहां से घास काटना बन्द हो जायगा, गाय चराना बन्द हो जायगा और लकड़ी वगैरह ले जाना बन्द हो जायगा। अब श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि गांव वाले कहां जायंगे ? अपनी जमीन जिस पर उन्होंने खेत बनाये थे, बाग बनाया था और मकान बनाया था वह ले ली जायगी और उनके घर मिसमार कर दिये जायंगे। केवल उसका इरादा होना भर है। अगर मंत्री

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जी इसमें इंटरवीन करें कि यह जमीन इस काबिल नहीं है। यह तो मैं बहुत दूर की बात कह गया, इससे पहले एक स्टेज और आती है। वह यह कि मान लो वहां पर बाग नहीं लगाया जाता और जमीन परती छोड़ दी जाती है तो उसका जवाब तलब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है ? इसलिये नहीं हो सकता है चूंकि यह इंटेन्शन है। यह नहीं कहा गया कि बाग जरूर लगाया जायगा। श्रीमन्, "में" शब्द है, मेंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, "शैल" शब्द नहीं है। या तो यह व्यवस्था होती कि जंगल जरूर लगाया जायगा, वृक्षारोपण होगा। ऐसी भी श्रीमन्, कोई कैद नहीं है। इसमें तो सिर्फ यह है कि हमारा इंटेशन हो गया तो हम ले सकते हैं। इसके लिये गजट में नोटीफिकेशन होगा और १०-१५ दिन में वह आदमी उस जमीन से अपने हाथ धो बैठेगा।

श्रीमन्, यह जायदाद किसी प्रकार की भी हो सकती है। मजरुआ भी हो सकती है, सिंचाई वाली भी हो सकती है। श्रीमन्, जब जमींदारी एबालीशन की तरमीम आई तो मुआवजा देने की बात थी। गो यह नहीं कहा कि जस्टीफाइएबिल मुआवजे के लिये अदालत में मुकदमा कर सकेंगे। इसी तरह से संविधान के आर्टीकिल ३१४ में तरमीम आई तो उसमें भी यही था कि बिना मुआवजे के किसी की संपत्ति का अपहरण नहीं होगा। मुआवजा दिया जायगा चाहे एक पाई ही देना पड़े। लेकिन यहां पर जमीन ले ली जायगी, बाग छिन सकता है, घर मिसमार किये जा सकते हैं, लेकिन कम्पेंसेशन एक पाई भी देने का अधिकार नहीं होगा।

हमारे मंत्री जी बहुत होशियार हैं, वह सोच सकते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है, लेकिन मुझे शंका है। मेरी छोटी सी बुद्धि है जो मेरी समझ में आया वह मैं आपके द्वारा पेशेनजर कर रहा हूं मंत्री जी को। श्रीमन्, किसी की भूमि को ले लिया जाय, किसी की इमारत बनी है उसको मिसमार कर दिया जाय और एक पाई भी मुआवजा न दिया जाय यह कहां तक ठीक है। १५ वर्ष के लिये यह लेना चाहते हैं। यह कहते हैं कि उसमें से आमदनी होगी। हमारे राज्यपाल महोदय ने जब वृक्षारोपण किया था तो करोड़ों पेड़ लगाये गये, लेकिन अब कितने हैं ? कल माननीय जगदीश प्रसाद जी जो चन्दौसी के हैं वह कह रहे थे कि....

श्री अध्यक्ष—इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप रेलेवेंट और इर्रेलेवेंट सब कहे जा रहे हैं। आप समय पास करना चाहते हैं, इस की रेलीवेंसी आपकी समझ में नहीं आती होगी मैं नहीं मानता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—कोई नया तर्क हो तो मैं उसे सुनने के लिये तैयार हूं और सदन भी तैयार है। जब कोई तर्क नहीं है और आप ऐसे ही भाषण देते रहें तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अब मैं इंटेंडेड टू दि यूटिलिटी की बात कहता हूं। अब श्रीमन्, देखना यह है कि यूटिलिटी कितने किस्म की हो सकती है। "यूटिलाइज्ड ऐज ए फारेस्ट" इसके लिये कौन-कौन सी जगह ले सकते हैं, इसके लिये हमें फारेस्ट की परिभाषा देखनी पड़ेगी। जहां पर पेड़ नहीं हैं वह भी जंगल है या जो जंगल के अन्दर है वह जंगल है और जो बाहर है वह भी जंगल है। इसलिये अगर सरकार एक पेड़ भी न लगाये तो भी कह सकती है कि इसको वह ऐज़ फारेस्ट यूटिलाइज कर रही है, क्योंकि फारेस्ट की डेफिनीशन में है कि अगर पानी भर गया तो फारेस्ट, सब पेड़ कट गये, सिर्फ ठूंठ रह गये तो फारेस्ट।

श्री अध्यक्ष—आपकी सब बहस का मतलब यह है कि यह भाग रिडंडेंट है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह मिस्चीवस है। इसलिए है कि जो मैंने यह नया प्वाइंट पकड़ा है, उससे यह साबित होता है। वूडी वेजिटेशन हो तो फारेस्ट अगर बुशेज हों तो फारेस्ट। जिस पर ग्रेजिंग फैसिलिटीज हो सकती हों वह भी फारेस्ट।

श्री अध्यक्ष—वह तो सब पास हो चुका है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना व्यापक अधिकार ले रहे हैं, इससे अच्छाई होने की नहीं है। उनका मतलब इससे हल हो जाता है कि "Forest land', means a land covered by a forest."

उसके द्वारा समावेश हो जाता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको मानेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

***श्री सैयद अली जहीर**—अध्यक्ष महोदय, सारी बहस यह हुई कि इसका मिसयूज होगा और यह सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जायगा, हमारा रेंजर फैसला कर देगा कि कौन सी जमीन फारेस्ट लैंड है। उसमें यह भी शामिल होगा—"which is intended to be utilized as forest" अगर दफा ३८–एच पढ़ ली जाय तो उसमें साफ लिखा है—

"(1) Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest, or forest land, is necessary or expedient in the public interest, thereof, particularly with a view to ensure its planned development as a forest, it may, by notification in the official *Gazette* do so for all or any of the said purposes, for such period, not exceeding fifteen years, as may be specified in the notification."

यह पावर कि कौन लैंड फारेस्ट लैंड है और कौन फारेस्ट है, यह जो अधिकार दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद तमाम प्रोसीडचोर ले डाउन किया गया है। उसमें १४ दिन का मिनिमम नोटिस दिया जायगा। यह तो कम से कम है एक महीना भी हो सकता है, दो महीने भी हो सकता है। नोटिस पहुंचने के बाद वह आब्जेक्शन कर सकता है। उसका आब्जेक्शन सुना जायगा। तब उसकी जमीन ली जायगी।

जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐक्शन लेना चाहती है तो उसके इंटेंशन के मानी यही हो सकते हैं—इंडिविजुअल के लिए तो कहा जा सकता है कि इसका इंटेंशन सीक्रेट, कांफीडेंशल है। लेकिन अगर कोई कारपोरेट बाडी, चाहे गवर्नमेंट हो, या म्युनिसिपल बोर्ड हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, वह अगर कहती है कि हमारा इंटेंशन है तो किसी फार्म आफ रेजोल्युशन की सूरत में या किसी दूसरे लीगल मैनर में जाहिर करेगी जिससे लोग मालूम कर सकें। इसलिए उसमें भी डाउट नहीं हो सकता है। उसके बाद जो भी सेक्शंस हैं उनमें पूरा प्रीकाशन लिया गया है। यह इस लेविल पर नहीं होगा कि फारेस्ट गार्ड किसी की जमीन छीन ले। वह तो हर चीज जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जब पहुंचेगी तो उसके बाद ऐक्शन होगा। इस वास्ते किसी के राइट्स को स्पर आफ दि मोमेंट पर किसी को अधिकार दे कर नहीं लेना चाहते हैं। यहां पर मुआवजे के बारे में इतनी बड़ी बहस की गई। मैंने पहले भी अपनी तकरीर में बयान किया था। कि इसमें मुआवजे का कोई सवाल नहीं है। मिलकियत का सवाल है। जिसकी मिलकियत होगी उसकी मिलकियत बाकी रहेगी। हम तो उस जमीन को फारेस्ट में डेवलप करके १५ वर्ष के बाद उसके मालिक के हवाले कर देंगे। यह हमारी नीति है। १५ वर्ष के बाद जो ऐसे फारेस्ट होंगे जिनसे कुछ आमदनी होगी तो उस आमदनी में से अपना खर्चा काट कर उसको मालिक के हवाले कर देंगे। यह क्लाज़ बिल्कुल सीधा सादा है और बिलकुल सिलम्पुल है इसमें कन्फ्यूज़न पेश किया जा रहा है। मैं यही अर्ज़ करूंगा कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, यह ५ वर्ष तक टिकने वाली सरकार १५ वर्ष का ठेका कैसे ले रही है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--यह शासन आपके सुपुर्द कर देगी।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) (C) के शब्द "or intended to be utilized as a forest" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२९,
विपक्ष में--७६।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४--५

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८-एफ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३८-एफ में संख्या तथा अक्षर "38-C" तथा शब्द "relates" के बीच में शब्द, संख्या तथा अक्षर "or 38-H" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३८-जी का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ३८-जी में, कामा तथा अंक और अक्षर 38-D के बीच में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय और अंक तथा अक्षर "38-D" और शब्द "shall" के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर "and 38-H" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६--८

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ में ३८-एच से ३८-एम तक नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

६--मूल अधिनियम की धारा ३८-जी के पश्चात् ३८-एच से ३८-एम तक के रूप में निम्नलिखित नई धारायें बढ़ा दी जायं :

"38-H. (1) Whenever it appears to the State Government that the taking over of the management of any particular forest, or forest land, is necessary or expedient in the public interest, or in order to secure the proper management thereof, particularly with a view to ensure its planned development as a forest, it may, by notification in the official *Gazette* do so for all or any of the said purposes, for such period, not exceeding fifteen years, as may be specified in the notification.

Power to take over management.

(2) No notification under sub-section (1) shall be issued until—

(*a*) after the issue of a notice by the Forest Officer to the claimant or the owner or tenure-holder of the forest or forest land, as the case may be, affording him reasonable opportunity to show cause, within a period of not less than fourteen days from the date of service of the notice on him to be specified in such notice, why management of the forest or forest land specified therein be not taken over ; and

(*b*) objections, if any, have been heard and disposed of, by the Forest Officer in the manner prescribed.

(3) The notice referred to in sub-section (2) shall be served upon the person concerned in accordance with the provisions of section 38-D.

Consequences of notification under section 38-H.

38-I. The State Government shall in respect of a forest, or forest land, for which a notification under section 38-H has been issued—

(i) place the forest, or forest land, as the case may be, with effect from the date of the notification, in the charge of a Forest Officer, for carrying out the purposes mentioned in the notification, and thereupon the provisions of section 5 shall *mutatis mutandis* apply to such a forest or forest land, as the case may be ; and

(ii) be liable and pay to the claimant or the owner or the tenure-holder of the forest, or forest land, as the case may be, the balance of the income, if any, accruing to it therefrom, for the period commencing from the date of notification till the date it is released under section 38-L after deducting therefrom such percentage of it, not exceeding twenty, as may be prescribed for cost of management and the amount, if any, spent by the State Government on its development.

Payment in respect of forests already in possession of the State Government.

38-J. In the case of a forest, possession whereof was taken over by the State Government prior to the commencement of the Indian Forest (U. P. Amendment) Act, 1960, and the management whereof is taken over in accordance with the provisions of section 38-H, the State Government shall, in the absence of a contract between the State Government and the person concerned to the contrary be liable to pay, for the period commencing from the date of possession till the issue of the notification under the said section, the balance of income accruing therefrom in accordance with the provisions of section 38-I(ii) as if the provisions of the aforesaid Act had been in force at all material dates and the management of such forest had been assumed on the date of taking over possession thereof ; anything contained in any other law, custom, usage for the time being in force or contract to the contrary notwithstanding.

Permission to cultivate areas lying within a forest or forest land taken over under this Act.

38-K. (1) The State Government may, where it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, on the application of the person whose forest or forest land, as the case may be, has been taken over under section 38-H, allow him to cultivate such part of it, not being in excess of one-fifth of the total area of such forest or forest land, as the case may be, and for such period, not being beyond the period of its management, as may be specified in the order granting the permission.

(2) An application under sub-section (1) shall be submitted to the Forest Officer in charge of the forest or the forest land, as the case may be, who shall forward the same, with his recommendations thereon, to the State Government.

(3) The decision of the State Government on the application under sub-section (2) shall be final and be not questioned in any court of law.

Release of forest or forest land from management.

38-L. The State Government may, at any time, by notification in the official *Gazette*, release from its management any forest or forest land, as the case may be, taken over under section 38-H and thereupon the forest or the forest land, as the case may be, shall cease to be under the management of the State Government, and the liability of the State Government in respect of the forest or the forest land, as the case may be, shall cease with effect from the date of release specified in the notification.

Power to make rules.

38-M. (1) The State Government may, after previous publication in the official *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

(*a*) provide for the items for which and the manner in which, the cost of management shall be calculated ;

(*b*) prescribe the procedure for the hearing and disposal of objections under this Act ;

(*c*) prescribe the mode of management or development of the forest or the forest land taken over under this Act ;

(*d*) prescribe the form of application under section 38-K and the particulars that must be given therein ; and

(*e*) prescribe any other matters which are to be, and may be, prescribed under this Act.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the Legislature while it is in session, for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the official *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make ; so, however, that any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

७--मूल अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा (१) तथा धारा ५३ और धारा ५५ में जहां कहीं शब्द "carts" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "vehicles" रख दिया जाय।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ५२, ५३ और ५५ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (३) में शब्द "fifty" के स्थान पर शब्द "five hundred" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ६८ का संशोधन।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ३८-एच की उपधारा (२) की मद (*a*) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "fourteen days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिया जाय।

श्रीमन्, प्रस्तावित धारा को देखा जाय तो वह इस प्रकार है :

"(*a*) after the issue of a notice by the Forest Officer to the claimant or the owner or tenure-holder of the forest or forest land, as the case may be, affording him reasonable opportunity to show cause, within a period of not less than fourteen days from the date of service of the notice on him to be specified in such notice, why management of the forest or forest land specified therein be not taken over ;"

इसमें व्यवस्था की गयी है कि नोटिस पाने के बाद क्लेमेंट या ओनर १४ दिन के भीतर अपनी उज्रदारी पेश करेगा। नोटिस की सर्विस हमेशा पर्सनल होती है। लेकिन इसके अलावा सर्विस के लिये कई प्रकार हैं और फारेस्ट ऐक्ट में ऐसा मेरा खयाल है कि एक तो पर्सनल सर्विस होती है, दूसरे अगर वह मकान पर नहीं मिलता तो मकान पर नोटिस चस्पाँ हो जाता है, तीसरे रजिस्टर्ड पोस्ट से भी नोटिस भेजा जा सकता है और चौथा तरीका यह है कि किसी एडल्ट मेल पर सर्विस भी सर्विस मानी जाती है। तो अगर सर्विस करने वाला चपरासी परेशान करना चाहे तो उसके लिये काफी गुंजायश रहती है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो क्लेमेंट हों वह हमेशा एक्स जमींदार या बड़े आदमी ही हों। हो सकता है कि उसे पहुंच कर उज्रदारी करने में ज्यादा समय लग जाय। पहुंचने में ही एक एक महीना लग सकता है। अगर किसी को लिपुलेक के पास कालापानी में नोटिस सर्व हो गया तो उसे काफी समय वहां पहुंचने में ही लग जायगा। तो यह कोई सिद्धान्त का सवाल नहीं है। इस संशोधन को मान लेने से लोगों को कुछ सुभीता हो जायगा और दूर से आने वाले भी इससे फायदा उठा सकेंगे। १४ दिन में तो हो सकता है कि नोटिस सर्व ही न हो।

श्री अध्यक्ष--इसको आप समाप्त करना चाहते हैं या अधिक समय लेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--आप अब दूसरा दिन ही रखें। मैं तो थोड़े में ही समाप्त कर दूंगा और अगर आपकी आज्ञा हुई तो मेरे संशोधन प्रतापसिंह जी मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है। अब पांच बज रहे हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२५ अगस्त, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

Copy of Post-mortem Reprot conducted on the dead body of Convict Sikandar under the supervision of the Civil Surgeon, Lucknow on 20th July, 1960.

Post-mortem done on the request of Superintendent, District Jail on Sikandar, aged about 34 years, male, on 20th July, 1960 at 4.45 p.m. Body identified by Dr. Verma.

A *langot* present in the body. A bandage applied on the upper part of right thigh. Rigor mortis present. Body well built. M. I. not required.

Natural orifices—Watery fluid coming out of mouth and nose which is adherent in the right side of mouth and is also coming out in turning the body.

An induration 6-8/10"X4-3/10", in which the opening by sharp knife of an abscess 1-6 10"X4/10" with pus coming out. The inflammation is present in the indurated area of above measurement in the upper part of right thigh, lateral and back part.

Eyes ..	..	Open.
Bones and joints	..	N. A. D.
External genitalia	..	N. A. D.
No mark of injury present in the body.		
Skull opened. Vertex and skull bone.		N. A. D.
Membranes	..	N. A. D.
Brain ..	..	N. A. D.
Case of brain	..	N. A. D.
Spinal cord not exposed.		
Chest Cavity—Ribs, cartilage and sternum.		N. A. D.
Pleura ..	..	N. A. D.
Lungs—Left	..	N. A. D.
Right	..	Pulmonary infaret present in the right lung, lower region base.
Heart ..	..	9¼ oz. Right side contains blood. Left side also contains a little blood. Other things N. A. D.
Vessels of neck	..	N. A. D.
Diaphragm	..	N. A. D.
Abdominal cavity	..	Abdominal wall N. A. D.
Peritoneum	..	N. A. D.
Buccal cavity and teeth		16/16 N. A D.
Oesophagus	..	N. A. D.

Stomach ..	..	Curdled patches of milk with watery liquid about 1 lb.
Small intestine	..	Liquified material at places with gases.
Large intestine	..	Faecal matter with gases.
Panereas ..	..	N. A. D.
Liver ..	..	N. A. D. 4 lb. 15 ozs.
Spleen ..	..	N. A. D. $8\frac{1}{4}$ oz.
Kidney ..	..	Both N. A D. 12 oz.
Urinary bladder	..	About 2 oz. of urine. N. A. D.

Conclusion—Patient was suffering from an abscess which has been opened up about one day before death. Probable time since death about 6 hours.

Cause of death—Patient was suffering from abscess opened up one day before death, and death due to pulmonary infaret due to embolism.

Duration between last meal and death—About two hours.

(Sd.) S. B. KHARE,
20th July, 1960.

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच के समक्ष ३० जून, १९६०

अपीलों की किस्म		३० जून, ६० को विचाराधीन अपीलों की संख्या	१९६०	१९५९	१९५८	१९५७	१९५६
फर्स्ट अपीलें ..	इलाहाबाद	४,३७३	१९६	४३२	५२०	४२१	५५२
	लखनऊ	५९२	२८	६९	५४	१०१	७७
	योग ..	४,९६५	२२४	५०१	५७४	५२२	६२९
सेकेन्ड अपीलें ..	इलाहाबाद	१५,५३८	१,८०३	२,९१६	२,८१०	१,६८८	१,५२९
	लखनऊ	२,६७२	३८५	५६२	५९३	४५७	३२५
	योग ..	१८,२१०	२,१८८	३,४७८	३,४०३	२,१४५	१,८५४
फर्स्ट अपीलें फार आर्डर्स ..	इलाहाबाद	१,२८३	१६१	३३६	२९६	२१३	१५२
	लखनऊ	१२८	२१	४१	३२	१५	६
	योग ..	१,४११	१८२	३७७	३२८	२२८	१५८
सेकेन्ड अपीलें फार आर्डर्स ..	इलाहाबाद	१९	१२	२	५	..	..
	लखनऊ	..	..	..	..	..	..
	योग ..	१९	१२	२	५	..	..
स्पेशल अपीलें ..	इलाहाबाद	१,०८६	१९०	२९३	२४०	१०८	५३
	लखनऊ	८८	२९	२५	२०	११	१
	योग ..	१,१७४	२१९	३२१	२६०	११९	५४
क्रिमिनल अपीलें	इलाहाबाद	१,५५७	१,००२	५५५	..	..	१
	लखनऊ	३१६	३११	५	..	..	..
	योग ..	१,८७३	१,३१३	५५९	..	..	१
कुल योग ..	इलाहाबाद	२३,८५६	३,३६४	४,५३६	३,८७१	२,४३०	२,२८७
	लखनऊ	३,७९६	७७४	७०२	६९९	५८४	४०९

"ख"

का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

को विचाराधीन अपीलों तथा उनके दायर होने के वर्षों की तालिका

दायर होने के वर्ष													
१९५५	१९५४	१९५३	१९५२	१९५१	१९५०	१९४९	४८	४७	४६	४५	४४	४३	४२
४३३	३३८	३०९	३३९	३२८	२४४	९०	८७	४२	२८	१४	..	..	..
७५	६२	४२	१९	२३	२०	१०	६	..	५	..	१	..	..
५०८	४००	३५१	३५८	३५१	२६४	१००	९३	४२	३३	१४	१	..	
१,५८६	१,१८२	१,२५८	७३५	२१	९	१	..	..	..	..	..	..	..
२१३	९१	३१	१०	४	१	..	..	..	..	..	..	..	..
१,७९९	१,२७३	१,२८९	७४५	२५	१०	१	..	..	..	..	..	..	..
४९	३०	१६	१८	२	१	४	..	३	..	१	..	..	१
६	४	२	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५५	३४	१८	१९	२	१	४	..	३	..	१	..	..	१
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	....	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	....	..	..	..	..	..	..	..
४२	५०	४९	२७	३१	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	१	१	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४२	४२	५०	२७	३१	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
,...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२११०	१,६००	१,६३२	१,११९	३८२	२५४	९५	८७	४५	२८	१५	..	..	१
२८४	१५८	७६	३०	२७	२१	१०	६	..	५	..	१	..	..

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७४ : पर)

विधान सभा की १२ फरवरी, १९६० की बैठक में श्री गौरीराम गुप्त का तारांकित प्रश्न संख्या ११ तथा उसका मूल उत्तर ---

प्रश्न	उत्तर
*११--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से लगायत १९५३ तक गोरखपुर जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों को नैनीताल तराई-भावर व फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में जमीन दी गई है ?	११--सन् १९५० ई० से लगायत १९५३ ई० तक गोरखपुर के २६ राजनैतिक पीड़ितों को तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में और ३७ को नैनीताल तराई-भावर व तराई उपनिवेश क्षेत्र में जमीनें दी गईं ।

वास्तव में उपर्युक्त प्रश्न का शुद्ध उत्तर निम्नांकित है, जिसे देने के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं और आपकी स्वीकृति से निवेदन करता हूं कि विधान सभा की १२ फरवरी, १९६० की कार्यवाही के विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय ।

संशोधित उत्तर

११--सन् १९५० ई० से लेकर १९५३ ई० तक गोरखपुर जिले के ९३ राजनैतिक पीड़ितों को नैनीताल तराई उपनिवेश क्षेत्र में तथा २६ राजनैतिक पीड़ितों को गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में भूमि प्रदान की गई ।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ. ७४९ पर)

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६०

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिये

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९५८

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्याहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२--उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५ में से शब्द तथा अंक "जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से दो वर्ष के पश्चात् न हो" निकाल दिये जायं । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ५ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "निर्माण" के स्थान पर शब्द "निर्माण, पुनःनिर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन" रख दिये जायं । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा ६ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा १८ में से खण्ड (घ) निकाल दिया जाय । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९५८ की धारा १८ का संशोधन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ ऐसी भूमि पर भवनों के निर्माण लागू नहीं होता जो राजस्व अभिलेखों में परिभाषित किसी गांव की आबादी में सम्मिलित हों । यह देखा गया है कि ऐसी बहुत सी जमीनें नगरों तथा उनसे संलग्न क्षेत्रों में स्थित हैं । यह अनुभव हुआ है कि ऐसे नगरों या क्षेत्रों का नियोजित विकास ऐसी भूमि पर अधिनियम को लागू किये बिना संभव नहीं है । अतः इस बात की व्यवस्था करने तथा अधिनियम के कार्यान्वय में अनुभव हुई कुछ अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की उन वर्तमान धाराओं का विवरण, जिनमें उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० द्वारा संशोधन का प्रस्ताव है

धारा ५—नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के प्रचारित होने से दो वर्ष के पश्चात् न हो, निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्हीं सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो आवश्यक समझे जायें, अर्थात्:

* * * *

धारा ६—कोई व्यक्ति किसी विनियमित क्षेत्र में, धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास कार्य न तो आरम्भ करेगा और न उसे पूरा करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण करेगा या कोई खोदाई करेगा या खोदाई का बढ़ायेगा, और न ऐसे क्षेत्र में किसी सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनायेगा ।

धारा १८—इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी :

* * *

(घ) किसी गांव के जैसा कि वह राजस्व अभिलेखों में परिभाषित हो, आवासित स्थल (inhabited side) के अन्तर्गत भूमि पर भवनों का निर्माण;

* * *

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३४ एल० ए०—१९६०—८४५ ।